

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2012-13



स्पाइसेस बोर्ड भारत
SPICES BOARD INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
भारत सरकार
Government of India
कोच्चिन/COCHIN - 682 025



**स्पाइसेस बोर्ड
वार्षिक रिपोर्ट
2012-13**

**SPICES BOARD
ANNUAL REPORT
2012-13**

स्पाइसेस बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

सुगंध भवन, पी.बी. नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोचिन - 682 025

SPICES BOARD

Ministry of Commerce & Industry

Government of India

Sugandha Bhavan, P.B. No. 2277

Palarivattom P.O.

Cochin - 682 025

टेली: / Tel: : 0484-2333610-616, 2347965

फैक्स / Fax : 0484-2331429-2334429

वेबसाइट / Website : www.indianspices.com

संकलन और संपादन
Compiled and Edited by

1. डॉ. पी.एस. श्रीकण्ठन तंपी
उप निदेशक (प्रचार)
Dr. P.S. Sreekantan Thampi
Deputy Director (Publicity)
2. श्री पी. जगदीशन
उप निदेशक (यो. व स.)
Shri. P. Jagadeesan
Deputy Director (P&C)
3. डॉ. जी. उषाराणी
सहायक निदेशक (रा.भा.)
Dr. G. Usharani
Assistant Director (OL)

तकनीकी समर्थन
Technical Support

1. श्री एस. पलनिचामी
संपादक
Shri. S. Palanichamy
Editor
2. श्री एन. अनिलकुमार
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
Shri. N. Anilkumar
Sr. Hindi Translator
3. श्री बिजू डी. शेणाई
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
Shri. Biju. D. Shenoy
Junior Hindi Translator
4. श्रीमती के.के. सरसम्मा
कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी
Smt. K.K. Sarasamma
Junior Section Officer
5. श्री आर. विजयराज
कनिष्ठ आशुलिपिक
Shri. R. Vijayaraj
Junior Stenographer

विषय सूची

Contents

	कार्यकारी सारांश	1
	Executive Summary	
1.	संघटन और प्रकार्य	4
	Constitution and Functions	
2.	प्रशासन	7
	Administration	
3.	वित्त और लेखा	12
	Finance and Accounts	
4.	निर्यातोन्मुख उत्पादन	14
	Export Oriented Production	
5.	निर्यात विकास एवं संवर्धन	26
	Export Development and Promotion	
6.	व्यापार सूचना सेवा	35
	Trade Information Service	
7.	प्रचार और संवर्धन	43
	Publicity and Promotion	
8.	गुणवत्ता सुधार	50
	Quality Improvement	
9.	निर्यातोन्मुख अनुसंधान	55
	Export Oriented Research	
10.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक आँकडा प्रक्रमण	59
	Information Technology and Electronic Data Processing	
	अनुबंध - 1 बोर्ड के सदस्यों की सूची, जैसेकि 31-3-2013 को है।	61
	Annex -I List of Board Members as on 31-3-2013	



EXECUTIVE SUMMARY

Indian spices exports have been able to record strident gains in both volume and value in rupee terms during 2012-13. It is first time in the history of spices export from the country, the growth in volume registered all time high of 22 per cent. The total export of spices during the period has also crossed ₹10,000.00 crore marks for the first time.

During April-March 2012-13, a total of 699,170 tonnes of spices and spice products valued ₹11171.16 crore (US\$ 2040.18 Million) has been exported from the country as against 575,270 tonnes valued ₹9783.42 crore (US\$ 2037.76 Million) in 2011-12 registering an increase of 22 per cent in volume and 14 per cent in rupee terms of value.

The total export of spices during 2012-13 has exceeded the target in terms of both quantity and value. Compared to the target of 566,000 tonnes valued ₹8203.50 crore (US\$ 1650.00 million) for the financial year 2012-13, the achievement is 124 per cent in terms of quantity and 136 per cent in rupee and 134 per cent dollar terms of value.

During 2012-13, the export of cardamom (large), chilli, coriander, cumin, fennel, fenugreek, celery, other seeds like mustard, aniseed, ajwan seed etc., nutmeg and mace, garlic and other spices such as asafoetida, tamarind etc., have shown an increase both in volume and value as compared to 2011-12. The export of value added products like curry powder/blends, spice oils & oleoresin and mint products have also shown increase both in volume and value as compared to 2011-12. In the case of turmeric there is an increase in quantity only. Other spices like pepper, cardamom (small) and ginger had shown decrease both in terms of volume and value compared to last year.

In the spices export basket, chilli (40 per cent), turmeric (11 per cent) and cumin (11 per cent) together accounted for 62 per cent of the total volume and mint products (30 per cent), chilli (20 per cent), spice oils & oleoresins (12 per cent) and cumin (10 per cent) together accounted for 72 per cent of the total value in 2012-13.

Average domestic prices of pepper, cardamom (small), coriander, cumin, fenugreek, mustard and saffron have increased whereas prices for cardamom (large), chilli, ginger, turmeric, garlic, fennel, ajwan seed, tamarind, clove, nutmeg and mace have decreased during 2012-13 compared to the previous year.

The Board has submitted a XII plan EFC/SFC proposal with a revised total outlay of ₹670.00 crore to the Government for approval. Pending the approval of XII plan, the Government has also issued guidelines for continuation of the XI plan schemes and utilization of budget provision for the Financial Year (FY) 2012-13. Accordingly XI Plan schemes and its programmes were continued during 2012-13 with a financial achievement of ₹100.21 crore against the annual plan budget allocation of ₹100.00 crore.





During 2012-13, an area of 2250 hectares was brought under replantation of cardamom (small). In the case of cardamom (large), 1501 hectares were brought under replanting/new planting.

Programmes such as providing assistance for irrigation & land development, rain water harvesting devices, improved curing devices etc. were implemented for cardamom. In the North Eastern region, assistance was given for cultivation of cardamom (large), ginger and Lakadong turmeric. For other spices, assistance was given for post harvest improvement operations like supply of polythene sheets, threshers, polishers and training to farmers. Support was also given for organic farming of spices, promotion of IPM, setting up of vermi-compost units etc.

The new scheme for development of pepper in Wayanad district of Kerala & North Eastern states was sanctioned by the Ministry during October 2009 and its implementation was continued during 2012-13. Under replantation/rejuvenation programme, an area of 4827 hectares has been covered in Wayanad district and North Eastern states.

The Board continued the implementation of the pepper replantation and rejuvenation programme in Idukki district of Kerala, under the National Horticulture Mission programme and covered an area of 7091 hectares during 2012-13.

Under Export development and promotion of spices, programmes for adoption of hi-tech in spice processing, setting up/upgradation of in house quality control lab, sending business samples abroad, setting up common infrastructure facilities for grading, processing, packing, warehousing etc., participation in international fairs/exhibitions etc., were implemented during 2012-13. The Board participated in 20 international fairs in different countries and 25 domestic exhibitions.

The setting up of Spices Parks at Jodhpur (Rajasthan) and Guna (MP) has been completed during 2012-13. The setting up of Spices Parks at Guntur (AP), Sivagangai (TN) and Kota (Rajasthan) is in progress.

Establishment of the quality evaluation laboratory at Narela (New Delhi) and Tuticorin (TN) has been completed during 2012-13. The setting up of quality evaluation laboratories at Kolkata and Kandla is in progress.

The quality evaluation laboratories of the Board located at Kochi, Mumbai, Guntur and Chennai analyzed a total of 82731 samples during 2012-13 for various parameters like pesticide residues, aflatoxin, illegal dyes in chilli & chilli products and turmeric powder.

The Indian Cardamom Research Institute of the Board continued its activities on crop improvement, crop management, crop protection, biotechnology, post harvest technology and transfer of technology. Emphasis was given on programmes like mobile agri-clinic, issuing soil health card, production and supply of bio-agents like Trichoderma and Pseudomonas.





During the period under report, the Official Language section extended all sorts of assistance to the Board to formulate schemes and programmes useful for the effective implementation of the Official Language policy of the Government and carried out various programmes in line with the Annual Programme as well as instructions and orders with regard to the use of Hindi for office purpose, issued by the Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs.

E-office has been designed in sync with the needs of a modern Government and has been conceived as the instrument for the Next Generation Government. It paves a platform for personalized, role based, secure access to internal information for the employees that is accessible through any browser. With a single platform, the entire organization can collaborate, share documents in any format electronically. The system has replaced the traditional physical file with electronic file system in Spices Board HO.

In order to address the challenges of quality and food safety, the Spices Board in collaboration with Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), University of Maryland, USA and Confederation of Indian Industries-Food and Agriculture Center of Excellence (CII-FACE) has established a Collaborative Training Center (CTC) for capacity building on food safety in the supply chain management in spices and botanical ingredients and planned three phase training programme.

In the 35th Annual Session of Codex Alimentarius Commission held in Rome in July 2012, the Board has submitted a proposal for establishment of "Codex Committee on Spices, Aromatic Herbs and their Formulations to harmonize physical quality standards of spices across the globe under Codex.

Number of growers under the cultivation of Cardamom, registered exporters of spices, licensed cardamom auctioneers/dealers during 2012-13 are as follows:

		Total Numbers
1	Growers under the cultivation	
	Cardamom (small)	40,495
	Cardamom (large)	30,000
2	Registered Exporters of spices	
	Merchant Exporters	3,605
	Manufacturer Exporters	612
3	Licensed Cardamom Auctioneers	
	Cardamom (small)	14
	Cardamom (large)	2
4	Licensed Cardamom Dealers	
	Cardamom (small)	348
	Cardamom (large)	72





I. CONSTITUTION AND FUNCTIONS

Constitution of Spices Board

The Spices Board Act 1986, (No.10 of 1986) enacted by Parliament provide for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including control of cultivation of cardamom and matters connected therewith. The Central Government by notification in the official gazette constituted the Spices Board, which came into being on 26.2.1987.

The Spices Board consists of:

- (a) Chairman;
- (b) Three members of Parliament of whom two shall be from among elected by the House of the People and one from among those elected by the Council of States;
- (c) Three members to represent the Ministries of the Central Government dealing with:
 - (i) Commerce;
 - (ii) Agriculture; and
 - (iii) Finance;
- (d) Seven members to represent the growers of spices;
- (e) Ten members to represent the exporters of spices;
- (f) Three members to represent major spice producing States;
- (g) Four members one each to represent:
 - (i) The Planning Commission;
 - (ii) The Indian Institute of Packaging, Mumbai;
 - (iii) The Central Food Technological Research Institute, Mysore;
 - (iv) Indian Institute of Spices Research, Calicut;
- (h) One member to represent spices labour interests.

(The list of members of Spices Board during the year is at Annex-I)

Functions of the Board

The Spices Board Act, 1986, has assigned the following functions to the Spices Board.



The Board may -

- (i) Develop, promote and regulate export of spices;
- (ii) Grant certificate for export of spices;
- (iii) Undertake programmes and projects for promotion of export of spices;
- (iv) Assist and encourage studies and research, for improvement of processing, quality techniques of grading and packaging of spices;
- (v) Strive towards stabilization of prices of spices for export;
- (vi) Evolve suitable quality standards and introduce certification of quality through "Quality Marking" of spices for export;
- (vii) Control quality of spices for export;
- (viii) Give licenses, subject to such terms and conditions as may be prescribed, to the manufacturers of spices for export;
- (ix) Market any spice, if it considers necessary in the interest of promotion of export;
- (x) Provide warehousing facilities abroad for spices;
- (xi) Collect statistics with regard to spices for compilation and publication;
- (xii) Import with prior approval of the Central Government any spice for sale; and
- (xiii) Advise the Central Government on matters relating to import and export of spices.

The Board may also -

- (i) Promote co-operative effort among growers of cardamom;
- (ii) Ensure remunerative returns to growers of cardamom;
- (iii) Provide financial or other assistance for improved methods of cultivation and processing of cardamom, for replanting cardamom and for extension of cardamom growing areas;
- (iv) Regulate the sale of cardamom and stabilization of the prices of cardamom;
- (v) Provide training in cardamom testing and fixing grade standards of cardamom;
- (vi) Increase the consumption of cardamom and carry on propaganda for that purpose;
- (vii) Register and license brokers (including auctioneers) of cardamom and persons engaged in the business of cardamom;
- (viii) Improve the marketing of cardamom;



- (ix) Collect statistics from growers, dealers and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the cardamom industry, publish statistics so collected or portions thereof, extracts there from;
- (x) Secure better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and
- (xi) Undertake, assist or encourage scientific, technological and economic research.

Spices under the purview of the Board

The following 52 spices are listed in the Schedule of Spices Board Act:

1	Cardamom	19	Kokkam	36	Hyssop
2	Pepper	20	Mint	37	Juniper berry
3	Chilli	21	Mustard	38	Bayleaf
4	Ginger	22	Parsley	39	Lovage
5	Turmeric	23	Pomegranate seed	40	Marjoram
6	Coriander	24	Saffron	41	Nutmeg
7	Cumin	25	Vanilla	42	Mace
8	Fennel	26	Tejpat	43	Basil
9	Fenugreek	27	Pepper long	44	Poppy seed
10	Celery	28	Star anise	45	All-Spice
11	Aniseed	29	Sweet flag	46	Rosemary
12	Bishops weed	30	Greater Galanga	47	Sage
13	Caraway	31	Horse-radish	48	Savory
14	Dill	32	Caper	49	Thyme
15	Cinnamon	33	Clove	50	Oregano
16	Cassia	34	Asafoetida	51	Tarragon
17	Garlic	35	Cambodge	52	Tamarind
18	Curry leaf				

[In any form including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant]

The Board has three statutory committees as under:

- (i) Executive Committee
- (ii) Research & Development Committee for Cardamom
- (iii) Market Development Committee for Spices





2. ADMINISTRATION

Personnel of the Board

Dr. A. Jayathilak, I.A.S., continued as Chairman of the Board. During the period under report Shri.P.M.Sureshkumar continued as Secretary and also held the additional charge of Director (Research). CA. K.C. Babu, Director(Finance) continued till 3.2.2013 and held the charge of Director(Mktg) from 4.2.2013. Shri.S.Siddaramappa continued as Director(Dev). Dr.M.R.Sudharshan, Scientist-D held the charge of Director (Mktg) upto 3.2.2013 and charge of Director (Finance) from 4.2.2013.

As on 31st March 2013, the staff strength of Spices Board was 475 consisting of 95 Group A, 145 Group B, 229 Group C and 6 Departmental Canteen employees.

Reservation for SC/ST/OBC in appointments and promotions

The Board is properly implementing the post-based reservation roster for Scheduled Caste (SC) / Scheduled Tribe (ST) /Other Backward Class (OBC). The instructions issued by the Government from time to time in this regard are also strictly adhered to. As on 31st March 2013, there were 239 employees in the categories of SC/ST/OBC. The Board is also maintaining reservation roster for persons with disabilities.

Welfare of women

During the period under report, the total strength of women employees in the Board was 123 in Group A, B and C categories. The grievances of women employees are timely and properly attended to. A women officer of the Board has been appointed as “Women Welfare Officer” to sort out the difficulties/problems, if any, or to bring them to the notice of the higher authorities along with suggestions for possible solutions.

Modified Flexible Complementing Scheme

Govt. of India, Department of Personnel & Training has implemented Modified Flexible Complementing Scheme for the Scientists based on the recommendations of the 6th Central Pay Commission with effect from 10.09.2010 vide O.M.No.AB-14017/37/2008-Estt(RR) dated 10th September, 2010 and accordingly the preliminary meeting of Screening Committee was conducted on 21.03.2013.

SC/ST/OBC Welfare

The Board had constituted Committees for looking after the welfare of the SC, ST and OBC employees and to sort out their problems. The first meeting of the committee held on 8th February 2013. No grievance/ complaint was received during the period under report. A Parliamentary Committee for welfare of OBC had conducted a study visit to Kochi during 8th to 11th February 2013 and the Board placed suggestions before the Committee in the meeting on 9th February 2013.

Internal Audit

Institute of Public Auditors of India (IPAI) has been entrusted the Internal Audit of Board's Offices.

Meetings of the Board

During the period under report, two meetings of the Board were convened on 17th July 2012 and 6th November 2012.



Offices of the Board

The Head office of the Board is located at Kochi in Kerala. The following offices of the Board functioned during 2012-13.

Marketing

Spices Board is having its Marketing offices at Mumbai, Chennai, Tuticorin, Bodinayakanur, Guntur, Bangalore, New Delhi, Ahmedabad, Chhindwara, Guna, Kolkatta, Guwahati, Sivaganga and Singtam.

Development

Regional offices are at Ahmedabad, Nedumkandam, Puttady, Kalpetta, Saklespur, Guntur, Warangal, Gangtok, Guwahati, Jodhpur and Lucknow.

Zonal offices are at Nedumkandam, Vandanmettu (Puttady), Kumily, Kattappana, Rajakumari, Cheruthoni, Sulthan Bathery, Chickmagalore, Madikeri, Shimoga, Agarthala, Aizwal, Itanagar, Jorethang, Kalimpong, Mangan and Tadong.

Forty Nine Field Offices are functioning in the states of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and North Eastern Region.

The Board is also maintaining five departmental nurseries in Karnataka state.

Research

Indian Cardamom Research Institute (ICRI) of the Board at Myladumpara (Kerala) and the Regional Research Stations in Saklespur (Karnataka), Tadong (Sikkim) continued its functioning.

Human Resource Development

Over 400 employees have undergone outbound experiential training. The training was organized to bring a paradigm shift in individual behaviour and team processes to integrate and synergise individuals. Benefits of the training include collaboration, interdependence, leadership qualities, communication skills, analytical thinking, out of the box thinking, managing ambiguity, innovation at work and optimizing resource utilization.

The Board with the objective of bringing greater performance orientation and growth through structures and processes has awarded the work of HR Consultancy to M/s. People Facet Business Solutions LLP. The scope of the consultancy include studying organization purpose and objectives for designing a performance architecture, reviewing and re-engineering people processes and reporting within the organization to achieve organizational goals and performance objectives.

Plantation Labour Welfare

The Board continued the following schemes under the Plantation Labour Welfare for the benefit of the labourers engaged in cardamom plantations.

1. Award of Educational stipend to the children of cardamom estate workers
2. Grant-in-aid to Educational Institutions



The scheme is applicable to students pursuing post SSLC education. Under the scheme, Spices Board provides financial assistance to eligible children of cardamom plantation workers, subject to the fulfillment of the terms and conditions fixed by the Board.

Right to Information Act

The Board has effectively implemented the RTI Act 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board has designated the Deputy Director (Planning & Co-ordination) as the Central Public Information Officer and the Assistant Director (Marketing) as Assistant Central Public Information Officer for coordinating and dissemination of information as per the Act. The Board has also designated nine Public Information Officers (PIOs) and 22 Assistant Public Information Officers in the field units to disseminate information under Right to Information Act 2005. The Secretary, Spices Board is designated as the Appellate Authority of the Board to hear appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005. The Deputy Director (EDP) has been designated as the 'Transparency Officer' of the Board to oversee the implementation of obligations under Section 4 of the RTI Act.

The Board has disclosed every information required to be disclosed *suo motu* in such form and manner, which is accessible to the public under Section 4(1) of RTI Act 2005 through the website. During 2012-13, a total of 58 applications have been received under RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. There was one appeal during 2012-13. The monthly RTI returns were submitted to the Ministry and Quarterly RTI returns were updated in the Central Information Commission's website on time.

Implementation of Official Language (OL) policy

The Official Language section continued extension of assistance for the effective implementation of the Official Language policy of the Government in the Board during the year 2012-13 also. With consent and approval of the Official Language Implementation Committee of the Board, the OL section formulated and carried out various promotional programmes in line with the Annual Programme as well as other instructions and orders issued by the Dept. of Official Language, M/o. Home Affairs from time to time with regard to use of Hindi as Official Language. These programmes were not confined to Head Office only, but covered outstation offices also. These programmes were also intended to link the implementation of OL policy with the main stream activities of the Board. All these efforts were recognized by the concerned authorities, namely, the Department of Commerce, Committee of Parliament on OL, Town Official Language Implementation Committee and Regional Implementation Office. Rajbhasha Shield for the year 2011-12 instituted by the Dept. of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Govt. of India was awarded to the Board in the Hindi Salahkar Samithi meeting held on 3rd August 2012. Board's monthly magazine Spice India (Hindi) has also won the award for the best Hindi magazine published by a Central Government Organization under TOLIC, Kochi.

During the year under report, the efforts and achievements by the OL section were the following:

1. Convened four meetings of the Official Language Implementation Committee (OLIC) in Head Office on 27/06/2012, 30/10/2012, 26/12/2012 and 26/03/2013 respectively. Discussed various aspects on implementation of the OL policy in these meetings and ensured follow up action. Necessary assistance and guidelines were given to ICRI, Myladumpara also to constitute the OLIC and to convene its meetings regularly.



2. Arranged four Hindi workshops (on 26-27/06/2012, 22-23/08/2012, 11-12/12/2012 and 18-19/04/2013) for the staff members in HO. Total of 66 staff members were imparted Hindi training through these workshops.
3. Participated in the meeting of the Hindi Salahkar Samiti, Department of Commerce, M/o Commerce & Industry, New Delhi held on 03/08/2012.
4. Renewed subscription for various Hindi magazines and News Papers. Made communication with the Commission for Scientific & Technical Terminology, New Delhi to procure sufficient copies of Hindi-English Administrative glossary to supply among the staff members.
5. Nominated a staff member from HO for Hindi Typewriting/Computer training under the Hindi Teaching Scheme, Kochi and three staff members from outstation offices for Hindi training through correspondence course under Central Hindi Training Institute, New Delhi.
6. Participated in the meetings held on 21/08/2012 and 27/12/2012 conducted by the Kochi TOLIC and its member organizations. Also attended a workshop conducted in Udyog Bhavan, New Delhi on filling in the questionnaire of the Committee of Parliament on OL on 09/11/2012 arranged by the Ministry.
7. Observed Hindi Day 2012 on 14/09/2012 in HO as well as in Sub-ordinate Offices.
8. Celebrated Hindi Fortnight during 14-27/09/2012. Smt. Vineeta Shukla, emerging Hindi writer inaugurated the celebration. Conducted variety Hindi competitions for the staff and their children. Arranged valedictory function of the celebrations on 4th January 2013 and distributed Trophies, Certificates and cash awards for the winners. Shri. R.O. Sunil Babu, Regional Passport officer, Kochi was the Chief Guest on the occasion.
9. Conducted a phone-in Hindi quiz programme on spices and broadcast it through AIR on 21st September 2012 as a special programme in connection with the Hindi Fortnight Celebrations 2012.
10. Prepared a skit on importance of Hindi as Official Language and broadcast through AIR on 28th September 2012 as part of Hindi fortnight celebrations 2012.
11. Conducted a Hindi quiz programme on spices for a week during Hindi Fortnight Celebrations 2012 in association with IFFCO Kissan Service Ltd (IKSL)
12. Carried out Official Language inspection in Regional Offices located in Jodhpur (Rajasthan), New Delhi and Nedumkandam (Kerala) and 21 Zonal/Field offices in Karnataka region and necessary advice have been given to make the implementation more efficient and effective.
13. The Third Sub Committee of the Committee of Parliament on OL visited/inspected the Regional offices located in Jodhpur (Rajasthan) and Nedumakandam (Kerala) on 16/10/2012 and 18/02/2013 respectively. Regional office (Dev), Jodhpur has been notified under Rule 10(4) of OL Rules 1976 on 05/02/2013.



14. Conducted walk-in-interviews to select OL Trainee for ICRI, Myladumpara on 16th May 2012, 26th September 2012 and 7th February 2013.
15. Constituted a Committee (Website Reforms Committee) to update the website of the Board (www.indianspices.com). Two meetings of the committee were convened on 08/08/2012 and 21/12/2012. Necessary steps have been taken to update the website. Started displaying Hindi slogans in intra-web of the Board.
16. Started displaying major events as scrolls in Hindi website
17. Started sending useful information in Hindi to beneficiaries of spice industry
18. Hosted routine noting in Hindi in website for the use of staff members simultaneously with the change over to e-office. Efforts are in progress with EDP section to incorporate Hindi in e-office.
19. Activated UNICODE in the computers used in HO. Flow chart to activate UNICODE has been communicated to all outstation offices.
20. Arranged a training programme for staff members in HO on doing work with UNICODE along with the e-office training in association with EDP section.
21. Continued 'Aaj Ka Sabd' service through e-office
22. The work connected with standardization of the names of spices coming under the jurisdiction of the Board is in progress in association with the Commission for Scientific & Technical Terminology, New Delhi.
23. Prepared material to bring out a booklet in Hindi on major chilli varieties in India titled 'Phir Aayee (Bagon memn) bahaar'
24. Prepared the 'Manual on Delegation of Powers' in bilingual form with the help of Central Translation Bureau, New Delhi and hosted in Board's website.
25. Continued publication of the Hindi monthly magazine 'SPICE INDIA' and the bilingual weekly bulletin 'SPICES MARKET'
26. Prepared materials viz., banner, hand bills, backdrop, press materials etc., in Hindi for the inauguration of Spices Park, Guna on 16th March 2013.

Library & documentation service

The Board's Library has a good collection of books and periodicals with computerised bibliographic data base. The process of strengthening the library and documentation unit has been continued by new additions of books and periodicals. During 2012-13, 207 new books have been added and continued the subscription to about 130 periodicals. Library continued the regular services like circulation of the library documents and periodicals, document delivery services, current awareness services, daily information services, CD-ROM search and Newspaper clipping service on spices and condiments. Reference facilities including guidelines were provided to about 50 students and research scholars from various universities. The library has been upgraded by installing Barcode Scanner facilities and multimedia section in the library.



3. FINANCE AND ACCOUNTS

The schemes, projects and programmes of the Board under Plan are financed through Grants and Subsidies from the Government of India. Non-plan expenditure on Administration is met out of Grants-in-aid from the Government and Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) generated from various activities of the Board.

The approved budget outlay by the Government for the Board during 2012-13 was ₹10,000.00 lakhs under Plan and ₹935.00 lakhs under Non-plan. An amount of ₹3600.00 lakhs against Grants-in-aid, ₹4900.00 lakhs against Subsidies, ₹1000.00 lakhs towards provision for North Eastern Region, ₹500.00 lakhs towards provision for SC sub plan under Plan and ₹900.00 lakhs under Non-plan have been received by the Board from the Government during 2012-13. The Board generated Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) of ₹966.00 lakhs from analytical charges for quality testing services rendered by the quality evaluation laboratory, sale of seedlings from nurseries, farm products of Research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, refund of advances to employees, interest on advance, interest on short term deposit etc. in 2012-13. The total expenditure of the Board under Plan and Non-plan during 2012-13 was ₹11633.79 lakhs, the break-up of which is given below:

Head of Account	Budget releases (₹ Lakhs)	Expenditure (₹ Lakhs)
Plan		
Export Oriented Production & Replanting/ Rejuvenation of pepper in Wayanad district of Kerala & NE states	4350.00	4346.86
Export Development & Promotion	4500.00	4514.89
Export Oriented Research	600.00	611.50
Quality Improvement	450.00	447.16
HRD & Works	100.00	100.93
Total (Plan)	10000.00	10021.34
Non-plan	900.00	1612.45
Total (Non-Plan & Plan)	10900.00	11633.79



The Board has also been implementing certain ongoing projects and programmes with grants received from other Government Departments and National agencies such as NHM, ICAR, SHM, ASIDE (State Cell) etc. The details of such projects, grants received and expenditure incurred during 2012-13 are given below:

Programmes	Releases (₹Lakhs)	Expenditure (₹Lakhs)
ASIDE	2940.63	1052.62
NHM - Replanting & Rejuvenation of pepper in Idukki district	800.00	1031.51
Planning Board - Soil based Plant Nutrient Management Plan for Agro Ecological Zones	0.00	7.46
ICAR - AICRPS	6.98	2.67
DBT - Development of Micro Satellite Markers	0.00	0.75
ICAR - NAIP	0.00	11.30
CSIR - Inter Institutional Collaborative Research	3.12	5.75
Total	3750.73	2112.06



4. EXPORT ORIENTED PRODUCTION

The Spices Board is responsible for the overall development of cardamom (Small & Large) especially in terms of improving production, productivity and quality. For the production of clean spices for export, the Board is also implementing post harvest improvement programmes in other spices. As a special programme to contribute to the production of pepper, the Ministry of Commerce, Govt. of India, had sanctioned a pepper development programme in Wayanad district of Kerala and North East. This programme is being implemented by Spices Board since 2010-11. The different development programmes of the Board are included under the scheme "Export Oriented Production". In addition to this, Board is also implementing the project for development of pepper in Idukki District of Kerala with assistance from National Horticulture Mission (NHM) since 2009-10.

The different development programmes are implemented through the extension network of Regional Offices, Zonal Offices and Field Offices. The Board is maintaining five Departmental Farms in the major cardamom growing areas of Karnataka to cater to the planting material requirement of cardamom growers.

Export Oriented Production of Spices

The main objective of this scheme is to improve the productivity and production of cardamom (both small & large) and produce quality spices for export. The different programmes under the scheme export oriented production of spices are detailed below. During the first year of XII plan i.e., 2012-13, all the ongoing programmes of XI plan with the exception of rejuvenation programme in cardamom were continued.

Cardamom (small)

Cardamom (small) is grown mainly in the Western Ghats of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. The agro climatic conditions required for cardamom are humid and moderately cool climate, filtered light obtained from tree canopy, humus rich soil, well distributed rainfall and protection from heavy wind. The majority of the cardamom holdings are small and marginal. The total area under cardamom during 2012-13 was 69870 hectares. with an estimated production of 14000 tonnes. The programmes implemented for the development of cardamom small are given below :

(i) Replanting

The objective of this programme is to address the issue of old and uneconomic plantations of cardamom (small) in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. This programme is intended to encourage small and marginal growers to take up replantation of the old, senile and uneconomic plantations. In Kerala & Tamil Nadu, a per ha. subsidy of ₹39,171/- was given to small growers up to four hectares and ₹29,675/- to marginal growers having area from four to eight hectares. The assistance paid was 33 per cent and 25 per cent to small and marginal farmers respectively towards the cost of replanting and maintenance during the gestation period. In Karnataka, the per hectares subsidy given was ₹29,919/



- for holdings up to 4 hectares and ₹22,666/- for holdings from four to eight hectares, which being 33 per cent and 25 per cent respectively of the cost of replanting and maintenance during gestation period (subsidy provided for planting material production will be deducted from subsidy for replantation).

During 2012-13, 2250 hectares were brought under cardamom replantation and an amount of ₹6.682 crores was given as assistance to cardamom farmers. The number of beneficiaries given assistance for first installment were 5046 in Kerala and 1118 in Karnataka. Second installment subsidy were given to 4438 and 1089 beneficiaries in Kerala and Karnataka respectively.

(ii) Production and supply of quality planting materials

Production and distribution of disease free, healthy and quality planting materials were also taken up by Departmental Nurseries as well as certified nurseries opened in growers field.

(a) Department nursery

The seedlings produced in the five departmental nurseries were supplied to growers on a no loss no profit basis. During 2012-13, the nurseries produced 4,72,103 cardamom seedlings and 1007 nos. of cardamom suckers for distribution to cardamom growers.

Consequent to the visit of Secretary and Director (Dev), Spices Board to the departmental nurseries in Karnataka during January 2013, it was decided to constitute an advisory committee for monitoring the activities and works of departmental nurseries. The committee will consist of Deputy Director (Saklespur), Scientist-in-charge (ICRI), two Assistant Directors and two Field officers. During the visit Secretary and Director (Dev) also attended three seminars held at Madikeri, Saklespur and Sringeri and interacted with the farmers.

The advisory committee will monitor the activities of the departmental nurseries on a monthly basis.

(b) Certified nursery

In order to produce disease free, healthy and quality planting materials, certified nurseries were opened in growers' field under the technical supervision/guidance of Board's development staff. In Karnataka, the planting materials were produced through bed nurseries, poly bag nurseries and sucker nurseries by giving ₹1.25 per planting material as subsidy whereas in Kerala it was produced through sucker multiplication nurseries providing assistance of ₹1.75 per sucker. During 2012-13, 94 lakh planting materials of cardamom (small) were produced and assistance paid to 242 beneficiaries in Kerala & Tamil Nadu and 1036 in Karnataka.

(iii) Irrigation and land development

Irrigation during summer months is very much essential in cardamom plantations for getting a higher yield. This programme aims at providing water resources in cardamom plantations by constructing water storage devices like farm ponds and wells. Installation of irrigation equipments, soil & water conservation works were also supported.





The Board is implementing the programme in the States of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. The programme provides financial support to farmers by way of subsidy ranging from 25 to 50 per cent of the unit cost approved by NABARD.

During 2012-13, in Kerala, a total number of 1004 water storage devices and 420 irrigation equipments were installed. In Tamil Nadu, three water harvesting devices and two irrigation equipments were installed under the programme. In Karnataka, 34 devices and 78 irrigation equipments were assisted under this programme. The total expenditure towards payment of subsidy under the programme was ₹1.983 crores, covering an area of 1901 hectares.

(iv) Rainwater harvesting

A cheap method of providing irrigation to cardamom plantations is by harvesting rain water in the plantations. Excavated storage tanks lined with silpauline is widely adopted by cardamom growers because of its low cost and convenience. The Spices Board is popularizing this method for irrigating cardamom plantations in the states of Kerala, Karnataka and Tamilnadu.

It is estimated that a storage tank of 200 cubic metre capacity can store about two lakh litres of rain water, which is sufficient to provide 10 – 12 rounds of irrigation in a cardamom plantation of 0.8 hectares. The cost of such a tank is estimated to be around ₹24,000/- (₹16,000/- for excavation work and ₹8,000/- for silpauline sheets). Subsidy @ 33.33 per cent of the actual cost, limited to ₹8000/- is allowed for the construction of one 200 cubic metre capacity tank to registered small and marginal growers of cardamom.

During 2012-13, 144 devices were constructed at total subsidy of ₹0.074 crores.

(v) Improved cardamom curing devices

Cardamom is dried in traditional curing houses using firewood as fuel. Sun drying is not popular due to the loss of green colour during the process. Wood is also required for the construction of curing houses, racks to spread the cardamom and to provide false ceiling in the curing houses to preserve the heat. As the productivity in cardamom is registering an upward trend year after year, the firewood requirement is also increasing and the growers are forced to meet their requirement of firewood, either from the market or by resorting to cutting trees, thereby leading to degradation of forest cover.

Few innovative growers are installing improved cardamom curing systems using alternate fuels, viz., Diesel, LP Gas which gives their produce better colour and cost effective drying. These driers are eco-friendly, labour saving and easy to operate. The harvested green cardamom can be put in to the drying chamber of these new curing systems after washing, instead of spreading it on the trays as is practiced in the conventional drying. The drying time is reduced from 28 – 36 hours to about 20 hours in these driers.





The objective of the programme was to popularize the improved cardamom curing devices among the small growers of Kerala, Karnataka and Tamilnadu by providing 33.3 per cent of the actual cost of drier as assistance subject to a maximum of ₹60,000/- per device. Non-subsidy portion will be met by the growers from their own funds or through institutional finance. Spices Board has prepared a list of approved suppliers and upper ceiling cost for driers of various capacities. The driers are to be purchased from approved suppliers.

During 2012-13, Board had assisted installation of 124 nos. of improved cardamom curing devices at a financial outlay of ₹0.702 crores.

Development Programmes for NE Region

Cardamom (large) – Sikkim and Darjeeling district of West Bengal

Cardamom (large) is mainly grown in the sub Himalayan tracts of Sikkim and Darjeeling district of West Bengal. The total area under cardamom (large) during 2012-13 was 26060 hectares with an estimated production of 4145 tonnes. Non-availability of quality planting materials, presence of senile, old and uneconomic plants, incidence of blight disease are the major factors affecting cardamom (large) production.

In order to improve production and productivity of cardamom large, the following programmes were implemented during 2012-13.

(i) Replanting

The programme is intended to encourage the growers to take up replantation of old, senile and uneconomic gardens. A per hectare subsidy of ₹12,500/- is offered to small growers and ₹9,500/- to marginal growers, which being 33 per cent and 25 per cent respectively of the cost of replanting and maintenance during gestation period. (subsidy offered for planting material production will be deducted from the subsidy for replantation).

During 2012-13, an area of 1151 hectares was brought under replanting at a total expenditure of ₹1.122 crores. The number of beneficiaries covered was 2763 under first installment and 1680 under second installment.

(ii) Production of planting materials through certified nurseries

For making available quality planting materials to the growers, Board gives assistance @ ₹1.15 per sucker for raising of sucker nurseries in farmers' field.

During 2012-13, 102 lakhs cardamom planting materials were produced from the certified nurseries opened during the previous season in growers field. The financial expenditure made was ₹1.173 crores with assistance given to 1348 beneficiaries.





(iii) Rainwater harvesting

The programme for rainwater harvesting using devices made of earth excavated pits lined with silpauline sheets which is being implemented in the States of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu for cardamom (small) is also replicated in North Eastern States for various spices. The terms and conditions and subsidy provided are same as that for cardamom (small).

During 2012-13, 35 rainwater harvesting devices were constructed providing a subsidy of ₹0.007 crores.

(iii) Curing houses (modified bhatti)

The cardamom (large) growers traditionally cure their cardamom in the locally fabricated bhatties. This does not ensure proper drying and ideal colour in the cured cardamom. Board had introduced and evaluated a number of curing methods using different fuels and has selected a system which gives best quality. In order to popularize this method, Board is providing subsidy @ ₹5,000/- for 200 kg capacity and ₹9,000/- for 400 kg capacity drier respectively.

During 2012-13, 29 modified Bhatties were set up at a total subsidy of ₹0.020 crores.

Development of spices in other North Eastern States

Pepper, Chilli, Ginger and Turmeric are extensively cultivated in the North Eastern States. Some of the indigenous varieties viz., 'China', 'Nadia', and 'Thingpui' in Ginger, 'Lakadong' in Turmeric and 'Birds eye' and 'Naga' in chilli are considered rich in oil, curcumin content and capsaicin content respectively. The agro – climatic conditions prevailing in NE States are suitable for the cultivation of pepper, cardamom (large), ginger, chilli, turmeric etc., and these crops can be profitably grown in these regions for making available more spices for export. The greatest advantage of the spices produced in these regions is that, they are organically produced and thus organic cultivation of these spices is promoted.

The major constraints noticed in the development of spices in NE region are lack of an organized marketing system and lack of know-how on cultivation and post harvest practices. Spices Board therefore, is implementing an integrated scheme for the development of spices in North East.

(i) Cardamom (large) – new planting

Cardamom (large) cultivation is presently concentrated in Sikkim and North West Bengal. The agro-climatic conditions prevailing in other NE States are suitable for cultivation of cardamom (large).

The scheme envisages to extent cardamom (large) cultivation in these areas by providing ₹17,500/- per ha. as subsidy towards cost of planting material and maintenance during gestation period.

During 2012-13, 350 hectares have been planted with cardamom (large) seedlings raised in the certified nurseries opened during the previous season at a total assistance of ₹0.588 crores. This programme was mainly taken up in the states of Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland.





(ii) Rainwater harvesting

The programme of rainwater harvesting which is being implemented in the southern states as well as Sikkim for cardamom is being replicated in North Eastern States also for various spices. The terms and conditions and subsidy provided are same as that for cardamom.

During 2012-13, 10 rainwater harvesting devices were constructed providing a subsidy of ₹0.004 crores.

(iii) Curing Houses (Modified Bhatti)

The cardamom (large) growers traditionally cure their cardamom in the locally fabricated bhatties. This does not ensure proper drying and ideal colour in the cured cardamom. Board had introduced and evaluated a number of curing methods using different fuels and has selected a system which gives best quality. In order to popularize this method, Board is providing subsidy @ ₹5,000/- for 200 kg capacity and ₹9,000/- for 400 kg capacity drier respectively.

During 2012-13, four modified bhatties were set up at a total subsidy of ₹0.004 crores.

(iv) Organic Lakadong turmeric

Lakadong Turmeric is having high curcumin content (5.5 per cent) and hence suitable for extraction of colour. This variety is highly location specific and is very much preferred by the exporters for extraction of the colour. Availability of quality planting materials is a major limiting factor in its production and an assistance of ₹12,500/- per hectare. towards 50 per cent of the cost of planting material is provided under this programme. This programme is implemented with the assistance of Government/Non-Governmental agencies.

During 2012-13, an area of 911 hectare has been covered under Lakadong Turmeric paying a subsidy of ₹1.207 crores. The total beneficiaries under the scheme were 1072.

(v) Organic Ginger

Ginger varieties like Nadia and China are having higher oil content and hence are suitable for exports. During XI Plan period, to promote production of these varieties organically in NE states, ₹12,500/- per ha. was provided as assistance towards 50 per cent of the cost of the planting materials. This programme was continued in 2012-13 also.

During 2012-13, 1018 hectares were brought under cultivation providing ₹1.242 crores as subsidy. The total beneficiaries under the scheme were 1134.

(vi) Training of officers and farmers of NE states

Board arranges training programmes for the officers of the State Agri/ Horti. Departments and growers of North Eastern States on the recent advances in the areas of cultivation, harvest and post harvest techniques of spices. The training is arranged in alternate years for officers and every year for farmers.





During 2012-13, 45 farmers of the NE states were trained at Indian Institute of Spices Research, Calicut; KAU, Thrissur; ICRI, Myladumpara; Spices Board Quality Lab, Cochin and spice processing units. An amount of ₹0.042 crores has been expended under the programme.

Programmes for Other Spices

(i) Seed spice Threshers

The harvesting and post harvest practices followed by some farmers of seed spices are unhygienic which results in contamination of the products with foreign matters like stalks, dirt, sand, stem bits etc. The seeds are separated by beating the harvested and dried plants with bamboo sticks or rubbing the plants manually by hand or trampling under the feet of the cattle. In order to separate the seeds from the dried plants and to produce clean spices, Board popularizes the use of threshers which are operated manually or with power.

The cost of such a power and manual thresher are estimated as ₹1.00 lakh and ₹30,000/- respectively. The assistance provided is 50 per cent of the cost subject to a maximum of ₹50,000/- for a power thresher and ₹15,000/- for a manually operated thresher.

During 2012-13, 41 power operated threshers were given assistance at a total subsidy of ₹0.185 crores.

(ii) Pepper threshers

The objective of this programme is to assist the pepper growers to acquire threshers to separate pepper berries from spikes under hygienic condition. Pepper growers having a minimum of 500 vines are eligible to avail the programme. The subsidy offered is ₹7,000/- per thresher irrespective of the capacity of the equipment.

During 2012-13, assistance was provided for 510 pepper threshers at a financial outlay of ₹0.357 crores.

(iii) Turmeric steam boilers

The programme is intended to assist the turmeric growers to adopt improved scientific methods of cooking using boilers and perforated trough made of GI or MS sheet extended with parallel handle. This ensures optimum cooking of turmeric, which provides better colour and quality to the final produce. Hence the use of large scale turmeric boilers is popularized among growers for production of quality turmeric suitable for exports. The subsidy provided under this programme to turmeric growers groups/NGOs is 50 per cent of the cost of the boiler or ₹1.20 lakhs per boiler whichever is less.

During 2012-13, two turmeric steam boilers were given assistance at a financial outlay of ₹0.024 crores.





(iv) Promotion of Integrated pest Management in chilli (IPM)

In order to reduce the pesticide residues in chilli and make available quality produce for export, the programme of integrated pest management in chillies is taken up. The Board has implemented this programme in Guntur, Warangal, Karim Nagar, Prakasam and Kurnool districts of Andhra Pradesh; Khargaon district of Madhya Pradesh (pilot basis); Dharwad, Bellary and Bhagalkot district of Karnataka by supplying IPM kits containing pheromone traps, bio agents like Trichoderma, Trichogramma, neem based pesticides, Bt, HNPV, SNPV etc at an estimated cost of ₹2000/- per ha. This comprises 50% of the cost of the IPM package.

During 2012-13, Board has continued implementation of the programme with the help of Spice Extension Trainees under the supervision of Board's Officers. An area of 11303 hectares has been covered under IPM in chillies and the financial expenditure made is ₹2.199 crores.

Post Harvest Improvement of Spices

(i) HDPE/Silpauline sheets for drying of Spices

In order to dry spices viz. pepper, chillies and seed spices under hygienic conditions, the Board subsidizes the supply of HDPE/Silpauline sheets to the small and marginal growers. The Board arranges centralized supply of sheets at subsidized cost of 33 per cent, 50 per cent and 90 per cent for farmers under general category, scheduled caste and scheduled tribes respectively. The non-subsidy portion is met by the growers.

During 2012-13, 14150 HDPE/Silpauline sheets were distributed to spice farmers of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat and Rajasthan at a total financial outlay of ₹3.254 crores.

(ii) Bamboo mats for drying pepper

The programme is intended to encourage the small and marginal pepper growers to dry pepper on hygienic bamboo mats coated with paper-fenugreek paste.

During 2012-13, the Board had supplied 3775 bamboo mats of size 12' x 6' at 90 per cent subsidy to tribal growers and 50 per cent subsidy to other category of growers. A subsidy of ₹0.065 crores has been spent under the programme.

(iii) Training programme for quality improvement of spices

The Board is regularly conducting quality improvement training programmes for farmers, officials of State Agri./Horti. Department, traders, members of NGOs for educating them on scientific methods of pre/post harvest & storage operations and updated quality requirements for major spices.

During 2012-13, training programmes for farmers were conducted benefiting 23392 spices growers in 489 centres. 1508 officials of State Agri/Horti. Dept. in 32 centres, 117 traders in four centres and 322 representatives of NGOs in nine centres were trained under this programme. 11 Regional seminars benefiting 1174 participants were also conducted.



The total number of personnel trained under the above programme was 26413 in 545 centres. The budget is met under HRD.

Promotion of Organic Farming

Internationally, the niche market for organically produced spices is growing at a fast rate. Early entry into this segment will improve the exportability and demand for Indian spices. In addition, availability of organically grown spices will help the country to withstand competition from other countries. The major bottlenecks in promoting organic farming are non-availability of organic farm inputs and high cost of organic certification of farms and processing units.

In order to promote organic production of spices, programmes like organic farm certification assistance, support for setting up vermi-compost units, promoting organic cultivation of spices were implemented in 2012-13.

(i) Organic Farm Certification

The programme aims to help growers/processors of spices in acquiring organic certification which is a pre-requisite for marketing organic spices.

Under this programme, Board provides assistance to group of farmers, NGOs and Farmers Co-operative Societies/Associations in acquiring certification for their farms/processing units by meeting 50 per cent cost of the certification, subject to a maximum of ₹75,000/-. Individual farmers and processors are eligible for 50 per cent of the cost of certification subject to a maximum of ₹25,000/- per certification.

In 2012-13, assistance to the tune of ₹0.068 crores has been provided to 10 NGOs/groups covering an area of 3182.68 ha. benefiting 2063 farmers.

(ii) Vermicompost units

There is need to produce organic inputs in the farm itself to maintain soil fertility and to support organic production. In order to enable the growers to produce organic farm inputs, particularly vermicompost, Rs.2000/- is offered as grant-in-aid to growers to set up a unit with one ton output of vermicompost.

During 2012-13, 675 vermicompost units were set up and the financial expenditure made was ₹0.135 crores.

(iii) Organic cultivation of Spices

Since the market for organic products is gradually registering an upward trend, there is large scope for promoting organic cultivation of spices in suitable locations. The Board is assisting growers for taking up organic cultivation of spices by giving a subsidy of 12.5 per cent cost of production subject to a maximum of ₹5,000/- per hectare. The programme will be implemented with the participation of selected NGOs by paying them retention fee @ ₹500/- per ha. and ₹250/- per hectare is given for





meeting the cost of organic certification. These expenses will be deducted from the total amount of subsidy and balance only will be paid to the beneficiaries.

During 2012-13, 1166 hectares have been brought under organic cultivation of spices, which includes 40 hectares of Nagachilli in Arunachal Pradesh, 366 hectares under Byadagi chilli in Dharwad, Karnataka and 760 hectares under Seed Spices in Gujarat and Rajasthan releasing subsidy to the tune of ₹0.538 crores.

Extension Advisory Service

Transfer of technical know-how to growers on production of spices is an important factor in increasing productivity. This programme envisages technical/extension support to growers on the scientific aspects of cultivation through personal contact, field visits, group meetings and through distribution of literature in vernacular languages for cardamom (small) in the states of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, development of cardamom (large) in the states of Sikkim and West Bengal and selected spices in the North East and small pockets across the country.

Besides extension advisory service, the production and post harvest programmes of the Board under the scheme "Export Oriented Production" are implemented through the extension network.

The pay and allowances of the staff in the Development Department, their TA/DA, expenditure on vehicle, office establishment and other contingencies are met under this programme.

During 2012-13, 49679 visits were conducted and 3260 meetings were organized for cardamom (small & large) in the States of Kerala, Tamil Nadu & Karnataka, Sikkim & Darjeeling District of West Bengal and the North Eastern States. The expenditure made under extension advisory scheme was ₹13.431 crores and ₹0.893 crores under outsourcing.

Development of Pepper in Wayanad District of Kerala & North Eastern States

The Ministry of Commerce, Govt. of India has approved a scheme for development of pepper for implementation in Wayanad and North Eastern States in 2009 for a period of five years. The activity components taken up under the programme in Wayanad are replanting/ rejuvenation, planting material production, integrated disease management and production of organic inputs. In North Eastern States, replanting/ rejuvenation and planting material production are the programmes being implemented.

In 2012-13, under replantation / rejuvenation programme an area of 4117 hectares has been covered in Wayanad and 710 hectares in North Eastern States providing subsidy of ₹6.876 crores and ₹0.810 crores respectively. 43 lakhs pepper rooted cuttings in Wayanad and eight lakhs in North Eastern states were produced and assistance given was ₹0.664 crores and ₹0.460 crores respectively. 1014 hectares have been covered under integrated disease management and 52 vermicompost units were assisted in Wayanad at an assistance of ₹0.145 crores and ₹0.025 crores respectively.

The total expenditure made under this scheme in 2012-13 was ₹8.980 crores.





Project on development of pepper production in Idukki district of Kerala assisted under National Horticulture Mission (NHM)

As an Agency concerned about the plight of Indian pepper industry and in response to the invitation from various quarters of the industry and directions from the Ministry of Commerce, Spices Board volunteered to workout a proposal on production development of pepper in Idukki District of Kerala in line with NHM guidelines which evolved as a project for implementation in the district with financial assistance from NHM. The project has been approved for implementation for a period of 5 years from 2009-10 at a total outlay of ₹230.58 crores with assistance from NHM to the tune of ₹120.00 crores. The objective of the project is to address the issue of non-availability of sufficient planting material, low productivity/ production, non-availability of organic inputs, adoption of pest management and bridging the technology gap by implementing programmes like establishment of certified nurseries, replanting/rejuvenation of senile plantations, setting up of vermicompost units, promotion of integrated pest management and training on planting material production and good agricultural practices. Growers selected under the project are given financial assistance as cash subsidy on satisfactory completion of the programmes in their farms/plantations. The project will also serve as a measure to mitigate agrarian distress in Idukki district as recommended by Dr.M.S.Swaminathan Research Foundation.

(i) Production of planting material

Planting materials required for replanting/rejuvenation will be produced through small scale certified nurseries opened in growers' field. Growers who are having own arrangements for production of planting material could use planting material from the mother plants of their farm which are certified by Spices Board officials. This approach will ensure use of high yielding good quality planting material acclimatized to the locality where replanting/ rejuvenation takes place and will eliminate the chance of high rate of mortality due to transportation shock.

During 2012-13, 62 lakh rooted pepper cuttings were produced for taking up replantation/ rejuvenation. The subsidy @ ₹1.50 per rooted cuttings was given to the farmers. 1,68,471 numbers of pepper nucleus planting materials were collected from various Research Institutions and supplied to 1685 pepper farmers for multiplication and field level planting. An amount of ₹0.959 crores was utilized under this programme.

(ii) Replanting/ rejuvenation of senile plantations

Under this component, senile, disease affected and poor yielding vines in the existing plantations are replanted/ rejuvenated with healthy, disease free planting materials of high yielding local cultivars and identified traditional/improved varieties which are adaptable to the habitat. The scale of assistance @ ₹15000/- per hectare was given under this programme.

7091 hectares has been replanted/ rejuvenated during 2012-13 and an amount of ₹6.814 crores has been distributed as subsidy to 18759 beneficiaries as 1st installment and 13201 beneficiaries as 2nd installment.





(iii) Promoting production of organic inputs

Depletion of organic matter in the top soil of pepper farms is due to unscientific cultivation practices, excessive use of chemical fertilizers and opening of canopy. This has necessitated replenishment of organic matter/humus in the soil. This can be easily done through application of vermicompost.

One of the major bottlenecks in promoting organic farming is non-availability of organic input like vermicompost. It is therefore necessary to produce organic inputs in the farm itself to maintain soil fertility and to support organic production. Vermicompost is considered as a potential soil enrichment input as well as a soil re-conditioner. Under this component assistance @ ₹3000/- per unit was given. Assistance was given for construction of 206 vermicompost units and an amount of ₹0.050 crores have been paid as subsidy in 2012-13.

(iv) Promotion of Integrated Pest/ Disease Management

Indiscriminate use of chemicals especially copper based fungicides and pesticides has resulted in the damage of micro flora and fauna in the soil. Proper cultivation practices and biological control of diseases can only revive the health of the soil and sustainability of the crop. Only in extreme cases farmers need to be advised to resort to chemical control of diseases. Through this activity, farmers will be given bio-inputs such as Trichoderma and Pseudomonas as well as copper sulphate at subsidized rates. A total of 105,553 kgs of copper sulphate were supplied to 11965 beneficiaries.

Fund utilized under IPM was ₹0.917 crores. The maximum assistance of ₹1000/- per hectares was provided. An area of 10555 hectares has been brought under the programme in 2012-13.

(v) Establishment of leaf/tissue analytical unit

A Leaf/Tissue Analytical unit has been established at ICRI, Myladumpara for the benefit of pepper farmers in the district. An amount of ₹0.0822 crores have been spent on this unit during 2012-13.

(vi) Disease forecasting unit

A Disease Forecasting Unit has been established at ICRI, Myladumpara for the benefit of pepper farmers. An amount of ₹0.0563 crores have been spent on this unit during 2012-13.





5. EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION

The objective of the Export Development and Promotion programmes which are being implemented by the Marketing Department is to accelerate export of quality spices from the country. The schemes focus upon enhancing the quality of spices exported from India besides giving accent to value addition of spices. In the global scenario of ever-revolving regulatory and customer driven regime which calls for satisfying the ever-demanding requirements it has become necessary to equip Indian spice exporters with latest processing technologies for sustaining and increasing current and potential export markets for Indian spices. The marketing activities of the Board also include regulating the domestic marketing of Cardamom through e-auction system.

Licensing and Registration forms a part of the regulatory functions of the Board. The exports of spices are regulated through the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 while the domestic marketing of cardamom is regulated through Cardamom (Licensing & Marketing) Rules 1987. As per these rules, any person desirous of doing business in cardamom as auctioneer or dealer has to obtain a licence. The exporters of spices have to obtain certificates of registration from the Board. These certificate/licenses are issued for a block period of three years commencing from September onwards.

During 2012-13, the Board issued 1196 numbers of Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) and 89 numbers of Cardamom (Small and Large) dealer licenses.

The quality specifications stipulated by the buying countries are disseminated to the exporters on a regular basis. Exporters are also given updated information on the opportunities emerging in different markets, new uses and applications in food and non-food sectors by conducting market studies. In order to facilitate smooth trading activities, during the year, Board has initiated to issue Identity Card to registered exporters as well as registered estate owners of cardamom. During the year 2012-13, 1220 nos. of ID cards were issued to registered cardamom growers.

EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION PROGRAMME

Adoption of Hi-tech & Technology and Process Up-gradation

In order to encourage high-end value addition in spices processing, through advanced technology, for better value realization and ensuring food safety and up-gradation of quality standards of the product to match international quality requirements, the programme offers grant-in-aid to the exporters for adopting hi-tech in spices processing and upgrade their existing technologies/facilities. The level of assistance is 33 per cent of the value of machinery/equipments for processing and packing, electrical installations and consultancy charges with a maximum of ₹1.00 crore per beneficiary for general areas and 50 per cent of the cost or ₹1.00 crore, whichever is less for special areas including North Eastern region. The scheme for Technology up-gradation also offers same level of financial assistance to support exporters to upgrade their existing processing/packing facilities to manufacture products of high-end value addition and quality standards to match the requirements of foreign buyers.

During the year 2012-13, total financial assistance of ₹642.81 lakh was extended to 44 exporters for adoption of hi-tech in spice processing and for technology up-gradation of processing units.





Setting up/up-gradation of QC Lab

The programme envisages, assistance to exporters who propose to set up/upgrade in-house quality control laboratories to establish facilities to undertake analysis of various parameters on quality of the products including detection of pesticide residues, Aflatoxin, physical, chemical and microbial contaminants. Assistance is limited to 33 per cent of the cost of laboratory equipments/instruments, glassware, laboratory furniture and other accessories including electrical installations and consultancy charges for setting up/up-gradation of quality control laboratories. During 2012-13, 7 exporters have availed the facility and the total grant-in-aid released was ₹31.58 lakh.

Quality certification, validation of check samples and training of laboratory personnel

Spices Board assists exporters of spices for acquiring quality systems like ISO, HACCP and such quality certifications in their units. Board will also give assistance towards the cost of analytical charges for validation/ standardization in laboratories abroad and charges/expenses for upgrading technical knowledge of laboratory personnel of the exporters in reputed international laboratories preferably approved by USFDA, EU, etc. Assistance is limited to 33 per cent of the cost. But no exporter availed this facility during the period under report.

Sending business samples abroad

For finalizing the transactions on the basis of samples and to have more clarity in dealings and also to eliminate the possibility for trade disputes on quality aspects, dispatch of samples play an important role, and the Board is providing assistance for sending business samples of spices and spice products to abroad. Under the programme, the Board will reimburse to a maximum of ₹50,000/- per year to registered manufacturer exporters of spices having Spices House Certificate/Spices Board Logo or Certified grower exporters of organic spices and registered brand exporters. During 2012-13, the Board extended financial assistance totaling of ₹7.21 lakh to 17 exporters of spices.

Printing promotional literatures/brochures

Printing promotional literatures/brochures, video films/CDs and other electronic modes to project competencies and capabilities of exporters and the range of products and services offered to the prospective buyers abroad is supported by the Board. Qualified exporters of spices/spice products who have SHC/ Logo/ Brand registered with the Board/ Organic certification are eligible to avail the assistance. Financial assistance is provided @ 50 per cent of the cost subject to a maximum of ₹2.00 lakh per brochure and such assistance will be extended maximum twice per exporter during the plan period. Details of the schemes have been provided to the exporters to enable them to avail this assistance for export promotion. No exporter availed this facility during the period under report.

Packaging development and bar coding registration

Under this programme financial assistance is provided for improving the existing packaging and develop modern packaging for increased shelf life, reduce storage space, establishing traceability and better presentation of Indian spices in markets abroad. All registered exporters are eligible to avail the assistance under this component. Assistance is to the tune of 50 percent of the cost of packaging development and bar coding registration subject to a ceiling of ₹1.00 lakh per exporter per year. No exporter availed this facility during 2012-13.



Market Development Assistance (MDA)

Exporting companies with an FoB value of exports effected upto ₹15.00 crore in the preceding year, are eligible for assistance under the MDA guidelines of the Ministry of Commerce and Industry for participation in trade delegations/buyer–seller meets/fairs/exhibitions abroad to explore new markets for export of their specific products and commodities from India in the initial phase. Export promotion programmes in specific regions abroad like Focus (LAC), Focus (Africa), Focus (CIS) and Focus (ASEAN + 2) will be considered for extending financial assistance under this programme. The assistance is for airfare in Economy/Excursion class and / or charges of the built up furnished stall subject to an upper ceiling per participation to eligible spice exporters.

Grant in aid for participation of exporters in international trade fairs/exhibitions

The programme envisages financial assistance to individual exporters who have obtained Indian Spice Logo/Spice House Certificate/Certified grower and exporter of organic spices and those exporters whose Brand names have been registered with the Board.

The assistance is in the form of reimbursement of Airfare (Economy Excursion class) for visits to trade fairs subject to a maximum of ₹60,000/- for Logo/SHC/holders and ₹40,000/- for holders of registered brand and organic certificate per exporter per year. In case of hiring independent stall, the extent of assistance will be 50 percent of the cost per exporter subject to ceiling of ₹1.00 lakh.

The Board extended financial assistance of ₹4.76 lakh to 6 exporters under the MDA Scheme and Participation of Exporters in International Trade fairs/exhibitions during 2012-13.

Participation of exporters in delegation/ meetings/ international trainings

Qualified representatives from exporter's associations/forum are assisted to participate in the international meetings/seminars/delegations by extending financial assistance up to 50 per cent of the airfare (economy excursion class) subject to ceiling of ₹1.50 lakh per exporter per year. Spices Board organized five such delegations during 2012-13 by spending ₹14.79 lakh with involvement of some of the leading exporters of spices.

Market study abroad

Market survey by the Board would help to find out the strengths, weakness, opportunities and threats for Indian spices and since this is being done by the Board with its own senior marketing staff would result in yielding better results and consistency in approach. The study will also look at the possibility of marketing a basket of Indian spice products identified by the Board in addition to the product/products in which the prospective exporters are interested. In view of the meetings/interactions with importers, super market operators, processors etc., International Trade Fair participation is a good platform for sharing the knowledge of distribution channels, processing, packaging, positioning, promoting the product, market dynamics, prevailing regulations and consumer preference in the importing countries. The Board conducted 10 such studies by spending ₹1.28 lakh during the period under report.



Brand promotion loan scheme

Under this programme financial assistance towards interest free loan upto 100 per cent of slotting/ listing fee and promotional measures and 50 per cent of the cost of product development subject to ₹2.50 crore per brand, is provided to position specified brands in the identified outlets and selected cities abroad and to undertake necessary promotional measures for brand building like media promotion, promotional trips abroad and participation in international fairs. Under the scheme, loan assistance of ₹5.00 crore for brand buyout is also involved. The Board had released an amount of ₹32.85 lakhs towards second installment of loan to one exporter during the year.

Indian spice logo

Indian spice logo which denotes the quality of spices is awarded to manufacturer exporters of spices and the Logo is registered in important countries abroad. As per the new amendments approved by the Government, the Logo is now extended to packs of any unit weight to enable the manufacturers to get the Logo on their packs. The logo holder can affix this symbol of quality on their consumer packs as a mark of 'Indianness and Quality'. However, the Board did not issue Logo to any exporter during the period under report.

Spice House Certificate

The Spice House Certificate is awarded to those exporters of spices who have installed required facilities for cleaning, processing, grading, packaging and warehousing and quality assurance. Only those exporters who have acquired ISO & HACCP/GMP certificate are eligible for Spice House certificate. At present 33 units have been awarded with Spice House Certificate (SHC). Board is now in the process of amending the rules and regulations including audit procedures for issuing SHC to processing units.

Registration of brand name

The objective of the programme viz., registration of brand name is to support export of spices/spice products in consumer packs under Indian brand names and gain market share in the fast growing market of branded consumer packs. The Board has specified packing standards for different spices for different unit weights in consultation with Indian Institute of packaging. Currently, 48 exporters have their Brand name registration with the Spices Board.

In consideration of the brand promotion of spices the present system of registration of brand is changed. Accordingly all brand registered exporters have to renew their registration after every three years. Five exporters renewed their Brand name registration with the Board for a further period of three years during the year 2012-13.

Product development & research

Under this programme financial assistance is provided to exporters/research institutions to undertake product research and development based on spices. This would include development of new products, clinical trials and patenting of the new products for export. During the year under report, financial assistance to the tune of ₹24.17 lakh has been extended to five exporters under this component.



Establishment of Spices Parks

(i) Jodhpur, Rajasthan

The Govt. of Rajasthan had allotted around 60 acres of land in Rampura Bhatia village, Osian Taluk in Jodhpur district at free of cost for establishing the Spices Park. The establishment of the Spices Park is completed and started the trial production.

(ii) Guna, Madhya Pradesh

Government of Madhya Pradesh had allotted 100 acres of land to the Board on lease basis for establishing the Park. The work related to the establishment of the Park is almost completed and the Park was officially inaugurated in March, 2013. The project is established under the financial support from ASIDE.

(iii) Guntur, Andhra Pradesh

The Board has acquired 124.78 acres of land in Edlapadu Mandal in Guntur district from Government of Andhra Pradesh for setting up of Spices Park. The civil work related to the basic infrastructure like internal roads, compound wall, drainage etc are almost completed. The civil works related to Administrative Block, Plant Building, Power station etc., are nearly completed and electrical line to the factory is also charged. The Board is also proposing to establish additional infrastructure facilities like finished Goods Godown, Canteen Building and Boiler House etc., in the premises and tendering work for these facilities is in progress. The Board has established a full line processing facility for Chilli and its trial run is completed. Work on steam sterilization unit with 500 Kg/ hour capacity is in progress. The Board has already allotted 35 acres of land to the prospective exporters for developing their own processing plant in the park. The first phase of the project is completed and is ready for inauguration.

(iv) Shivangai, Tamil Nadu

The Board has acquired land admeasuring 72.70 acres in Kottagudi Village, Shivangai Taluk from the Government of Tamil Nadu for setting up the Spices Park. The civil works related to basic infrastructure like Compound wall, drainage, Administrative Block, four numbers of Godowns, two Plant Buildings, Canteen building, etc., are nearing completion. All other work related to the construction of internal roads, construction of Power Station, electrification and Overhead Water storage are in progress. The Board has established one full line processing system for Chilli and another full line system for Turmeric. The Board has invited EOI for leasing out of land available in the Park to the exporters of Spices for developing their own processing plants. The allotment of the land is in progress. The first phase of the project is almost completed.

(v) Kota, Rajasthan

The Govt. of Rajasthan has allotted around 12.14 hectares of land in Ramganj Mandi of Kota district for setting up of Spices Park. The work related to the establishment of the Park is in progress and all the work will be completed by end of 2013. The Board has allotted land to prospective exporters for developing their own processing plant in the Park.



(vi) Mehasana, Gujarat

The Govt. of Gujarat has allotted around 90 acres of land to Spices Board at Visnagar Taluk of Mehasana District. The works related to the establishment of the Park is pending due to court case filed by the local people.

Establishment of Quality Evaluation Lab cum training centres

(i) Narela, New Delhi

Completed the establishment and started functioning on trial basis.

(ii) World Trade Avenue, Tuticorin

Completed the establishment and started functioning on trial basis

(iii) Gandhidham, Kandla

Kandla Port Trust has allotted 40 cents of land to Spices Board on lease at plot No.22-A in Gandhidham Township for setting up of Quality Evaluation Laboratory cum Training Centre. The civil work of the lab building has been started. The work is expected to be completed by March 2014.

(iv) Baruipur, Kolkata

The Kolkata Metropolitan Development Authority (KMDA) has allotted one acre of land to Spices Board for establishing the project. The Board had completed the preliminary works related to the establishment of the project. Tenders have been called for civil works and same is under process.

Establishing a Collaborative Training Center (CTC) for capacity building on food safety in the supply chain management in spices

Food safety and supply chain management are matters of concern all over the world. With new stringent legislation being adopted in importing countries, implementation of Food Safety in supply chain management in spices has become matter of paramount importance.

In order to address this challenge of quality and food safety, the Spices Board in collaboration with Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), University of Maryland, USA and Confederation of Indian Industries-Food and Agriculture Center of Excellence (CII-FACE) has established a Collaborative Training Center (CTC) for capacity building on food safety in the supply chain management in spices and botanical ingredients and planned three phase training programme.

The first phase of the training programme was held in Cochin and 2nd phase of the programme at USA now completed, the Board is in the process of preparing to launch 3rd phase of the training in supply chain management and to train a large number of master trainers in different spice producing States. These master trainers in turn will train the grass root level stake holders of the supply chain (farmers and farmers associations) to implement good agricultural practices at the field level by involving State Horticulture Departments, State Horticultural Mission and other organizations and associations concerned with this issue. The Board proposes to complete training all the master field trainers programmes by December 2013-January 2014 to facilitate the field level implementation training to farmers on food safety management and Good Agricultural Practice during the next season.





Mandatory sampling and testing of export consignments

The Board continued mandatory sampling and analysis of export consignments of chilli and chilli products and turmeric powder for the presence of Sudan dye I-IV and Aflatoxin, besides the analytical services offered to exporters for the analysis of illegal dyes like Para Red, Rodamine B and Butter Yellow, Sudan Red 7B, Sudan Orange G, Sunset Yellow and other pesticide residues. During 2012-13, mandatory sampling and testing introduced for pesticides such as Ethion, Iprobenphos, Triazophos and Profenofos on export consignments of chilli and chilli products and cumin and cumin products (excluding oils & oleoresins) to Japan. Similarly, mandatory testing was introduced for export consignments of Curry Leaves to European Union for pesticides such as Profenofos, Triazophos and Endosulfan during this period. During the period under report, 16940 numbers of samples were drawn from export consignments of chilli/ chilli products and turmeric from Cochin Region and sent to QC Lab for analysis. Submission of intimation for sampling and stuffing was done online.

The marketing department of the Board with its regional offices continued the activities of sampling and stuffing of export consignments under mandatory sampling, assignment and monitoring of surveyors for sampling and stuffing work, issuing of analytical reports, collection of analytical charges from the exporters, surveillance inspection and follow up with regard to the destruction of contaminated export consignments. Monitoring/ surveillance inspections were also conducted at the time of sampling by the sampling agencies and consignments subjected to Sudan detection were destroyed with the help of FSSAI.

Participation in International meetings and seminars

(i) ASTA Annual Meeting & Exhibition

Spices Board participated in the 2012 ASTA Annual Meeting at Ritz Carlton, Amelia Island, Florida, USA during 22nd to 25th April, 2012. Chairman and Senior Scientist (QC), attended the meeting. The major focus of the meeting was 'Global food safety initiative: Rising the bar on Food Safety performance and Current status of the Food Safety Modernization Act- Focus on imported foods.

(ii) ESA 2013 Technical Commission's Meeting

The Board participated in the European Spice Association (ESA) Technical Commission's Meeting was held in Gothenburg, Sweden during 13th to 15th, June 2012. Mr. Bart Schulte, France Spice Association chaired the Technical Commissions' Meeting. Mr. Gerhard Weber, Secretary General, ESA and Mr. Helmut Mank Germany Spice Association were also present in the meeting. About 40 delegates from different countries also attended the Sessions and Meetings. The major outcome of deliberations during the TC meeting with regard to Indian spice industry are; Metal detection in herbs and spices/ magnetic particles in black pepper, Non-Products of Animal Origin (POAO) regulation.

(iii) IPC Session and Meetings

The 40th Session and other meetings of IPC from 30th October to 2nd November 2012 were held at Mount Lavinia Hotel, Colombo, Sri Lanka. Director (Mktg.) represented in the IPC meetings & Session as the delegate of Spices Board. The 'Country Paper' on India was presented in the meeting.





(iv) Discussion with USFDA Officials on Spice Export

Chairman & Sr. Scientist(QC), Spices Board held a meeting with USFDA officials on 26th April, 2012 at Center for Food Safety and Applied Nutrition at College Park, MD 20740, USA. Mr. Jeffrey Read, International Policy Analyst, Mrs. Elizabeth M Calvey, Liaison and Partnership Team, Ms. Daria Kleinmeier, Customer Safety Officer, Plant Products Branch of USFDA, Dr. Jianghong Meng, Director & Professor, University of Maryland, Mr. Brace Ross, the Country Director (India) and Dr. John Sproul were present in the meeting. A detailed discussion on the FSMA impact on Indian exporters was also carried out during the meeting. The issues discussed were; Prevention in Imports (Section 301 foreign supplier verification programme), Import Safety Mandates (Section 307, Accreditation of third party auditors) and Role of third-party Certification Programme.

(v) Spices Board hosted the first meeting of R & D Committee on IPC

Spices Board hosted the first meeting of IPC R&D Committee in Cochin during 10th & 11th September, 2012. The meeting was inaugurated by Shri.K.R. Jyothishankar, IAS, Vice Chancellor of Kerala Agricultural University. The R&D committee consists of Senior Scientists from all the IPC member countries, which discussed major issues of pepper industry relating to Research and Development activities.

(vi) Multi-Country delegation of IPC member countries to visit Madagascar

A Multi-Country delegation of IPC member countries visited Madagascar during 10-15th July, 2012 for conducting a study on disease resistant pepper variety grown in Madagascar. India being a member country, Spices Board was also a part of the delegation.

Spices Board trade delegation to Saudi Arabia

A six member delegation lead Secretary & Director (Marketing), Spices Board visited Saudi Arabia during 3-5 June, 2012 to explore the market potential for cardamom in Saudi Arabia. The delegation comprised exporters and farmers of Cardamom. Indian Embassy, Riyadh and Consulate General of India (CGI), Jeddah in Association with the Riyadh & Jeddah Chamber of Commerce & Industry has arranged the Buyer-Seller meets in Riyadh and Jeddah.

Study on Cardamom with respect to domestic market structure, growth and future scenario

Spices Board has entrusted IIPM, Bangalore to conduct a study on Cardamom Domestic Market Structure, Growth and Future Scenario. The study has three components, viz., 1.Movement of Cardamom with respect to Domestic Market and Price Spread Analysis, 2.Performance, Competitiveness and Sustainability of Indian Cardamom Exports and 3.Impact of Inter-State Tax on Trade and Movement of Cardamom in India.

Other export promotion activities

During 2012-13, the Board has received 243 Foreign and 461 domestic trade enquiries on Spices and Spice Products. All these enquiries were replied on time with the contact details of exporters and the same was informed to exporters as well. These enquiries were also compiled and published in 'Foreign Trade Enquiries Bulletin' (Fortnightly).



Renewal of membership and correspondence on various policy issues were done with FIEO, CII, FICCI, ASSOCHAM, KMA, AIMA, ITPO, IIPM, GSI, Indo American Chamber of Commerce, Indo-China Chamber of Commerce, Indo German Chamber of Commerce, Indian Council of Arbitration, Indian Habitat Center, Kerala Productivity Council and international organizations like ASTA, ESA, IPC etc.

Country specific export analysis of spices have also been prepared and sent to Ministry for Joint Working Group Meeting/Delegation etc. on various countries like India-MERCOSUR Preferential Trade Agreement (PTA), India- Japan- Third meeting of Ministerial level Policy Dialogue (JIPD), India-EU Fifth Meeting of Inter-Ministerial Joint Working Group (JWG), India-US Ministerial level Trade Policy Forum meeting, India- Tanzania -Third Joint Trade Committee (JTC), India-Iran Joint Commission Meeting, India -Chile Preferential Trade Agreement on Spices, India-Russian Working Group on Trade and Economic Cooperation, India-Nigeria Joint Commission, India-Canada Trade Policy Consultations, India- Africa comprehensive strategy to strengthening bilateral trade, India- LAC & Caribbean trade matters, India Turkmenistan Inter Governmental Commission, India-Mauritius trade issues, CITM's Meeting with Mauritius Minister of Industry & Commerce, Strategy Paper for CIS Countries India-CIS Roadmap -2020.

Under Advance Authorization, exporters are entitled to import spices for export production. The Board is designated to analyse the samples, mainly imported for the production of spice oils & oleoresins and recommend the norms to the DGFT for fixation of Input-Output Norms. During the period 2012-13 the Board received 326 such samples. Out of which, 325 test reports were processed and the recommendation sent to DGFT for fixing Standard Input-Output Norms (SION). The Board continued to issue Manufacturing Capacity Certificate to exporters for this licensing purpose during the period under report.

During the period under report, circulars/documents received from the Ministry/RBI/EXIM Bank/ Embassies and important notifications on spices were compiled and disseminated to the trade through Board's publications.

The Board continued its effort to settle the disputes/complaints between the exporters and importers of spices. Complaints received were examined and taken up with concerned parties, Importers/ Exporters/Embassies/trade organizations for amicable settlement.

Rapid Alert Notifications issued by the European and other Border Rejection issues by the importing countries were monitored and necessary instructions were given to the exporters. The team constituted for this purpose continued the monitoring and reporting the RASFF on a monthly basis.

The Board continued to be a member of the Inter-Departmental Panel and associated with EIA & AGMARK for conducting joint inspection at the Internal Processing Quality Control (IPQC) of the pepper processing units.



6. TRADE INFORMATION SERVICE

Trade Information Service of the Marketing Department is responsible for the collection, compilation, analysis and dissemination of statistics relating to Exports, Imports, Area, Production, Auction, Domestic & International prices of spices.

The major source of information for compiling the monthly estimated export of Spices from India is the Daily List of Exports (DLE) released by the Customs authority. Similarly, the Daily List of Imports (DLI) released by the Customs is the source for estimating the monthly import of Spices into India. The Board is compiling the export/import details of Spices on a monthly basis and disseminating the export and import figures of Spices to its stakeholders and Ministry/Departments on a regular basis. For this purpose the Board is regularly collecting both the DLE and DLI from all major ports like Cochin, JNPT, Chennai, Tuticorin, Mundra, Calcutta, Petrapole, Mohadhipur, Raxual, Amritsar etc. Moreover the information is also collected through the Regional Offices of the Board for this purpose.

The Board is compiling and disseminating both the domestic and international prices of Spices for major markets in India and abroad on regular basis to the end-users through our websites and publications. The major source for collecting the price details are agencies like India Pepper and Spice Trade Association, Agricultural Produce Marketing Committees, Merchants Associations, International Trade Centre, Geneva, International Pepper Community, Indonesia, AA Sayia & Co, USA etc. All these information are collecting through the Regional Offices of the Board and through subscription from the international agencies.

Since the Board is responsible for the production development of Cardamom (small & large), the area, production and productivity of these spices are estimated by Trade Information Service by the support of the field sample study conducted through the field set up of the Board. The Board is also supporting the Directorate of Arecanut & Spices Development, Calicut for conducting the preliminary surveys for estimating the production of Pepper in the major production centres. Area and production of other spices are collected from the State Economics and Statistics/Agriculture/Horticulture Departments for compilation. Information on area, production of all spices has been disseminated through the Board's publications as well as through the website to the stake holders and policy makers.

As per the Registration of Exporters (Regulations) all the Registered Exporters of Spices has to submit their quarterly export return to the Board. Currently more than 3820 exporters are registered with the Board and the Trade Information Service is compiling the Quarterly Export Returns of these exporters and maintaining the database of exporter wise export of spices. By using this database, we are compiling and publishing the details of leading exporters of each spice through our website.

Spices Board is conducting e-auction for trading of Cardamom through e-auction centres developed by the Board at Bodinayakanur and Puttady. The details on daily auction quantity and price of cardamom is compiled and published on a daily basis through our website. The consolidated details on auction





sale and average prices were compiled and disseminated through our publication.

Compiling the weekly domestic price of different spices for different markets centres including major overseas markets were collected, compiled and published through the publication of the Board namely Spices Market on a weekly basis for the benefit of stakeholders of the Industry.

Area and production of spices

The area, production and productivity of Cardamom (Small) and Cardamom (Large) for 2012-13 compared to 2011-12 are given in Table I & II. Area and production of other spices is given in Table-III.

Table-I
State-wise area and production of cardamom (small)
(Area in Hect., Production in Tonnes, Productivity in Kg/ha)

State	2011-12				2012-13			
	Total Area	Yielding Area	Production	Productivity	Total Area	Yielding Area	Production	Productivity
Kerala	41600	29990	11440	381	39660	29620	11350	383
Karnataka	25125	17690	2415	137	25050	17342	1800	104
Tamil Nadu	4560	3370	1145	340	5160	3708	850	229
Total	71285	51050	15000	294	69870	50670	14000	276

Source: Estimate by Spices Board

Table-II
State-wise area and production of cardamom (large)
(Area in Hect., Production in Tonnes, Productivity in Kg/ha)

State	2011-12				2012-13			
	Total Area	Yielding Area	Production	Productivity	Total Area	Yielding Area	Production	Productivity
Sikkim	23155	15502	3234	209	22755	15650	3483	223
West Bengal	3305	2715	626	231	3305	2740	662	242
Total	26460	18217	3860	212	26060	18390	4145	225

Source: Estimate by Spices Board





Table-III
Area and production of Major Spices (Area in Hect., Production in tonnes)

Spice	2011-12 (Est)		2010-11 (P)	
	Area	Production	Area	Production
Pepper	201381	43000	183780	48000
Chilli	840610	1426520	716428	1299191
Ginger	161850	773060	167432	937043
Turmeric	237720	1246220	232022	1268280
Garlic	262780	1302070	202888	1085740
Coriander	540700	511760	474250	372366
Cumin	842560	461160	625087	403744
Fennel	100610	142960	81890	125710
Fenugreek	93170	117320	94760	127850

Source: State Directorate of Eco. & Stat./Agri./Horti. Departments (P): Provisional, (Est) : Estimate

Auction sales and prices of cardamom (small)

The state-wise auction sales and weighted average price of cardamom (small) for 2012-13 and 2011-12 are given in Table-IV

Table-IV
Auction sales & prices of cardamom (small) in India
(Qty. in Tonnes, Price in ₹/kg.)

State	2012-13 (August-July)		2011-12 (August-July)	
	Quantity auctioned	Weighted average auction price	Quantity auctioned	Weighted average auction price
Kerala and Tamil Nadu (e-auction)	15873	687.54	20306	645.94
Karnataka	58	460.44	70	450.08
Maharashtra	34	765.87	105	713.74
Total	15965	686.91	20481	645.62

(Source : Reports received from licenced auctioneers of cardamom small)



Auction sales and prices of cardamom (large)

The auction sales and weighted average price of cardamom (large) for 2012-13 is given in Table-V.

Table-V
Average auction sales and prices of cardamom (large)
(Qty. in Tonnes, Price in ₹/kg.)

State	2012-13	
	Quantity auctioned	Weighted average auction price
Sikkim/West Bengal	2.5	775.06

Prices of cardamom (large)

The average wholesale prices of cardamom (large) at Gangtok and Siliguri market for 2012-13 and 2011-12 are given in Table VI.

Table-VI
Average wholesale prices of cardamom (large)
(Price in ₹/kg.)

Market centre	Grade	2012-13 (April-March)	2011-12 (April-March)
Gangtok	Badadana	681.95	799.97
Siliguri	Badadana	746.64	880.41

Prices of other major spices

The average prices of major spices are given below. These prices have been collected from secondary sources like Chamber of Commerce, India Pepper and Spice Trade Association, Market reviews prepared by the Merchants Associations, etc. Prices of major spices in important market centers are given in Table VII.



Table-VII
Prices of major spices in important market centers

(Price in ₹/Kg.)

Spices	Market	Grade	2012-13	2011-12
Pepper	Cochin	MG - I	398.18	318.77
Chilli	Guntur		51.74	69.83
Ginger	Cochin	Best	116.53	117.17
Turmeric	Cochin	AFT	66.02	103.02
Garlic	Mumbai/Chennai		16.45	46.32
Coriander	Mumbai/Chennai		53.91	50.02
Cumin	Mumbai/Chennai		150.66	138.92
Fennel	Mumbai/Chennai		80.25	117.56
Fenugreek	Mumbai/Chennai		35.67	29.91
Ajwan seed	Mumbai/Chennai		88.93	140.92
Mustard seed	Delhi		51.88	37.35
Tamarind	Mumbai/Chennai		64.30	79.01
Clove	Cochin		792.17	867.41
Nutmeg	Cochin	Without shell	625.65	632.48
Mace	Cochin		785.06	1190.05
Saffron	Delhi		120813.00	111000.00

Export performance of spices from India

Despite of a decline in the overall export performance in the country, Indian spices exports have been able to record strident gains in both volume and value in Rupee terms. It is first time in the history of spices the growth in the Volume in export of spices registered all time growth of 22 per cent. During the period April–March 2012-13 a total of 699,170 tonnes of spices and spice products valued ₹1171.16 crores (US\$ 2040.18 Million) has been exported from the country as against 575,270 tonnes valued ₹9783.42 crores (US\$ 2037.76 Million) in 2011-12, registering an increase of 22 per cent in volume and 14 per cent in rupee terms of value. However, in dollar terms of value the performance remains all most same, which is due to the depreciation of the Indian Rupee.



The total export of spices during 2012-13 has exceeded the target in terms of both quantity and value. Compared to the target of 566,000 tonnes valued ₹8203.50 crores (US\$ 1650 million) for the financial year 2012-13, the achievement is 124 per cent in terms of quantity and 136 per cent in rupee and 134 per cent dollar terms of value.

During 2012-13, the export of cardamom (large), chilli, coriander, cumin, fennel, fenugreek, celery, other seeds like mustard, aniseed, ajwanseed etc., nutmeg and mace, garlic and other spices such as asafoetida, tamarind etc., have shown an increase both in volume and value as compared to 2011-12. The export of value added product like curry powder/paste, spice oils & oleoresin and mint products had also shown increase both in volume and value as compared to 2011-12. Other spices like pepper, cardamom (small) and ginger had shown decrease both in terms of volume and value as compared to last year.

During 2012-13, a total quantity of 281,000 tonnes of chilli valued ₹2261.44 crores have been exported as against 241,000 tonnes valued ₹2144.08 crores of last year registering an increase of 17 per cent in quantity and five per cent in value. During 2012-13, a total quantity of 1,100 tonnes of cardamom (large) valued ₹73.66 crores have been exported as against 935 tonnes valued ₹68.30 crores of last year registering an increase of 18 per cent in quantity and eight per cent in value. During 2012-13, a total quantity of 37,100 tonnes of coriander valued ₹210.77 crores have been exported as against 28,100 tonnes valued ₹164.02 crores of last year, registering an increase of 32 per cent in quantity and 29 per cent in value. During 2012-13, a total quantity of 79,900 tonnes of cumin valued ₹1093.18 crores have been exported as against 45,500 tonnes valued ₹644.42 crores of last year registering an increase of 76 per cent in quantity and 70 per cent in value. During the period a total quantity of 14,575 tonnes of fennel valued ₹114.02 crores have been exported as against 8,100 tonnes valued ₹72.09 crores of last year. During 2012-13, a total quantity of 24,000 tonnes of garlic valued ₹74.49 crores have been exported as against 2200 tonnes valued ₹14.16 crores of last year. During 2012-13, a total quantity of 31,100 tonnes of fenugreek valued ₹108.36 crores as against 21,800 tonnes valued ₹72.75 crores during last year registering an increase of 43 per cent in quantity and 49 per cent in value. During 2012-13, a total quantity of 18,600 tonnes of other seeds like aniseed, ajwanseed, mustard etc., valued ₹116.12 crores was exported as against 13,050 tonnes valued ₹58.81 crores of last year. During 2012-13, a total quantity of 37,550 tonnes of other spices like tamarind, asafoetida, cinnamon etc., valued ₹328.50 crores was exported as against 35,900 tonnes valued ₹320.33 crores of last year. In the case of value added products, the export of curry powder/paste was 19,000 tonnes valued ₹298.36 crores as against 17,000 tonnes valued ₹252.08 crores during last year. During 2012-13, the export of spice oils and oleoresins was 8,670 tonnes valued ₹1312.86 crores as against 7265 tonnes valued Rs. 1304.68 crores of last year. During 2012-13, the export of mint products was 19,980 tonnes valued ₹3321.79 crores as against 14,750 tonnes valued ₹2223.72 crores of last year, registering an increase of 35 per cent in quantity and 49 per cent in value.

The major item wise export of spices from India during 2012-13 compared to 2011-12 and the achievement over target are given in Table VIII & IX respectively.



Table - VIII

Export of spices from India during 2012-13 compared with 2011-12

(Qty. in Tonnes, Value in ₹ Lakhs)

Item	2012-13		2011-12		% Change in 2012-13	
	Qty	Value	Qty	Value	Qty	Value
Pepper	16,000	67,256.57	26,700	87,813.45	-40%	-23%
Cardamom(Small)	2,250	18,505.92	4,650	36,322.28	-52%	-49%
Cardamom(Large)	1,100	7,366.19	935	6,830.00	18%	8%
Chilli	281,000	226,144.00	241,000	214,408.00	17%	5%
Ginger	19,850	16,863.10	21,550	20,420.02	-8%	-17%
Turmeric	80,050	53,985.40	79,500	73,434.40	1%	-26%
Coriander	37,100	21,076.90	28,100	16,401.85	32%	29%
Cumin	79,900	109,317.60	45,500	64,442.05	76%	70%
Celery	4,800	3,055.15	3,650	2,340.05	32%	31%
Fennel	14,575	11,402.04	8,100	7,209.20	80%	58%
Fenugreek	31,100	10,835.74	21,800	7,275.20	43%	49%
Other Seeds (1)	18,600	11,612.10	13,050	5,881.25	43%	97%
Garlic	24,000	7,449.21	2,200	1,415.70	991%	426%
Nutmeg & Mace	3,645	26,095.06	3,620	24,097.50	1%	8%
Other Spices (2)	37,550	32,849.95	35,900	32,033.00	5%	3%
Curry Powders/ blends	19,000	29,835.93	17,000	25,208.25	12%	18%
Mint Products (3)	19,980	332,179.30	14,750	222,372.00	35%	49%
Spice oils & Oleoresins	8,670	131,286.33	7,265	130,438.28	19%	1%
Total	699,170	1117,116.48	575,270	978,342.48	22%	14%
Value in Million US\$	2040.18		2,037.76			

(1) Include mustard, aniseed, ajwanseed, dill seed, poppy seed etc.

(2) Include tamarind, asafoetida, cassia, saffron etc.

(3) Include mint oils, menthol & menthol crystal.

Source: Estimate based on DLE from Customs, DGCI & S, Kolkata, Exporters Returns, Report from RO's



Table – IX

Export of spices from India during 2012-13 compared with target

(Qty. in Tonnes, Value in ₹ Lakhs)

Item	Target for 2012-13		Export during 2012-13		% Achievement of target	
	Qty	Value	Qty	Value	Qty	Value
Pepper	20,000	50,000.00	16,000	67,256.57	80%	135%
Cardamom (Small)	3,000	22,500.00	2,250	18,505.92	75%	82%
Cardamom (Large)	1,000	7,000.00	1,100	7,366.19	110%	105%
Chilli	240,000	180,000.00	281,000	226,144.00	117%	126%
Ginger	18,000	14,400.00	19,850	16,863.10	110%	117%
Turmeric	70,000	38,500.00	80,050	53,985.40	114%	140%
Coriander	35,000	19,250.00	37,100	21,076.90	106%	109%
Cumin	45,000	60,750.00	79,900	109,317.60	178%	180%
Celery	4,000	2,400.00	4,800	3,055.15	120%	127%
Fennel	7,000	5,600.00	14,575	11,402.04	208%	204%
Fenugreek	20,000	7,000.00	31,100	10,835.74	156%	155%
Other Seeds (1)	15,000	7,050.00	18,600	11,612.10	124%	165%
Garlic	10,000	4,000.00	24,000	7,449.21	240%	186%
Nutmeg & Mace	3,500	21,000.00	3,645	26,095.06	104%	124%
Other Spices (2)	35,000	28,000.00	37,550	32,849.95	107%	117%
Curry Powders/ blends	18,000	23,400.00	19,000	29,835.93	106%	128%
Mint Products (3)	14,500	217,500.00	19,980	332,179.30	138%	153%
Spice oils & Oleoresins	7,000	112,000.00	8,670	131,286.33	124%	117%
Total	566,000	820,350.00	699,170	1117,116.48	124%	136%
Value in Million US\$		1650.00		2040.18		124%

(1) Include mustard, aniseed, ajwan seed, dill seed, poppy seed etc.

(2) Include tamarind, asafoetida, cassia, saffron etc.

(3) Include mint oils, menthol & menthol crystal.

Source: Estimate based on DLE from Customs, DGCI & S, Kolkata, Exporters Returns, Report from RO's



7. PUBLICITY AND PROMOTION

The programmes for publicity and promotion of the Board were focused towards broadcasting of relevant content relating to the numerous activities of the organization ensuring optimum reach to the audience. Alongside the regular promotional programmes, the Board during 2012-13, undertook unique steps in building an image of a spice producing nation with international experience and coherence. New proposals with Codex Alimentarius Commission in Rome to overcome the prevailing disharmony in global quality standards for spices, harnessing international support for the global initiative, connecting farmers to the main stream of trade and commerce etc were some important landmarks in promotion this year. Participation in international and national exhibitions, mass awareness and field publicity campaigns, production of audio visuals, printing and publication of journals, publications, and literature were the highlights of the activities during 2012–13. More than publicity and promotion, the activities were designed to lend support to the various activities of the Board engulfing research, development and marketing.

Initiatives in Codex Alimentarius Commission, Rome

During the 35th annual session of the Codex Alimentarius Commission held in Rome in July 2012, the Board submitted through the Food Safety Standards Authority of India (FSSAI) (National Codex Contact Point) a proposal from India for establishment of a “Codex Committee on Spices, Aromatic Herbs and their Formulations”. The Board moved a proposal to Codex Alimentarius Commission, Rome for establishment of an exclusive committee on Spices, Aromatic Herbs and their formulations, which is being considered for deliberations. This is to harmonize physical quality standards of spices across the globe under Codex. The delegation of India noted that global production and trade in these products were increasing; that the main producers of spices were developing countries (96 per cent of the world production was in developing countries); and that due to lack of harmonized international standards, these countries were increasingly finding it difficult to meet the import standards. During the Session, several countries supported the proposal but generally sought more time for consideration. Based on the conclusion, Spices Board prepared a discussion paper for the consideration of the proposal by the six Regional Committees before the matter comes up for discussion in the Commission. The Board deputed its representatives to attend the meetings of the six Regional Committees held in different places namely:- (1) Madang, (Papua New Guinea) for the North America and South West Pacific region (CCNASWP) during 19th to 22nd September 2012; (2) Batumi (Georgia) for the European region (CCEURO) during 25th to 28th September 2012; (3) Tokyo (Japan) for the Asian region (CCASIA) during 5th to 9th November 2012; (4) San Jose, Costa Rica for the region of Latin America and the Caribbean countries (CCLAC) during 19th to 23rd November 2012; (5) Beirut (Lebanon) for the Near East region (CCNEA) during 21st to 25th January 2013; and (6) Yaounde (Cameroon) for the African region (CCAFRICA) during 29th January to 1st February 2013. Each of the six regions discussed India’s proposal in detail and made a variety of observations. Further, though there was sufficient support from most of the members, there were 27 countries that were relatively not very supportive of the proposal. The 36th annual session of the Codex Commission (1st to 5th July 2013, Rome, Italy) will take up the proposal.



India has been nominated to Co-chair the Electronic Working Group of Codex Committee on Food Hygiene (CCTH). Spices Board officer was nominated to Co-chair.

Participation in international fairs

Being a major market promotional activity, participation in international fairs was one of the major segments of activity. The Board participated in 20 international fairs across the globe. The choice of fairs for participation was made in consultation with the trade and exporters associations. The selection of events was based on importance from the point of view of potential of the market region. Exporters were given priority in participation and in major shows, separate slots were provided for their independent promotional activity under the Spices Board banner. The pavilions and stands in these exhibitions provided better opportunity for exporters to show case their products. They offered platforms for interaction with the visitors with business focus and the public at large. The focus on the stands was to project the capabilities India had built up over the years to meet the challenges of the international spice industry besides reiterating the overall strength and authenticity of Indian Spices through display of spice products samples along with graphic and pictorial presentations. Officers of the Board deputed for these events communicated and interacted with the visitors. Trade enquiries for various spices, herbs and formulations including products received at various events were disseminated to exporters for further follow up deals.

The Board made its presence in the following International Fairs.

Sl. No.	Name of the Fair	Place/country	Period
1	Algiers International Fair	Algeria	30 May - 5 June 2012
2	ALIMENTEC 2012	Bogota, Columbia	19 - 23 June 2012
3	IFT 2012	Las Vegas, USA	25 - 28 June 2012
4	SIAL 2012	Brazil	25 - 28 June 2012
5	Africa's Big Seven	Johannesburg, South Africa	15 - 17 July 2012
6	India Show	Colombo, Sri Lanka	3 - 5 August 2012
7	Made in India Show	Kyiv, Ukraine	5 - 9 September 2012
8	Fine Food	Melbourne, Australia	10 - 13 September, 2012
9	Food Ingredients	Sao Paulo, South America	18 - 20 September, 2012
10	Feria Gastronomica	Bogota, Columbia	19 - 23 September, 2012
11	Fruit Trade	Santiago, Chile	08 - 09 October, 2012
12	SIAL	Paris, France	21 - 25 October 2012



Sl. No.	Name of the Fair	Place/country	Period
13	Gourmet Foods & Wine Expo	Toronto, Canada	15 - 18 November, 2012
14	India Expo	Karachi, Pakistan	21 - 23 December 2012
15	India Show	Dhaka, Bangladesh	3 - 5 December 2012
16	BIOFACH	Nuremberg, Germany	13 - 16 February, 2013
17	Addis Chamber International Trade Fair	Addis Ababa, Ethiopia	21 - 27 February, 2013
18	GULFOOD	Dubai, UAE	25 - 28 February, 2013
19	Central Asia Exhibition	Almaty, Kazakhstan	1 - 4 March, 2013
20	Expocomer, Panama	Panama City, Panama	17 - 20 March, 2013

Apart from participation of the above 20 international fairs/exhibitions, Board participated in the Special Promotional Campaign in connection with the London Olympics in London, UK during 1st & 2nd August, 2012 for creating an awareness among the public on Indian Spices.

Participation in domestic fairs

To reach out to the various sections of the public including farmers, traders and exporters, the Board makes it a practice to cover the country's main spice growing and marketing centres through exhibitions. This helped in interacting with a wider section of the audience like farmers, traders, processors, exporters, scientists and other organizations which contributed to the successful formulation and execution of work. The exporters registered with the Board, spice farmers and farmer groups were allowed to partake in these fairs, some of which attract international visitors also. Participation in these fairs had helped in tapping both domestic and international trade enquiries and general awareness on the activities of the Board was generated on a pan India level. New production and processing sources were identified which benefited exporters in sourcing their requirements for exports. Spice growers in the distant locations were able to get across to exporters to build up trade linkages.



The Board made its presence in the following Indian exhibitions.

Sl. No.	Name of the Exhibition	Date
1	Organic Kerala - 2012, Ernakulam , Kerala	29 - April - 1 May 2012
2	Agri Intex 2012, CODISSIA Trade Fair, Coimbatore, Tamil Nadu	30 May - 3 June 2012
3	Ahar International, Chennai, Tamil Naidu	23 - 25 August 2012
4	Food Ingredients India 2012, Mumbai, Maharashtra.	05 - 07 September - 2012
5	Horti Expo, Kannur, Kerala	21 - 25 September 2012
6	Annapurna, Mumbai, Maharastra	26 - 28 September 2012
7	UPASI Industrial Exhibition, Coonoor, Tamil Nadu	28 - 29 September 2012
8	Krishi Yenthra Mela, Puttur, Karnataka	2 - 4 November 2012
9	Bharath Nirman Campaign, Mangan, Sikkim	21 - 23 November 2012
10	Agri Expo, Nagaland	15 - 17 November 2012.
11	India International Trade Fair, New Delhi	14 - 27 November 2012
12	Bio-Fach 2012, Bangalore , Karnataka	20 November - 1 December 2012
13	Travancore Fest, Nagampadam, Kottayam, Kerala	14 - 26 December 2012
14	India Asean Business Fair, New Delhi	18 - 20 December 2012
15	Agro & Industrial Expo (PCK), Thiruvalla, Kerala	20 - 30 December 2012
16	Agri & Horti Expo 2013, Kolkatta, West Bengal	07 - 10 January 2013
17	Krishi Mela, Kalimpong, West Bengal	12 - 16 January 2013
18	Bala Shastra Mela, Trivandrum, Kerala	24 - 25 January 2013
19	Agro Vision, Nagpur, Maharashtra	24 - 27 January 2013
20	India Pack, Mumbai, Maharashtra	28 - 31 January 2013
21	Idukki Fest, Cheruthoni, Idukki, Kerala	29 January - 3 February 2013
22	International Horti Expo, Bhopal, Madhya Pradesh	01 - 3 February 2013
23	International Flower Show, Gangtok, Sikkim	23 - 27 February 2013
24	Horti & Flower Show, Fort Kochi, Kerala	23 - 28 February 2013
25	Aahar International Agri Expo, New Delhi	14 - 18 March 2013



Field publicity campaigns

The grave situation in curry leaf exports on account of the growing practice of increased application of pesticides was addressed through a field publicity campaign undertaken in the main curry leaf growing areas in Kerala and Tamil Nadu. The campaign on curry leaves was run predominantly in the curry leaf growing villages in Mettupalayam in Coimbatore district, Attur in Salem district and in Dindigul in Tamil Nadu. Hundreds of farmers were informed through lectures, visual aids and cultural practices narrated in the form of a story to attract readers.

The campaign was addressed by experts from organic movements and scientists from the Tamil Nadu Agriculture University. Soon after the campaign meetings, farmer-exporter interface was conducted to chalk out action plans for the improvement of the quality of curry leaf especially meant for exports. Farmers were advised to resort to use of botanical and other organic compounds to control pests and diseases in curry leaf plants.

The Board continued the field publicity campaign on aflatoxin issues in nutmeg during the year. A new electric dryer for scientific and smoke free drying of nutmeg and mace was developed and presented to the Krishi Bhavan of Karukutty Panchayath in Ernakulam district to showcase drying to farmers.

Press releases & promotional articles

Press conferences and press releases were organized on various subjects during the period. Monthly releases on spice export performance, information on campaigns conducted in various growing areas, alerts on diseases and pest attacks in cardamom crop, on cardamom auctions etc were carried out during the period.

Advertisements

Advertisements on various vacancies, career opportunities, walk in interviews, tender notifications, sourcing of materials for the various sections of the Board were undertaken during the period.

Periodicals

Publications of the various monthly and weekly journals were carried out during the period.

(a) The farmer-trade oriented publication, Spice India (monthly) was published in five different languages, English, Hindi, Malayalam, Kannada and Tamil and the issues were released in time. This journal as a quarterly in Telugu and Nepali languages were also released on schedule. The monthly issues dealt with the following themes:-

- April - Jodhpur spices park inauguration
- May- Trail of Traceability starts from Sholayur



- June-Spices Board silver jubilee
 - July-Curry leaf campaign in TN
 - August- IKSL Telenet launch in TN and Kerala
 - September- Today- a destination for Large Cardamom
 - October- IKSL Telenet for AP farmers
 - November- IISR-CRC-Appangala Golden jubilee
 - December- “Dalle chillies”
 - January 2013 - Spicing up Subhaneydara, Sikkim
 - February- Saffron
 - March- Large cardamom productivity awards
- (b) Foreign Trade Enquiries Bulletin (fortnightly): The publication released as a fortnightly, carried trade enquiries received by the Board directly from Indian missions abroad, overseas missions in India, overseas trade fairs and through the website of the Board were all published for the benefit of the export trade.
- (c) Spices Market (weekly): Spices Market was published every week with details of both national and international prices.

Books/booklets & brochures

A new book in Tamil incorporating the scientific growing and processing practices in curry leaf cultivation in a story format was released for use during the curry leaf field publicity campaign in Tamil Nadu.

Telemobile network for spices farmers

The Board in association with the IKSL (IFFCO Kissan Sanchar Limited), a subsidiary of Indian Farmers Fertiliser Cooperative, has started four spice telemobile communities in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala. Spices farmers were enlisted into the network through the issue of IKSL SIM cards to enable them to receive in their mobile sets minimum five voice SMS messages daily, on Spices crop practices, weather conditions, prices of spices and market trends besides on animal husbandry.

These voice messages are broadcast in regional languages and are totally free of cost. This has enabled the Board to stay in touch with the farmers on a day to day basis.



Project on ethnic Indian cuisines

The ongoing project on ethnic Indian cuisines was evaluated, guidelines issued and monitored during the period involving academic institutions where Home Science is taught at the PG level. The project involves qualitative and quantitative analysis of region specific traditional Indian cuisines. It is aimed to identify the region specific ethnic cuisines of India and the specialties, the popular recipes and their spice blends. The project looks for the adaptation and modifications made in the traditional recipes for quantity cookery in restaurants and public eating places. Five institutions given below continued the project.

- (1) Home Science College, Tamil Nadu Agricultural University Madurai, Tamil Nadu
- (2) PSG College of Arts & Science, Coimbatore, Tamil Nadu
- (3) SVU College of Sciences, Sree Venkiteswara University, Tirupathi, Andhra Pradesh
- (4) RSMD Arts and Commerce College, Nagpur, Maharashtra
- (5) St. Theresa's College, Ernakulam, Kerala

World Spice Congress

Organizational work for the conduct of the 12th World Spice Congress was started with finalization of themes, structuring of the event, hosting of website etc. The World Spice Congress and Exhibition is scheduled to be held from 16th-19th February 2014 and the theme will be "Sustainability & Food Safety – Global Initiatives".

Radio talks and Krishi Darshan programmes in Doordarshan

Radio talks on various aspects of spices were conducted during the period over All India Radio. Numerous programmes were also organized in the Krishi Darshan segment of the Doordarshan. Spices like cardamom, nutmeg and pepper were featured.

P.R. Training

The Board has started a programme to impart training on public relations to young post graduates. Three PR trainees were selected and they are being given training on various aspects of public relations by giving exposure to them through their involvement in the Board's activities.

Codex Cell

In view of the initiatives taken by the Board for standardisation of quality of spices and herbs and the increased interaction with other communities under Codex, an exclusive cell has been established for the new work proposals and follow ups.

Silver Jubilee celebrations

The Silver Jubilee celebrations of the Board was organized on 29th May 2012, with fervor during the period with all the previous Chairmen and all retired employees of the Board participating.



8. QUALITY IMPROVEMENT

The Quality Evaluation Laboratory of the Board was established in 1989. It is certified under ISO 9001:2000 quality management system in 1997 and upgraded to ISO 9001: 2008 in 2009 and ISO 14001:2004 environmental management system in 1999 by the British Standards Institution, U.K. and accredited under ISO/IEC: 17025 in September 2004 by the National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL), Department of Science & Technology, Govt. of India.

The Laboratory continued to provide analytical services to the Indian Spice Industry and monitors the quality of Spices produced and processed in the country. It also undertakes analysis of consignment samples under the mandatory inspection of Spices Board. It has facilities to analyze various physical, chemical and microbial parameters including pesticide residues, aflatoxin, heavy metals and contaminants/adulterant artificial dyes in spices and spice products. The Laboratory follows internationally accepted test methods for various analyses and validates new methods as and when necessary.

The laboratory is equipped with the latest sophisticated instruments to undertake the analysis as per the requirements of importing countries. All the activities under the ISO 9001:2008 systems established in the laboratory are fully computerized and are being constantly upgraded and decisions are taken for the online result delivery.

To ensure the analytical credibility of the laboratory, it regularly participates in check samples/ validation programmes organized by National/ International agencies like Food Analysis Proficiency Assessment Scheme (FAPAS) and Food Examination Proficiency Assessment Scheme (FEPAS) by Food and Environment Research Agency (FERA), U.K, American Spice Trade Association (ASTA), USA, International Pepper Community (IPC), Jakarta and proficiency testing programme conducted by the NABL accredited Laboratories in India, etc.

The Laboratory also conducts regular inter-laboratory check sample programmes for the major parameters (like Aflatoxin, Sudan dye I-IV and pesticide residues) with the laboratories in major importing countries and major spice/spice products analyzing Laboratories in India. It also conducts inter-laboratory check sample programme with all the Spices Board accredited laboratories for various parameters. All the technical staff in the laboratory are periodically trained in reputed National/ International laboratories like Central Science Laboratory, UK, Japan Food Research Laboratory, Japan, Certified Analytical Laboratories Inc; USA, CFTRI, Mysore etc. to update their analytical skill on par with the international standards.

Analytical services

The laboratory continued the analysis of chilli and chilli products for the presence of Sudan dye-I-IV and Aflatoxin under the mandatory sampling of consignments of chilli, chilli products, turmeric powder and other food products containing chilli.





Analysis of sugar coated fennel seeds for Sunset yellow, testing curry leaves for pesticides namely profenofos, triazophos and endosulfan for the consignments to EU, analyzing the cumin and chillies consignments to Japan for pesticides namely profenofos, triazophos, ethion and lprobenphos are also brought under mandatory analysis of the Board.

The laboratory is also providing analytical services for the analysis of other illegal dyes like Para Red, Rhodamine B, Butter Yellow, Sudan Red 7B, Sudan Orange G etc. The Laboratory has extended its analytical service for Ochratoxin also.

During the period, the laboratory analysed 82,731 Samples for various parameters including pesticide residues, Aflatoxin, illegal dyes etc. in chilli and chilli products and an amount of ₹9,60,21,363/- was generated as analytical revenue. When compared to the last year there is an increase of 11,274 Nos. in terms of samples (15.8 per cent) and ₹1,43,51,991/- in terms of analytical charges (17.6 per cent) during this period.

As a part of providing speedy analytical services to exporters, Spices Board is establishing Regional Quality Evaluation laboratories at the major producing / Exporting centers like Chennai, Guntur, Mumbai, Kolkata, New Delhi, Tuticorin and Kandla. The laboratory at Mumbai, Guntur and Chennai is now functioning in full-fledged manner and the laboratory at Delhi has been inaugurated.

Human resources development programmes of Quality Evaluation Laboratory

As part of improving the technical capabilities of the laboratory personnel, the following training programme/workshop were attended by the laboratory staff during the period.

1. Training on “1st Conclave for laboratories” organized by CII on 4-5 April, 2012.
2. Training programme on ‘Measurement of Uncertainty’ during 20-21 April, 2012 at Bangalore.
3. Workshop on “FSSAI rules and regulations” at Chennai on 26 April 2012.
4. Training on “Measurement Uncertainty in Testing and Calibration” from 11-12 May 2012 at CEE, Bangalore.
5. “Documentation for Laboratory Quality Management System as per ISO/IEC 17025:2005” training on 24-25 May 2012 at NIFTEM, Haryana.
6. Training on “Measurement Uncertainty in Testing and Calibration Laboratories” at CETE, Bangalore on 13-14 August, 2012.
7. Training programme “Analysis of Black Pepper” jointly organized by IPC and Spices Board from 3-9 September 2012.
8. “Key Performance Index for Quality Management System and Environment” on 12 September 2012.



9. "USFDA training on Supply chain management of Spices and Botanicals" jointly organized by Spices Board, CII-FACE & USFDA, during 17-21 September 2012.
10. Workshop "Frontiers on MS Technology & Emerging Applications" conducted by Spinco Analytical at Chennai on 19 November, 2012.
11. Training on "Estimation of uncertainty in chemical clinical measurements" on 26-27 January, 2013 at Cochin.
12. "Food Professional Course" from 18 Feb to 8 March 2013 at IIT, Kharagpur.
13. Out Bound Training programme from April -December 2012 in different batches.

Training programme on analysis of spices and spice products

Under "Earn while you learn" programme during 2012-13, 21 students were selected from various nearby colleges at Kochi through campus interview and trained them on the analysis of Spices and spice products for various parameters to function as the trainee analysts in the laboratory at Kochi. 35 students were also selected from various nearby colleges for the Labs at Mumbai, Guntur, Chennai and Delhi and engaged as trainee analysts after providing the necessary training. The trained and experienced candidates after their service in the laboratory for a period of two years are made available to the Spice Industry/Spice testing Laboratories to work as technical staff in the laboratory attached to spice industry.

Training programme for the technical personnel from spice industry

During the year 2012-13 the laboratory conducted 4 training programmes organized as 7 batches on the analysis of "Spices and Spice products" for Physical, Chemical, Residual and Microbiological parameters. A total of 46 technical personnel from various Spice Industries/other Institutions had attended the programme and collected revenue of ₹3,79,215/- as the training fee, which when compared to last year there is an increase in participants (28 Nos.) as well as revenue of ₹2,30,301.

Participation in national/international events

The laboratory actively participates in National/International meetings related to the Quality issues, formulation of specification etc. for Spice /Spices products. During the year 2012-13, Officers from the laboratory attended the following events:-

- "DGFT ALC NC4 meeting to discuss on the fixation of norms and recommendation of Spices Board for important product" at DGFT, Udhog Bhawan, New Delhi.
- "Food safety and role of Standards" organized by BIS at Cochin.
- Workshop at IPC, Jakarta, Indonesia on 4th and 5th June, 2012, to prepare the IPC standards and GMP document.



- Meeting of Committee of Agmark standard for Spices on 14th June 2012, conducted by Directorate of Marketing and Inspection at Faridabad.
- Meeting with Joint Secretary (PP) at Krishi Bhavan, Ministry of Agriculture, New Delhi on 17th July, 2012 to discuss the report of the Indian delegation on 44th session for CCPR held in China in April 2012.
- Meeting with “Japanese Health Authority Team” on 30-31 July 2012, by JHA at New Delhi.
- “Inspection and Quality Control of Japanese Spice Consignments” and discussed the issues related to Mycotoxin and Illegal dyes on 2nd August, 2012 at Spices Board, Cochin.
- Meeting on “Grading and Marketing rules of Spices AGMARK” on 7th August 2012 conducted by Directorate of Marketing and Inspection at Faridabad, Haryana.
- Steering committee meeting on Milan Expo 2015, on 14th August 2012, conducted by ITPO at New Delhi.
- “Regional committee meeting of CODEX-CCEURO” conducted by CODEX at Batumi, Georgia, from 25-27 August, 2012.
- Meeting on “ISO TC-34/SC-7 for spice and culinary herbs” jointly organized by Spices Board and BIS, New Delhi from 3-5 December 2012.
- Meeting “GSI India related activities” on 24th August and 10th December, 2012 at New Delhi.
- Meeting with Vietnamese Business Delegates and interacted about spices export and import on 19th December, 2012 at DGFT, Niryat Bhawan, New Delhi.
- “Harmonization of Indian Food standards with CODEX and other best practices” on 11th March, 2013.

ISO Systems related activities

Quality Evaluation Laboratory, Kochi has undergone Desktop Surveillance Audit under NABL 17025 : 2005 system and found compliance to standards and the next audit is scheduled by September 2013. ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 audit under Quality Management system and Environmental Management system respectively were conducted by British Standard Institute on 4th October, 2012 and came out with 1 Minor non-conformance, which is closed with suitable corrective and preventive action. The forthcoming external audit by BSI is scheduled by May, 2013.

QEL, Mumbai is accredited under ISO 17025:2005 since February, 2012. First surveillance audit of QEL, Mumbai was conducted during 22-23 December, 2012 and 7 NC's were raised by auditors. All NC's were closed as per the corrective actions submitted and the NABL has confirmed continued accreditation.



Quality Evaluation Laboratory, Guntur has got accredited under ISO 17025:2005 since February, 2013. QEL, Chennai has applied for NABL accreditation in March, 2013 and waiting for pre assessment. A departmental meeting was arranged by Chairman on 9th July, 2012 to discuss the issues related to the Laboratory including the implementation and maintenance of ISO systems.

ASTA - Check sample programme

The laboratory is participating regularly in the ASTA check sample programme conducted by American Spice Trade Association. During the year Kochi, Mumbai, Guntur and Chennai Laboratories were actively participated in the programme and all the laboratories participated in 4 sets of check sample programme for the parameters, Colour value, Capsaicin and Water activity in ground Capsaicin and Piperine, Moisture, Volatile Oil and water activity in ground Black Pepper. All the sets of samples were received for the analysis and all the results generated by the laboratory were found well within the limit of acceptable levels. During the next year, it is also decided to include Delhi and Tuticorin Laboratories under the programme.

Spices Board - Check samples/proficiency testing programme

Under Inter-Laboratory Check Sample Programme, QEL conducted 3 programmes for various physical, chemical, residual and microbiological parameters and the results are well with in the limit *i.e.*, Z-score ± 2 .

Under the proficiency-testing programme conducted by various agencies like FAPAS, FEPAS, IPC, ASTA etc., QEL [Kochi, Mumbai, Guntur and Chennai] participated in various proficiency testing programme which includes 112 parameters in many rounds during April 2012 to March, 2013 including QC checking/confirmation with German Lab.

Harmonization of Indian standards with ISO standards

Participated in the Harmonization of Indian standards with ISO standards and FSSAI, which is being carried out in collaboration with Bureau of Indian standards (BIS), FSSAI and ISO Secretariat. Comments/ Suggestions were provided to BIS, PFA, ISO, IPC and CODEX on various documents related to the specifications/quality issues as and when called for by the National/ International organizations/agencies.



9. EXPORT ORIENTED RESEARCH

Indian Cardamom Research Institute, Spices Board is undertaking research programmes on varietal improvement, biotechnological interventions, integrated nutrient, pest and disease management and scientific post harvest technologies of cardamoms (small and large). The programmes on mechanization of farm operations of small cardamom and development of organic package for cardamoms are prioritized. Extension activities envisaged are advisory services on Integrated Pest Management, soil test based fertilizer recommendations, spice clinics, training on spices production technology, bioagents production and supply and conduct of residential training programme on Good Agricultural Practices (GAP).

Cardamom (small)

A high yielding cardamom selection, SKP – 170 was evolved at ICRI Regional Station, Sakleshpur, Karnataka. As part of the varietal improvement programme in cardamom, a *Preliminary Evaluation Trial (PET)* was initiated with 100 cardamom accessions and recorded data on yield and growth contributing characters. The national repository for cardamom genetic resources maintained in the institution conserves 800 small cardamom accessions and 12 allied genera.

Genetic diversity studies in cardamom were undertaken using molecular markers. Molecular characterization of small cardamom was undertaken and characterization of 55 accessions was completed. SSR primers derived from MRNA sequences for *Amomum*, *Zingiber* species were analyzed for amplification in large cardamom.

Sustainable productivity of cardamom could be realized under fertilizer level of 150:150:300 kg/ha in widely cultivated high yielding varieties of cardamom. Fertigation of commonly available fertilizer i.e. Urea, DAP, Factamphos and Muriate of Potash instead of costly and highly water soluble fertilizers such as Multi K and Monoammonium phosphate reduced the cost of production and provided sustainable yield. Soil samples (2345) were analyzed under *Soil Fertility Management* project and issued critical recommendations for liming and application of micronutrients i.e., Zinc and Boron in small cardamom growing areas of Idukki District. As part of Oil profiling in cardamom, 24 samples were collected from eight locations belonging to A, B and C zones of cardamom tract for the analysis of volatile oil and oleoresin content and the studies have been continued. Preliminary results indicated that the oil content is high in the cardamom samples belonging to A zone compared to B and C zones of the cardamom tract. Farm gate level cardamom samples (80) were collected from different cardamom growing tracts for Pesticide residue analysis. In the mechanisation front, Pit diggers, weed cutters, fertigation equipments and cardamom washing machine were evaluated.

Disease surveillance was undertaken in the cardamom plantations of Idukki district. The incidence of *Chenth* disease in cardamom was severe from January 2013 onwards in various locations selected for disease surveillance studies. Mulching of plant base with coir pith enhances microbial population in





the rhizosphere. The highest microbial population was recorded in the plot completely mulched with coir pith followed by inter rows. *In vitro* studies revealed that cashew nut shell liquid (3.0%) gave more inhibition of *Colletotrichum* whereas in the case of *Fusarium*, inhibition was less. Application of Fosetyl Al 80WP (2.6 ml/liter & 3.0 ml/liter) found to be effective for controlling the capsule rot and rhizome rot diseases of cardamom. The fungicides such as *Dimethomorph 50WP (0.2 per cent)*, *Tebuconazole 25.9EC (0.2 per cent)*, *Potassium phosphonate (0.3 per cent)*, *Fosetyl Al 80WP (0.2 per cent)* and *Copper oxychloride (0.2 per cent)* were effective in controlling capsule rot and rhizome rot diseases of cardamom. Survey undertaken in plantations including wild habitats (forests) spread over 32 locations resulted in the collection of 74 soil samples. Two hundred and fifty bacterial antagonists were isolated and screened against rot pathogen, *Pythium vexans* and a few superior isolates were shot listed for further studies.

As part of advisory services, 1010 samples of cardamom soil were analyzed and recommendations were given to farmers for liming and application of macro and micronutrients i.e. *Zinc* and *Boron*. Mass multiplication of bio-agents such as *Trichoderma* & *Pseudomonas* was undertaken in commercial scale and supplied *Trichoderma* (5968 kg and 1175 liter) and *Pseudomonas* (3634 kg and 8420 litre) to needy farmers. A total of 1,67,822 cadavers infested with EPN were produced and supplied to farmers for the management of root grubs in cardamom. Planting materials of improved cardamom clones such as ICRI-5 and ICRI-7 (Kerala region) and seed capsules (166.6 kg) were supplied to the departmental nurseries and Farmers. Scarification of cardamom seeds (28.5 kg) using inorganic acid was carried out for early and uniform germination of seeds.

Investigations were undertaken to document the flora of cardamom hills. A total of 350 species of flowering plants comprising of 265 genera and 80 families were documented. The tree flora showed wide diversity with 150 species. The legume family, Fabaceae dominates with 38 species followed by Asteraceae and Rubiaceae with 19 species each. About 50 species are endemic to Western Ghats and among them *Dysoxylum malabaricum*, *Lagerstroemia microcarpa*, *Litsea oleoides* and *Palaquium ellipticum* are cultivated in the cardamom plantations as shade trees.

The institute has conducted 9th batch residential training programme on Good Agricultural Practices (GAP) for quality spice production. A total of 25 unemployed youth belonging to Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu participated in the programme.

ICRI organized 28 training programmes to farmers / extension officers (36) on various aspects of spices and about 612 beneficiaries participated. The farmers belonging to Kerala, Tamilnadu and North-Eastern states attended the training programme.

An awareness programme on 'Honey-bee pollination in cardamom' was organised in which 108 farmers attended. Twelve mobile spice clinics cum scientist-farmer interface in the cardamom hills of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu were conducted and 425 spice growers took active part in the programme.

The systems required for video conference were established in the institute. Five tele-clinics were conducted enabling the farmers belonging to Upputhara and Elappara regions in Idukki district to clear doubts/ details on integrated nutrient and pest management on spice crops such as cardamom and black pepper.





Other activities

The XXIV Annual Research Council (ARC) meeting of small cardamom and other spices was conducted at Spices Board Head Office, Kochi during 1 and 2 August 2012 to review the progress of research programmes identified for 2011-12. The research programmes proposed for ensuing crop season were critically evaluated and approved. Eminent and experienced resource persons were invited from agricultural universities and national institutions to evaluate the research programmes and to formulate future research priorities in the respective disciplines.

Scientists of ICRI participated in the XX Plantation Crops symposium (PLACROSYSM) held at Coimbatore and presented thirteen research papers on various aspects dealing with cardamoms and other spices.

The institute has been recognized as a Ph.D centre by the Central University, Kasargod. Steps were also taken to recognize the institute by the Mangalore University, Karnataka for carrying out Ph.D programmes in plant science.

Six scientists were deputed to represent the Board in various fairs held in different countries.

ICRI Library was strengthened with the addition of 200 books with a budget of ₹2.5 lakhs. The renewal of 130 Journals / Periodicals and Horticulture Science Database was continued for reference.

The infrastructure facilities required for Bio resource laboratory were established. All the laboratories proposed in the new research building were shifted and started functioning. The proposal to establish ICRI, Regional Station, Tamil Nadu in the revenue land was approved and an area of 13.38 hectares in Thandikudi village of Kodaikanal Taluk of Dindigal District was allotted by the Government of Tamilnadu. The resurvey of ICRI farm area Myladumpara under Udumbanchola village in Idukki district of Kerala was completed and demarcated the boundaries of block 5, 14, 18 and 19 with chain link fence. Under the construction, the renovation (civil/electrical works) of residential quarters at ICRI campus was entrusted with CPWD, Kochi.

A large number of farm operations as stipulated in Good Agricultural Practices (GAP) were included in the cultivation of cardamom and other spices in ICRI farm.

Cardamom (large)

Research on large cardamom mainly focused on genetic resources, nursery techniques, water and nutrient management, disease and pest management and post-harvest technology. Screening of germplasm accessions against the viral disease such as Chirkey and Foorkey diseases and evaluation of ICRI improved Bhatti system were also given importance.

The survey for the genetic resources of large cardamom undertaken in the hills of sub Himalayan tract has resulted in the collection of 270 accessions and are being conserved in the national repository. Preliminary evaluation trials that undertaken on large cardamom accessions resulted in the isolation of few promising lines which are being multiplied for further field testing at various locations. Three high





yielding varieties including one hybrid were isolated and are in the pipeline for release. Molecular characterization of large cardamom was undertaken and characterization of 50 accessions was completed.

Disease survey undertaken in the “hot spot” areas of leaf blotch and viral diseases helped to isolate a few escapes (13) and are being screened against disease tolerance. ICRI Improved bhatti systems were established in Sikkim, Darjeeling hills of West Bengal and Nagaland for the demonstration of cardamom curing process.

The sponsored programmes under AICRP on spices on Coordinated Varietal Trial in large cardamom and “Livelihood Improvement and Empowerment of Rural Poor through Sustainable Farming System in North East India” under NAIP programme were implemented. The extension activities such as advisory services, soil analysis and fertilizer recommendation, bioagent’s production and supply, conduct of seminars were carried out. Twenty training programmes were organized on Production technology of large cardamom in the cardamom grown areas in Sikkim and Darjeeling hills of West Bengal. Produced and supplied 25 litres of bio agent, *Pseudomonas*, to farmers.

Seven Self Help Groups (SHGs) and three Farmers Clubs (FCs) were associated for implementing the programmes envisaged in the NAIP project on “Livelihood Improvement and Empowerment of Rural Poor through Sustainable Farming Systems in North East India”. The nucleus materials of the planting materials of cardamom and ginger were supplied to beneficiaries. Two thousand and nine hundred suckers of large cardamom and 20 quintals of seed ginger were distributed to farmers for raising nurseries. Training was imparted to farmers / beneficiaries of the project on production and use of bio-agents, *Pseudomonas fluorescens* and *Bacillus subtilis*. For the promotion of intercropping in large cardamom plantations, seed of vegetables such as, rai sag (*Brassica sp*), pea (*Pisum sp*), carrot and radish were distributed to 20 farmers.

Eleven Group meetings/ training programmes were organized for NAIP beneficiaries to disseminate production technology for large cardamom, ginger and turmeric. Organized a Farmers Training Programme at Krishi Vigyan Kendra (KVK), Kalimpong, West Bengal on Production technology of major spices such as ginger and turmeric. Thirty farmers including nine women farmers from upper Dzongu participated in the programme. Imparted “Hands on Training on Bioagents production” and arranged exposure visits of beneficiaries to plantations / research institutions. Published four extension folders on large cardamom under the project for guidelines to farmers on scientific cultivation of large cardamom.

The XX Annual Research Council Meeting for large Cardamom was held in SAMETI Hall, ICAR Research Complex for NEH Region, Tadong on 23/08/2012.





10. INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC DATA PROCESSING

The activities of the Board have changed significantly with the leverage of information technology. Many manual operations are replaced with online systems which effectively reduce the workload of various departments of Board as well as the turnaround time for their operations. EDP department facilitates the use of information technology in various departments of Board by working along with them. In effect, this makes the whole system faster and more productive and enables Board to perform more efficiently.

Main activities

- Advise, guide and assist various departments and offices of the Board for the effective use of Information Technology.
- Help desk management for existing applications, messaging solutions, Internet and Web site maintenance
- Administration of organization wide IT resources namely hardware, software, databases, networking and peripheral equipments.
- Formulate strategies for technology acquisition, integration, and implementation.
- Upgradation of IT infrastructure.
- Defining and implementing systems and procedures for the smooth functioning of IT equipments and Software.
- Data Processing
- Identify the need for new systems (or modifications to existing systems) and respond to requests from users.
- Design, development, documentation, testing, implementation and maintenance of Information Systems and application software.
- Maintenance and updation of Board's web sites indianspices.com, spicesboard.in, Indianspices.org.in, worldspicecongress.com, spicesboard.org
- Formulate and conduct Computer training programmes.



Achievements during 2012-13

The following IT projects have successfully been completed:

E-office

E-office has been designed in sync with the needs of a modern Government and has been conceived as the instrument for the Next Generation Government. It paves a platform for personalized, role based, secure access to internal information for the employees that is accessible through any browser. Personalized services are enabled and employees receive electronic notifications of services and transactions based on their needs and contingencies. It is embedded with a Knowledge Management System which can enable employees to create their own document online and submit the same for review and publication on the portal. With a single platform, the entire organization can collaborate, share documents in any format electronically.

The system has replaced the traditional physical file with electronic file system in Spices Board Head Office.

Live E-auction : It enables users to view E-auction live through internet on auction days and hence increases transparency.

High tech field offices and online tele-clinic facility at ICRI, Myladumpara: It is a specialized video conference system connecting Myladumpara office and a field office at Elappara which enables farmers to get specialized advice from scientists real-time.

Active directory implementation and Centralized antivirus Server: The project has increased IT security significantly in Spices Board HO and enabled to provide a stable platform for the employees with high performance.

Digitization of complete physical files of Spices Board Head Office: All the physical files in Spices Board Head Office have been digitized and made available through web portal

CCTV Security surveillance system: Closed Circuit TV Security Surveillance system has been installed at Head Office to increase security.

Projects in Progress

1. Implementation of e-Office in Myladumpara
2. Implementation of a total financial management software
3. Online Recruitment and Online Examination



ANNEX - I

LIST OF BOARD MEMBERS AS ON 31.3.2013

Sl. No.	Name and Address	Status	Telephone/Mobile/Fax/E-Mail	Term valid upto
1.	Dr. A. Jayathilak IAS, Chairman Spices Board, Palarivattom, Kochi – 682 025, Kerala.	Chairman	Tel : 0484-2333304 Mob : 9446022644 Fax : 0484-2349135 Email : chairman@indianspices.com	Continuing
2.	Shri P.T. Thomas, Hon'ble MP [Lok Sabha],30, Kerala House,3-Jantar Mantar Road, New Delhi – 110 001. Shri P.T. Thomas, Hon'ble MP [Lok Sabha], Puthiyaparambil House,Upputhode, Rajamudi P.O.,Thodupuzha - 685 604, Idukki Dist., Kerala.	Member	Tel : 04868-263216 04862-229595 Mob : 9447029595/ 9013180092/ 09847077150 Fax : 04862-229595 Email : ptthomasidk@gmail.com	02/12/12
3.	Shri Anant Kumar Hegde, Hon'ble MP [Lok Sabha],13, Firoz Shah Road, New Delhi-110 001. Shri Anant Kumar Hegde, Hon'ble MP [Lok Sabha], No.17, K.H.B. Colony, Sirsi – 581 402, Karnataka State.	Member	Tel : 011-23795001 Mob : 9868180337 Fax : 011-23795001 Tel : 08384-225248/234337 Fax : 08384-223353 Email : mpcanara@gmail.com	02/12/12
4.	Shri S. Thangavelu, Hon'ble MP, [Rajya Sabha], C-204, Swarna Jayanti Sadan, Dr. B.D. Marg,New Delhi – 110 001. Shri S. Thangavelu, Hon'ble MP, [Rajya Sabha], 126/6, Gandhi Nagar East, 4 th Street, Kalugumalai Road, Sankarankoil – 627 756, Tirunelveli District, Tamil Nadu.	Member	Tel : 011-23708300 Mob : 09013181036 Tel : 04636 222408 Mob : 09443389036 Email : thangavelubscmp@gmail.com info@thonustraining.com	02/01/14



Sl. No.	Name and Address	Status	Telephone/Mobile/Fax/E-Mail	Term valid upto
5.	The Director [Plantations Division], Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Udyog Bhavan, New Delhi-110 107.	Member	Tel : 011-23063268, 26492218 Fax : 011-23061646/ 23063418	02/12/12
6.	Shri Sanjiv Chopra, Joint Secretary and Mission Director, [National Horticulture Mission], Department of Agriculture & Co-operation, Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.	Member	Telefax : 011 -23073779; 23382444 Mob : 9899772227 Email : chopra.sanjeev@gov.in	02/12/12
7.	Ms. Amrit Raj, Director Finance, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Udyog Bhavan, New Delhi-110 107.	Member	Tel : 011-23061807/ 23347203 Mob : 9868222032 Fax : 011 - 23061807 Email : amrit.raj@nic.in	02/12/12
8.	Shri K.C. Pradhan, The Wayside Gardens, Sixth Mile, Tadong -737 102, Gangtok, Sikkim.	Member	Tel : 03592-220960 Mob : 9609858230 Email : sfkeshav@gmail.com Slg_sfsikkim@sancharnet.in	02/12/12
9.	Adv. Joy Thomas, Thundathil, Arakkulam P.O., Idukki Dist., Kerala Pin-685 591.	Member	Tel : 04862-252240 Mob : 9447052134 Email : e-consumerfed@gmail.com	02/12/12
10.	Shri Roy K. Paulose, Konnanal, Thattakkuzha P.O, Pin-685 581, (Via) Karimanoor, Thodupuzha, Idukki Dist., Kerala.	Member & Vice Chairman	Tel : 04862-235304, 222977 Mob : 9447421666 Email : roykpaulose@gmail.com	02/12/12



Sl. No.	Name and Address	Status	Telephone/Mobile/Fax/E-Mail	Term valid upto
11.	Shri G.Muraleedharan, Perumbalathu House, Pampadumpara Pin - 685 556, Idukki Dist., Kerala.	Member	Tel: 04868- 236073 Mob: 9961149473 Email: muraleeganga@gmail.com	02/12/12
12.	Shri Abul Kalam, Madeena Munavara Coffee Estate, Jayapura -577 123, Koppa Taluk, Distt. Chikmagalur, Karnataka.	Member	Tel : 08265- 245050/ 691675 Mob : 9448032796 Fax : 08265-245050 Email : abulkalamcafe@gmail.com	02/12/12
13.	Dr. Viju Jacob, Director, M/s. Synthite Industries Ltd., Kadayirippu, Kolencherry, Ernakulam, Kerala, Pin-682 311.	Member	Tel : 0484-3051200/210 Mob : 9846640010 Fax : 0484-3051351 Email : viju@synthite.com	02/12/12
14.	Shri Mathavan, Partner, M/s, S.PG Ramasamy Nadar and Sons, 77, South Car Street, Virudhunagar, Tamil Nadu-626 001.	Member	Tel : 04562-243364, 244164 Mob : 9443144864 Fax : 04562-244964 Email : spgr@eth-net spgr@sancharnet.in	02/12/12
15.	Shri Ajay J. Mariwala, Managing Director, M/s. Vallabhdas Kanji Ltd., 12/136-A, Kundanoor-Maradu Road, Maradu P.O., Cochin - -682 304, Kerala	Member	Tel : 0484-3077777 Mob : 9846093333 Fax : 0484-3077781 Email : vkl@vklspices.com	02/12/12



Sl. No.	Name and Address	Status	Telephone/Mobile/Fax/E-Mail	Term valid upto
16.	Shri Rajendra P. Ghogale, Managing Director, M/s. Takasago International Corporation, 215, Shalaka, Maharshi Karve Marg, Mumbai-400 021, Maharashtra	Member	Tel : 022-22821225/ 0261/0462 Mob : 09967312000 Fax : 022-22821788 Email : raj_ghogale@yahoo.com Raj_ghogale@yahoo.com	02/12/12
17.	Mrs. Sushama Srikandath, Director and Chief Operating Officer, M/s. AVT Mc Cormick Ingredients Pvt. Ltd., South Vazhakulam, Aluva-683 107, Kerala.	Member	Tel : 0484-2677511/ 2677263 Mob : 9895177511 Fax : 0484-2677275 Email : sushama@avtspice.com	02/12/12
18.	Shri Philip Kuruvilla, Managing Director, M/s. Indian Products Ltd., Door No.V/705-707, Gujarati Road, Mattancherry, Kochi-682 002, Kerala.	Member	Tel : 0422-3985711/ 3985720 Mob : 9895233117 Fax : 0422-3985710 Email : philip@jayanti.com	02/12/12
19.	Shri. P.J. Kunjachan, M/s. Arjuna Natural Extracts Ltd., Bank Road, Aluva, Kerala, Pin-683 101.	Member	Tel : 0484-2622644 Mob : 9895977371 Fax : 0484-2622612 Email : pj@arjunanatural.com	02/12/12
20.	Shri Jojo George, Pottamkulam House, Koottickal P.O, Kottayam, Kerala, Pin-686 514.	Member	Tel : 04869-222865 Mob : 9447182097 Fax : 04868-222097 Email : jojo-md@kcpmc.com	02/12/12



Sl. No.	Name and Address	Status	Telephone/Mobile/Fax/E-Mail	Term valid upto
21.	Shri George Vally, Valiplackal House, Koorali, Ponkunnam, Kottayam, Kerala Pin: 686 522.	Member	Tel : 0481-2568311, 2568951 Mob : 9447156830 Fax : 0481-2568918 Email : georgevaly@gmail.com	2/12/12
22.	The Secretary to Government of Kerala, Agriculture Department, Govt. Secretariat, Thiruvananthapuram-695 001.	Member	Tel : 0471-2325992, 2518232 Fax : 0471-2325992 Email : dkdias93@yahoo.co.in	Continuing
23.	The Administrator Rajasthan State Agriculture Marketing Board, Pant Krishi Bhavan, Jaipur, Rajasthan Pin: 302 005.	Member	Tel : 0141-2227400 Fax : 0141-5103626 Email : ahmadsalahuddin@live.in rsamb@datainfosys.net	Continuing
24.	The Principal Director, Horticulture & Cash Crops Development Department, Krishi Bhavan, Tadong, Gangtok -737 102. Sikkim.	Member	Mob : 09832066187/ 09434357786 Tel. fax: 03592- 231960 Email : dh.sikkim@yahoo.in talikgamger@gmail.com	Continuing
25.	Smt. Sutapa Majumdar, Director [I.E Division], Planning Commission, Yojana Bhavan, New Delhi-110 001.	Member	Tel : 011-23096717/ 26493215 Mob : 9868124796 Fax : 011-23096717 EMail : sutapa.m@nic.in	02/12/12
26.	Director Indian Institute of Packaging [IIP], E-2, MIDC Area, P.B.No.9432, Andheri (East), Mumbai-400 093.	Member	Tel : 022 – 28219803/ 9469/6751 Fax : 022-28375302 Email : director-iip@iip_in.com	Continuing



Sl. No.	Name and Address	Status	Telephone/Mobile/Fax/E-Mail	Term valid upto
27.	Director Central Food Technological Research Institute [CFTRI], Mysore-570 020.	Member	Tel : 0821-2517760 Fax : 0821-2516308 Email : director@cftri.com director@cftri.res.in	Continuing
28.	Director Indian Institute of Spices Research [IISR], P.B.No.1701, Marikkunnu P.O, Calicut-673 012, Kerala	Member	Tel : 0495-2730294 Fax : 0495-2731187 Email : director@spices.res.in	Continuing
29.	Shri K.M. Sulthan Ibrahim, 171, Main Road, Uthamapalayam Pin: 625 533, Theni Dist., Tamil Nadu.	Member	Tel : 04554-265053 Mob : 09443165308 Email : sulthan_king@yahoo.com	02/12/12
30.	Shri E.K. Vasu Ellickal House Kallar P.O. Nedumkandam - 685 553 Idukki Dist., Kerala	Member	Tel : 04868-222303 Mob : 9744106601	01/05/2015
31.	Shri Man Singh Parsoda In-front of Head Post Office Colonnel Ganj, Guna - 473 001 Madhya Pradesh	Member	Mob : 9425134973 Email : msinghspicepark@gmail.com	01/05/2015

Crop Development Programmes



Curry leaf farmers interacting in the campaign meeting held at Gandhigram in Dindigul at Tamil Nadu.



Mr. Barkos Warjri, IAS, Additional Chief Secretary, Government of Meghalaya delivering the inaugural address during the workshop on Organic Spices and Value addition in North Eastern Region held at Shillong, Meghalaya



Dr. A. Jayathilak IAS Chairman, Spices Board addressing the farmers in Coimbatore during the launch of mobile tele network in Tamil Nadu.



Spice farmers from Tamil Nadu with Green SIM cards.



A view of farmers attending the meeting in Coimbatore



Chairman, Spices Board Dr. A. Jayathilak IAS, is seen inaugurating the launch of mobile tele network for Kerala spice farmers in a meeting held at Thodupuzha.



Spice farmers from Kerala registering for Green SIM cards



A view of farmers attending the meeting held at Thodupuzha

Crop Development Programmes



Grading of large cardamom at traders processing unit in Sikkim.



Shri.Philip Kuruvilla, Chairman, World Spice Organisation handing over the newly developed nutmeg drier funded by Spices Board to Karukutty Krishi Bhavan Agriculture Officer Smt.Rama Nair.



Mrs.Minnie Mathew, IAS, Chief Secretary, Andhra Pradesh is seen lighting the lamp to mark the inauguration of IKSL Tele network in Hyderabad, Andhra Pradesh



A demonstration of acid scarification of cardamom seeds was shown to farmers in Karnataka



Nursery techniques in production of cardamom seedlings is in progress in the Board's nursery in Belegola in Karnataka.



A farmer is seen interacting with the Scientist of the Board in a seminar on organic farming held at Sirsi in Karnataka.



Shri.P.M.Sureshkumar, Secretary, Spices Board delivering the inaugural address in the seminar on Pepper and Cardamom held at ICRI Donigal.



Shri.Siddaramappa, Director (Development) issuing the personal accident claim to Smt. Saramma Thomas, wife of late T.V. Thomas.

Crop Development Programmes



Shri.D.N.Takarpa, Minister for Agriculture & Horticulture, Government of Sikkim lighting the lamp to mark the inauguration of Large Cardamom Productivity Award to the farmers in Sikkim.



The Large Cardamom Productivity Award winners with the Minister and Officials.



Shri.Tshering Wangdi Lepcha MLA (first from the right seated on the chair) attending the farmers meeting held in Shinghik, North Sikkim.



A scene from a training programme on Seed spices held at Dhaturiya village in Shahbad block, Baran district of Rajasthan.



A farmer is seen interacting during the discussion in a training programme on production management and post harvest technology of major spice crops in Arunachal Pradesh.



Demonstration of cardamom nursery bed preparation held at departmental nursery in Beligeri.



A view of farmers attending the training programme at departmental nursery in Aigoor, Karnataka.



A view of spice growers present in a farmers meeting in Rajakumari in Idukki district Kerala

Export Development Programmes



Indian spice trade delegation members with Embassy officials and buyers in Riyadh, KSA, during their visit to Saudi Arabia for export development of Indian spices with special focus on cardamom.



An one to one interaction of buyers with Indian exporters in progress in Jeddah, KSA



Spices Board Chairman, Dr.A.Jayathilak IAS handing over the memorandum of understanding on collaborative training centre for food safety to USFDA'S International Training Programme Manager Mr.James Rushing. Also seen are Dr.Indrani Ghose, Principal Counsellor, CII (right) and Mr.M.S.A Kumar, former Chairman of CII Kerala.



Dr.A.Jayathilak IAS, Chairman, Spices Board inaugurating the Quality Evaluation Lab in Narela in Delhi.



A view of the lab in Delhi



Dr.A.Jayathilak IAS, Chairman, Spices Board inaugurating the 27th Sub Committee meeting of ISO in Cochin



Shri Jyotiraditya M Scindia, Union Minister of State for Power is seen with dignitaries after unveiling the plaque of Spices Park, Guna in Madhya Pradesh



A view of general public present during the inauguration of Spices Park in Guna, Madhya Pradesh

Export Development Programmes



Dr.A.Jayathilak IAS, Chairman, Spices Board receiving the Niryat Bandhu Award for the Board's performance in spice exports from Shri.Pranab Mukherjee, President of India at Vigyha Bhavan, New Delhi.



Shri.P.M.Suresh Kumar, Secretary, Spices Board is seen making the presentation on Commodity Outlook in the 119th UPASI Annual Conference held at Coonoor.



Shri.J.Satyanarayana, Secretary, Ministry of Information Technology, Government of India inaugurating the electronic file processing system in Spices Board, Cochin.



Shri.Anand Sharma, Union Minister for Commerce, Industry & Textiles, Government of India addressing the gathering during the Productivity and Export Award presentation function held at Kovalam, Thiruvananthapuram.



A view of spice farmers and exporters attending the award function



The Commerce Secretary, Shri. S.R.Rao seeking a word of clarification from Additional Secretary, Shri.J.S.Deepak on spice plant leaf.



Chairperson of IPC Committee on Quality along with expert members and other participants of International Pepper Community Committee on Quality held at Jakarta

Publicity & Promotion Programmes



Board's officials interacting with a business visitors at SIAL-2012 held at Sao Paulo, Brazil



Indian exporters and the Board's representatives at the Board's stall in IFT Food Expo held at Las Vegas , USA



Dr.A.Jayathilak IAS Chairman, Spices Board (right) seen in discussion with a visitor at the stand at the VII Alimentec Corferias TradeFair in Bogota, Colombia.



A view of Board's stall in the 45th Algiers International Fair in Algiers.



A view of Board's stall in International Food and Hospitality Fair 2012 held at Chennai



The visitors viewing the spice samples at the Board's stand at the Africa's Big Seven held in Midrand, Johannesburg, South Africa



Mr. Julian Gale , Deputy Editor of Public Ledger, London seen in discussion with Dr.A.Jayathilak IAS Chairman, Spices Board in the exhibition organized during London Olympics.



The Board's representative briefing the activities of the Board to the visitors in India Show in Colombo.

Publicity & Promotion Programmes



Visitors discussing with the spice exporters in the Spices Board's stand at Food Ingredients India 2012 held in Mumbai.



Dr.A.Jayathilak IAS, Chairman, Spices Board presenting a pack of spice flavoured chocolates to Mr.Rajiv K Chander, Ambassador of India to Ukraine at the Board's stall held at Indian Show in Kiev.



The Board's officials receiving Mr.Ravinder Nath (third from left) First Secretary, Indian Embassy in Colombia with other officials in the Board's stand in Bogota D.C.



Shri.S.Siddaramappa, Director (Development) receiving the award for excellent display in India International Trade Fair 2012 held in Pragati Maidan, New Delhi.



View of the Board's stall in SIAL Paris.



Spices Board's Chairman Dr.A.Jayathilak IAS, (right) holding discussions with visitors at the stand in Fruit Trade 2012 fair held at Parque Araucano, Santiago, Chile.



Shri.D.Hegde, President, UPASI is being received at the Board's stall in UPASI Industrial exhibition held at Coonoor, Tamil Nadu.



Shri.V.Narayanan, Second Secretary in the High Commission of India (second from the right) at the Board's stand with the Board's officials in India Show 2012 held at Dhaka in Bangladesh.

Publicity & Promotion Programmes



A view of Board's stand in India Expo Karachi, Pakistan



A view of Board's stand in the Gourmet Food and Wine Expo in Toronto, Canada.



Shri.N.Kiran Kumar Reddy, Chief Minister of Andhra Pradesh at the Horti Expo 2013 held at Hyderabad.



Shri.Bimal Gurung, Chief Executive, Gorkhaland Territorial Administration, Darjeeling keenly looking at the spice samples displayed in the Board's stall at Krishi Mela exhibition held at Relli, Kalimpong.



A view of Board's stall in the Addis Ababa International Trade Fair held in Ethiopia



Dr. Agnes Kalibata, Agriculture Minister of Rwanda Government inaugurating the Agro Vision Expo 2013 in Nagpur



Mr. K.M. Chadrasekhar IAS, Vice Chairman, Planning Commission of Kerala inaugurating the Silver Jubilee celebration of the Board.



A view of former Chairmen of Spices Board who were present on the occasion of Silver Jubilee celebrations of the Board.

Research Programmes



Demonstration of one per cent Bordeaux mixture by the Scientist of RRS, ICRI, Tadong during the disease management campaigns held in Today Tangta in Sikkim.



A view of large cardamom growers attending the campaign in Today.



Shri.P.M.Sureshkumar Secretary & Director (Research) Spices Board inaugurating the 9th batch of GAP training programme at ICRI Myladumpara.



Dr.Suma Paulose, Head Agronomic Research Station, Chalakkudy, KAU, explaining about nutmeg propagation to the GAP trainees.



Shri.S.R.Sundararaman, an organic consultant in Sathyamangalam, Tamil Nadu explaining the concept of Organic farming to the trainees



Shri.Jaison Jerome, Bio Dynamic farming consultant explaining the Bio dynamic preparations.



Dr.Sivaswamy, Dean, Agriculture Engineering College, KAU, Tavanoor (first from the right) explaining the mechanisation of farm operations. Dr.P.R.Jayan HOD, (second from the left) is also present.

Research Programmes



Dr.T.N.Deka , Scientist B &CoPI, NAIP III is seen addressing the farmers on large cardamom production techniques.



Demonstration on proper method of planting of large cardamom is in progress in Dzongu, North Sikkim.



Nutmeg farmers listening to Scientist of ICRI on traceability in nutmeg



An innovative 'nutmeg decorticating machine' developed by Sri. V R Sachidanandan, Veliyathu House, South Aduvassery P.O, Chengamanad, Ernakulam



A Spice Clinic held in Aadukidanthan in Udumbanchola, Idukki district, Kerala organized by ICRI, Myladumpara.



कार्यकारी सारांश

भारतीय मसाला निर्यात वर्ष 2012-13 के दौरान परिमाण एवं रुपयों की हैसियत से मूल्य में अत्यधिक लाभ दर्ज कर सका है। देश से मसाले निर्यात के इतिहास में सबसे पहली बार, परिमाण में, सार्वकालिक 22 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है। अवधि के दौरान, मसालों का कुल निर्यात पहली बार ₹10,000.00 करोड़ का लक्ष्य भी पार कर चुका है।

अप्रैल 2012-13 के दौरान, परिमाण में 22 प्रतिशत और रुपयों की दृष्टि से मूल्य में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2011-12 के ₹9783.42 करोड़ (2037.76 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्यवाले 575,270 टन के मुकाबले में, देश से ₹11171.16 करोड़ (2040.18 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्यवाले कुल 699,170 टन मसालों एवं मसाले-उत्पादों का निर्यात किया गया।

मसालों के कुल निर्यात ने वर्ष 2012-13 के दौरान मात्रा और मूल्य, दोनों दृष्टियों से लक्ष्य पार किया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹8203.50 करोड़ (1650.00 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्यवाले 566,000 टन के लक्ष्य की अपेक्षा लब्धि मात्रा के तौर पर 124 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से रुपयों में 136 प्रतिशत तथा डॉलरों में 134 प्रतिशत है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, इलायची (बड़ी), मिर्च, धनिया, जीरा, बड़ी सौंफ, मेथी, सेलरी, अन्य बीज जैसेकि सरसों, सौंफ, अजोवन बीज आदि, जायफल और जावित्री (मेस), लहसुन तथा हींग, इमली जैसे अन्य मसालों ने वर्ष 2011-12 की अपेक्षा परिमाण एवं मूल्य दोनों बतौर वृद्धि दर्शाई है। करी पाउडर/मिश्रण, मसाले तेल व तैलीराल जैसे मूल्ययोजित उत्पादों तथा पुदीना उत्पादों के निर्यात ने भी वर्ष 2011-12 की तुलना में परिमाण एवं मूल्य के तौर पर वृद्धि दर्शाई है। हल्दी के मामले में, केवल मात्रा में वृद्धि रही है। कालीमिर्च, इलायची (छोटी) और अदरक जैसे अन्य मसालों ने पिछले साल की तुलना में परिमाण एवं मूल्य में हास दर्शाया है।

वर्ष 2012-13 में मसालों के निर्यात में, मिर्च (40 प्रतिशत), हल्दी (11 प्रतिशत) और जीरा (11 प्रतिशत) ने मिलकर कुल परिमाण का 62 प्रतिशत एवं पुदीना उत्पाद (30 प्रतिशत), मिर्च (20 प्रतिशत), मसाले तेल व तैलीराल (12 प्रतिशत) और जीरा (10 प्रतिशत) ने मिलकर कुल मूल्य का 72 प्रतिशत योगदान दिया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, कालीमिर्च, इलायची (छोटी), धनिया, जीरा, मेथी, सरसों एवं केसर के औसतन घरेलू मूल्य पिछले साल की तुलना में बढ़ गए हैं जबकि इलायची (बड़ी), मिर्च, अदरक, हल्दी, लहसुन, बड़ी सौंफ, अजोवन बीज, इमली, लौंग, जायफल और जावित्री (मेस) के मूल्य घट गए हैं।

बोर्ड ने बारहवीं योजना ई एफ सी/एस एफ सी का प्रस्ताव, ₹670.00 करोड़ के संशोधित कुल परिव्यय के साथ सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है। इस बारहवीं योजना को लंबित रखते हुए, सरकार ने वित्तीय वर्ष (एफ वाई) 2012-13 के लिए ग्यारहवीं प्लान योजनाओं को जारी रखने और बजट व्यवस्था के उपयोजन के मार्गनिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, ₹100.00 करोड़ के वार्षिक प्लान बजट आबंटन के मुकाबले में ₹100.21 करोड़ की वित्तीय लब्धि के साथ वर्ष 2012-13 के दौरान ग्यारहवीं प्लान योजनाएं एवं उनके कार्यक्रम जारी रखे गए।





वर्ष 2012-13 के दौरान, 2250 हेक्टर क्षेत्र इलायची (छोटी) के पुनरोपण के अधीन लाए गए। इलायची (बड़ी) के मामले में, 1501 हेक्टर पुनरोपण/नव रोपण के अधीन लाए गए।

सिंचाई एवं भू विकास, वर्षा जल संभरण उपाय, सुधरे क्यूरिंग उपाय आदि केलिए सहायता उपलब्ध कराना जैसे कार्यक्रम इलायची के लिए कार्यान्वित किए गए। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, इलायची (बड़ी), अदरक एवं लकादोंग हल्दी की खेती केलिए सहायता प्रदान की गई। अन्य मसालों केलिए, पॉलिथीन शीटों, श्रेषरों, पॉलिशरों की सप्लाई एवं कृषकों को प्रशिक्षण जैसे फसलोत्तर सुधार कार्य केलिए सहायता प्रदान की गई। मसालों की जैव खेती, आई पी एम को बढ़ावा, केंचुआ-कंपोस्ट यूनितों की स्थापना आदि केलिए भी समर्थन दिया गया।

केरल के वयनाड जिले और उत्तर पूर्वी राज्यों में कालीमिर्च के विकास केलिए नई योजना अक्तूबर 2009 के दौरान मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई थी और उसका कार्यान्वयन 2012-13 के दौरान जारी रखा गया। पुनरोपण/पुनर्युवन कार्यक्रम के अधीन, वयनाड जिला और उत्तर पूर्वी राज्यों में 4827 हेक्टर क्षेत्र लाए गए।

बोर्ड ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अधीन केरल के इडुक्की जिले में कालीमिर्च पुनरोपण एवं पुनर्युवन कार्यक्रम जारी रखा और 2012-13 के दौरान 7091 हेक्टर क्षेत्र इसके अधीन लाए गए।

मसालों के निर्यात विकास एवं संवर्धन के अधीन, 2012-13 के दौरान, मसाला प्रसंस्करण में हाई-टेक अपनाने, इन हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना/के उन्नयन करने, व्यावसायिक नमूने विदेश भेजने, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग, वेअरहाउसिंग आदि हेतु सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलाओं/प्रदर्शनियों आदि में प्रतिभागिता केलिए कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। बोर्ड ने विविध राष्ट्रों में 20 अन्तर्राष्ट्रीय मेलाओं में तथा 25 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया था।

जोधपुर (राजस्थान) और गुना (मध्यप्रदेश) में मसाला पार्कों की स्थापना 2012-13 के दौरान पूरी की गई। गुण्टूर (आंध्रप्रदेश), शिवगंगई (तमिलनाडु) एवं कोटा (राजस्थान) में मसाला पार्कों की स्थापना का कार्य चालू है।

नरेला (नई दिल्ली) एवं तूतिकोरिन (तमिलनाडु) में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना 2012-13 के दौरान पूरी की गई है। कोलकाता एवं काण्डला में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रगति पर है।

कोच्ची, मुंबई, गुण्टूर एवं चेन्नई में स्थापित बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने 2012-13 के दौरान मिर्च एवं मिर्च उत्पाद तथा हल्दी पाउडर में नाशीजीवनाशी अवशेष, एफ्लाटोक्सिन, अवैध-रंजक जैसे विविध पैरामीटरों केलिए कुल 82731 नमूनों का विश्लेषण किया।

बोर्ड के भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान ने फसल सुधार, फसल प्रबंधन, फसल संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, फसलोत्तर तकनोलजी एवं तकनोलजी-अन्तरण पर अपने कार्यक्रम जारी रखे। मोबाइल एग्री क्लिनिक, मृदा-स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ट्राइकोडर्मा एवं स्यूडोमोनास जैसे जैव अभिकारकों का उत्पादन एवं आपूर्ति जैसे कार्यक्रमों पर ज़ोर दिया गया।





रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा अनुभाग ने सरकार की राजभाषा नीति के कारगर कार्यान्वयन के लिए उपयोगी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के रूपायन के लिए बोर्ड को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग हेतु जारी अनुदेशों और आदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार विविध कार्यक्रम चलाए।

आधुनिक सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप इ-ऑफिस डिजाइन किया गया और अगली पीढ़ी की सरकार के उपाय के रूप में समझा गया। यह कर्मचारियों के लिए आन्तरिक सूचना को पाने का व्यक्तिगत कार्य आधारित, सुरक्षित प्रवेश के लिए एक मंच का मार्ग प्रशस्त करता है जो किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए पाया जा सकता है। इस एकल मंच के साथ समस्त संगठन सहयोग दे सकता है और किसी भी फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तावेज़ों को बाँट सकता है। इस प्रणाली ने स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय की पारंपरिक वस्तुगत फाइल के स्थान पर इलेक्ट्रॉनी फाइल प्रणाली प्रतिस्थापित की है।

गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड ने 'जोइंट इन्स्टिट्यूट फॉर फूड सेफ्टी अप्लाइड न्यूट्रीशन', (जे आई एफ एन), यूनीवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, यू एस ए तथा कोनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज़-फूड एण्ड एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सलेन्स (सी आई आई-एफ ए सी ई) के साथ मिलकर, मसालों एवं वानस्पतिक संघटकों के आपूर्ति श्रृंखला-प्रबंधन में खाद्य सुरक्षा पर क्षमता के निर्माण के लिए एक सहयोजित प्रशिक्षण केन्द्र (कोलाबोरेटिव ट्रेनिंग सेंटर - सी टी सी) की स्थापना की है और तीन चरणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई है।

जुलाई 2012 में रोम में संपन्न कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन के 35 वें वार्षिक सत्र में, बोर्ड ने, कोडेक्स के अधीन दुनियाभर के मसालों के भौतिक गुणवत्ता स्तरों के बीच तालमेल बनाने सामंजस्य बनाने के लिए मसालों, पाक्य शाकों एवं उनके रूपायनों पर कोडेक्स समिति की स्थापना हेतु प्रस्ताव किया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, इलायची की खेती करनेवाले कृषकों, मसालों के रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों, अनुज्ञप्त इलायची नीलामकर्त्ताओं/ब्यौहारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

		कुल संख्या	
1	खेती करनेवाले कृषक		
		इलायची (छोटी)	40,495
		इलायची (बड़ी)	30,000
2	मसालों के रजिस्ट्रीकृत निर्यातक		
		व्यापारी निर्यातक	3,605
		विनिर्माता निर्यातक	612
3	अनुज्ञप्त इलायची नीलामकर्त्ता		
		इलायची (छोटी)	14
		इलायची (बड़ी)	2
4	अनुज्ञप्त इलायची ब्यौहारी		
		इलायची (छोटी)	348
		इलायची (बड़ी)	72





I. संघटन और प्रकार्य

स्पाइसेस बोर्ड का संघटन

संसद द्वारा अधिनियमित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 10) में इलायची की खेती एवं उससे जुड़े मामलों के नियंत्रण सहित मसालों के निर्यात के विकास तथा इलायची उद्योग के नियंत्रणार्थ बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार ने स्पाइसेस बोर्ड का गठन किया जो 26.02.1987 से अस्तित्व में आ गया।

स्पाइसेस बोर्ड की सदस्यता में:

- (क) अध्यक्ष
 - (ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुने हुए होते हैं
 - (ग) केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि तीन सदस्य:
 - (i) वाणिज्य
 - (ii) कृषि; एवं
 - (iii) वित्त
 - (घ) मसाले कृषकों के प्रतिनिधि सात सदस्य
 - (ङ) मसाले निर्यातकों के प्रतिनिधि दस सदस्य
 - (च) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तीन सदस्य
 - (छ) निम्नलिखित प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्य:-
 - (i) योजना आयोग
 - (ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई
 - (iii) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर
 - (iv) भारतीय मसाले फसल अनुसंधान संस्थान, कालिकट
 - (ज) मसाले श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधि एक सदस्य
- (स्पाइसेस बोर्ड के इस वर्ष के सदस्यों की सूची अनुबंध - 1 में दी गई है)

बोर्ड के कार्य

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के मुताबिक स्पाइसेस बोर्ड को निम्नलिखित काम सौंप दिए गए हैं:-





बोर्ड -

- (i) मसालों का विकास, प्रचार एवं निर्यात - नियमन करें;
- (ii) मसालों के निर्यात के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;
- (iii) मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम व परियोजना चलाए;
- (iv) मसालों के प्रसंस्करण, ग्रेडिंग व पैकेजिंग के गुणवत्ता तकनीक के सुधार के लिए अनुसंधान व अध्ययन कार्य को सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करें;
- (v) निर्यातार्थ मसालों के मूल्य के स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास करें;
- (vi) उपयुक्त गुणवत्ता प्रतिमानों का विकास तथा निर्यातलायक मसालों का 'गुणवत्ता - चिह्नांकन' द्वारा गुणवत्ता - प्रमाणीकरण करें;
- (vii) निर्यातार्थ मसालों की गुणवत्ता का नियंत्रण करें;
- (viii) निर्यातार्थ मसालों के विनिर्माताओं को निर्धारित शर्त व निबन्धनों के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करें;
- (ix) निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यकता महसूस होने पर किसी भी मसाले का विपणन करें;
- (x) मसालों के लिए विदेशों में भण्डागार सुविधाएँ प्रदान करें;
- (xi) संकलन एवं प्रकाशनार्थ मसाले विषयक सांख्यिकी इकट्ठा करें;
- (xii) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री के लिए किसी भी मसाले का आयात करें; तथा
- (xiii) मसालों के आयात - निर्यात संबंधी बातों पर केन्द्र सरकार को सलाह दे दें।

साथ ही, बोर्ड -

- (i) इलायची कृषकों के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा दें;
- (ii) इलायची कृषकों को लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;
- (iii) इलायची खेती और प्रसंस्करण के सुधरे तरीकों, इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करें;
- (iv) इलायची की बिक्री को विनियमित तथा उसके मूल्य को स्थिर रखें;
- (v) इलायची की जाँच तथा उसके ग्रेड मानदण्डों को स्थिर करने का प्रशिक्षण प्रदान करें;
- (vi) इलायची के उपभोग को बढ़ावा दें तथा उसके प्रचार-प्रसार को जारी रखें;
- (vii) इलायची के (नीलामकर्ताओं सहित) दलालों एवं इलायची का धंधा करनेवाले लोगों को पंजीयन और अनुज्ञप्ति दें;
- (viii) इलायची के विपणन में सुधार करें;





- (ix) इलायची उद्योग से जुड़े किसी भी विषय पर कृषकों, व्यापारियों या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट लोगों से आंकड़ा इकट्ठा करें और उनको या उनके अंश को या उनके सारांश को प्रकाशित करें;
- (x) श्रमिकों के लिए बेहतर कार्यकारी परिस्थितियों और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें, और
- (xi) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य चलाएँ, उनके लिए प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।

बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं:-

1.	इलायची	19.	कोकम	36.	हिस्सप
2.	कालीमिर्च	20.	पुदीना	37.	जूनिपर बेरी
3.	मिर्च	21.	सरसों	38.	बे-पत्ता
4.	अदरक	22.	अजमोद	39.	लूवेज
5.	हल्दी	23.	अनारदाना	40.	मर्जोरम
6.	धनिया	24.	केसर	41.	जायफल
7.	जीरा	25.	वैनिला	42.	मेस
8.	बडी सौंफ	26.	तेजपात	43.	तुलसी
9.	मेथी	27.	पीपला	44.	खसखस
10.	सेलरी	28.	स्टार एनीज़	45.	ऑलस्पाइस
11.	सौंफ	29.	स्वीट फ्लैग	46.	रोज़मेरी
12.	मसाले का पौधा	30.	महा गेल्लेंजा	47.	सेज
13.	काला जीरा	31.	होर्स-रैडिश	48.	सेवरी
14.	सोआ	32.	केपर	49.	थाइम
15.	दालचीनी	33.	लौंग	50.	ओरगेनो
16.	कैसिया	34.	हींग	51.	टेरागन
17.	लहसुन	35.	केम्बोज	52.	इमली
18.	करी पत्ता				

(करी पाउडर, मसाले तेल, तैलीराल एवं अन्य मिश्रण सहित किसी भी रूप में हो, जहाँ मसाला घटक प्रमुख है)

बोर्ड की निम्नलिखित तीन सांविधिक समितियाँ हैं:-

- (i) कार्यकारी समिति
- (ii) इलायची के लिए अनुसंधान एवं विकास समिति
- (iii) मसालों के लिए विपणन विकास समिति





2. प्रशासन

बोर्ड के कार्मिक

डॉ. ए. जयतिलक, भा.प्र.से., बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जारी रहे। रिपोर्ट की अवधि के दौरान श्री पी.एम. सुरेशकुमार, सचिव के रूप में जारी रहे और उन्होंने निदेशक (अनुसंधान) का अतिरिक्त प्रभार भी धारण किया। सी.ए.के.सी. बाबु, निदेशक (वित्त) 3-2-2013 तक जारी रहे और उन्होंने 4-2-2013 से लेकर निदेशक (विपणन) का प्रभार धारण किया। श्री एस. सिद्धरामप्पा, निदेशक (विकास) के रूप में जारी रहे। डॉ. एम. आर. सुदर्शन, वैज्ञानिक-डी ने 3-2-2013 तक निदेशक (विपणन) का और 4-2-2013 से लेकर निदेशक (वित्त) का प्रभार धारण किया।

जैसेकि 31 मार्च 2013 को है, स्पाइसेस बोर्ड की स्टाफ संख्या 475 थी, जिसमें 95 वर्ग 'क', 145 वर्ग 'ख', 229 वर्ग 'ग' और 6 विभागीय कैंटीन कर्मचारी शामिल है।

नियुक्तियों और पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण

बोर्ड अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) पद आधारित आरक्षण का उचित रूप से कार्यन्वयन करता है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन भी किया जाता है। जैसेकि 31 मार्च 2013 को है, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की श्रेणियों में 239 पदाधिकारी थे। बोर्ड विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण रोस्टर भी बनाए रखता है।

महिला कल्याण

रिपोर्ट के अधीन की अवधि के दौरान, वर्ग 'क', 'ख', 'ग' श्रेणियों में बोर्ड के कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 123 थी। महिला पदाधिकारियों की शिकायतों पर समय पर और उचित तौर पर ध्यान दिया जाता है। बोर्ड के एक महिला अधिकारी को 'महिला कल्याण अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि महिलाओं की परेशानियों और समस्याओं को, यदि कोई हो, तो उन्हें जानने और संभव समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके।

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण ने का.ज्ञा. सं ए बी - 14017/37/2008 - स्थापना (भ.नि.) दिनांक : 10 सितंबर 2010 द्वारा छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वैज्ञानिकों के लिए संशोधित लचीली पूरक योजना 10-09-2010 के प्रभाव से कार्यान्वित की है। और तदनुसार स्त्रीनिंग समिति की प्राथमिक बैठक 21-03-2013 को आयोजित की गई।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का कल्याण

बोर्ड ने अ.जा./अ.ज.जा. व अ.पि.व. के पदाधिकारियों के कल्याण की देखभाल एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समितियों का गठन किया था। अ. पि. व. की समिति की बैठक 8 फरवरी 2013 को संपन्न हुई। उसमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए संसदीय समिति ने 8 से 11 फरवरी 2013 के दौरान कोच्ची का अध्ययन दौरा आयोजित किया था और बोर्ड ने 9 फरवरी 2013 को समिति के समक्ष सुझाव रखे थे।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओडिटेर्स ऑफ इण्डिया (आई पी ए आई) को बोर्ड के कार्यालयों की आन्तरिक लेखा-परीक्षा करने का कार्य सौंप गया है।

बोर्ड की बैठकें

रिपोर्ट के अधीन की अवधि के दौरान, बोर्ड की दो बैठकें 17 जुलाई 2012 और 6 नवंबर 2012 को संपन्न हुईं।





बोर्ड के कार्यालय

बोर्ड का मुख्यालय, कोचिन, केरल में स्थित है। वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय प्रवृत्त रहे:-

विपणन

स्पाइसेस बोर्ड के विपणन कार्यालय मुंबई, चेन्नई, तूतिकोरिन, बोडिनायकन्नूर, गुण्टूर, बैंगलोर, नई दिल्ली, अहमदाबाद, छिन्दवाडा, गुना, कोलकत्ता, गुवाहटी, शिवगंगा एवं सिंगताम में स्थित हैं।

विकास

प्रादेशिक कार्यालय अहमदाबाद, नेडुंकण्डम, पुट्टडी, कलपेट्टा, सकलेशपुर, गुण्टूर, वारंगल, गांगतोक, गुवाहटी, जोधपुर एवं लखनऊ में हैं।

आंचलिक कार्यालय नेडुंकण्डम, वण्डनमेडु (पुट्टडी), कुमिळी, कट्टप्पना, राजकुमारी, चेरुतोणी, सुलत्तान बत्तेरी, चिकमगळूर, मडिकेरी, शिमोगा, अगरत्तला, ऐज़ल, ईटानगर, जोरथांग, कलिमपोंग, मंगन एवं तादोंग में हैं।

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र में 49 क्षेत्र कार्यालय प्रवृत्त हैं। कर्नाटक राज्य में बोर्ड की पाँच विभागीय नर्सरियाँ भी बरकरार हैं।

अनुसंधान

मैलाडुंपारा (केरल) के भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आई सी आर आई) और सकलेशपुर (कर्नाटक), तादोंग (सिक्किम) के क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों ने अपना प्रवर्तन जारी रखा।

मानव संसाधन विकास

एक्सपीरियन्शल चार सौ से ज्यादा कर्मचारियों ने 'आउटबाउण्ड एक्सपेरिमेंटल' प्रशिक्षण पाया। यह प्रशिक्षण वैयक्तिक व्यवहार एवं टीम प्रक्रमण में एक निदर्शनात्मक परिवर्तन लाने के लिए आयोजित था ताकि व्यक्ति संघटित एवं क्रियाशील हो। इस प्रशिक्षण से जो फायदा है, इसमें सहयोग, अन्योन्याश्रय, नेतृत्व करने की क्षमता, संप्रेषण-क्षमता, विश्लेषणात्मक- सोच, नए सिरे से सोचना, संदिग्धताओं का सामना करना, कामकाज में अभिनव परिवर्तन और साधनों के उपयोजन में आशावादी बनाना आदि शामिल हैं।

बोर्ड ने संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के ज़रिए बेहतर निष्पादन और वृद्धि लाने के इरादे के साथ एच आर परामर्श का कार्य मेसर्स पीपिल फैसेट बिज़िनस सोल्यूशन्स **एल एल पी** को सौंपा है। परामर्श के कार्यक्षेत्र में, संगठनात्मक लक्ष्यों और निष्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन के अन्तर्गत संगठन के प्रयोजन एवं निष्पादन की संरचना के डिज़ाइन करने के उद्देश्य, लोगों का अवलोकन, पुनः निर्माण प्रक्रिया और रिपोर्टिंग शामिल हैं।

बागान श्रम कल्याण

बोर्ड ने इलायची बागानों में कार्यरत श्रमिकों के हित के लिए बागान श्रम कल्याण के अधीन निम्नलिखित योजनाओं को जारी रखा:-

- 1) इलायची संपदा कामगारों के बच्चों को शैक्षिक वजीफा प्रदान करना
- 2) शैक्षिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान





यह योजना एस.एस.एल.सी. के बाद अपनी शिक्षा जारी रखनेवाले छात्रों के लिए है। योजना के अधीन, स्पाइसेस बोर्ड, बोर्ड द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों की पूर्ति पर इलायची बागान के कामगारों के पात्र बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। बोर्ड ने अधिनियम के अनुसार सूचना के प्रसारण हेतु उप निदेशक (योजना व समन्वयन) को केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक (विपणन) को सहायक केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है। बोर्ड ने मुख्यालय में नौ सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (पी आई ओ) एवं क्षेत्र-यूनिटों में 22 सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना के प्रसारण हेतु पदनामित किया है। सचिव, स्पाइसेस बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत अपील की सुनवाई के लिए बोर्ड के अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। उप निदेशक (इ.आँ.प्र.) को आर टी आई अधिनियम की धारा 4 के तहत बाध्यताओं के कार्यान्वयन के अधिदर्शन के लिए बोर्ड के 'पारदर्शिता अधिकारी' के रूप में पदनामित किया गया है।

बोर्ड ने हर सूचना, जो प्रकट करना अपेक्षित है, ऐसे रूप एवं प्रकार में प्रकट की है, जो आर टी आई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के तहत है, वेबसाइट के माध्यम से लोगों को प्राप्य है। वर्ष 2012-13 के दौरान आर टी आई के अधीन कुल 58 आवेदन प्राप्त हुए और निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत सभी मामलों पर सूचना प्रदान की गई है। वर्ष 2012-13 के दौरान एक अपील प्राप्त हुई थी। मासिक आर टी आई विवरणी मंत्रालय को भेजी गई और तिमाही आर टी आई विवरणी केंद्रीय सूचना आयोग के वेबसाइट में समय पर अद्यतन बनाई गई।

राजभाषा (रा.भा.) नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अनुभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान भी बोर्ड में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करने का कार्य जारी रखा। बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सहमति और उसके अनुमोदन के साथ राजभाषा अनुभाग ने राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्य अनुदेशों व आदेशों के अनुसरण में विविध संवर्धनात्मक कार्यक्रम रूपायित करके चलाए। इन कार्यक्रमों को केवल मुख्यालय तक सीमित न रखा गया, बल्कि बाहर के कार्यालयों को भी समेटा गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बोर्ड की मुख्य धारा कार्यकलापों से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को जोड़ना भी था। इन सारे प्रयासों को वाणिज्य विभाग, संसदीय राजभाषा समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय जैसे संबंधित प्राधिकरणों द्वारा मान्यता दी गई। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए स्थापित राजभाषा शील्ड बोर्ड को 3 अगस्त 2012 को संपन्न हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में प्रदान किया गया। बोर्ड की मासिक पत्रिका स्पाइस इण्डिया (हिन्दी) को टोलिक, कोच्ची के अधीन के केंद्रीय सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट हिन्दी पत्रिका के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा अनुभाग द्वारा किए प्रयास और प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार थीं:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.भा.का.स.) की चार बैठकें मुख्यालय में क्रमशः 27/06/2012, 30/10/2012, 26/12/2012 एवं 26/03/2013 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के विविध पहलुओं पर चर्चा की गई और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की गई। रा.भा.का.स. के गठन और नियमित रूप से उसकी बैठकों के आयोजन के लिए आई सी आर आई, मैलाडुंपारा को भी आवश्यक समर्थन और मार्गनिर्देश प्रदान किए गए।





2. मुख्यालय के स्टाफ सदस्यों के लिए चार हिन्दी कार्यशालाएं (26-27/06/2012, 22-23/08/2012, 11-12/12/2012 एवं 18-19/04/2013 को) आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं के ज़रिए 66 स्टाफ सदस्यों को हिन्दी प्रशिक्षण दिलाया गया।
3. वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली की हिन्दी सलाहकार समिति की 03/08/2012 को संपन्न बैठक में भाग लिया।
4. विभिन्न हिन्दी पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के लिए चंदा का नवीकरण किया। स्टाफ सदस्यों के बीच वितरण के लिए हिन्दी-अंग्रेज़ी प्रशासनिक शब्दावली की पर्याप्त प्रतियां प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के साथ पत्राचार किया गया।
5. हिन्दी शिक्षण योजना, कोच्ची के अधीन हिन्दी टंकण/कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से एक स्टाफ सदस्य को और केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के तहत पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण के लिए बाहरी कार्यालयों के तीन स्टाफ सदस्यों को नामांकित किया गया।
6. कोच्ची टोलिक एवं उसके सदस्य संगठनों द्वारा 21/08/2012 एवं 27/12/2012 को आयोजित बैठकों में भाग लिया। मंत्रालय द्वारा उद्योग भवन, नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली भरने के संबंध में आयोजित कार्यशाला में भी भाग लिया।
7. मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 14-09-2012 'हिन्दी दिवस 2012' के रूप में मनाया गया।
8. हिन्दी पखवाडा 14-27 सितंबर 2012 के दौरान मनाया गया। श्रीमती विनीता शुक्ला, हिन्दी लेखिका ने समारोह का उद्घाटन किया। स्टाफ एवं उनके बच्चों के लिए विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं चलाई गईं। समारोह का समापन 4 जनवरी 2013 को आयोजित किया गया और विजेताओं को ट्रॉफियों, प्रमाणपत्रों एवं नकद पुरस्कारों का वितरण किया गया। श्री आर. ओ. सुनिल बाबु, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, कोच्ची इस अवसर पर मुख्यातिथि थे।
9. हिन्दी पखवाडा समारोह 2012 के सिलसिले में एक विशेष कार्यक्रम के रूप में 21 सितंबर 2012 को मसालों पर एक फोन-इन हिन्दी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया और आकाशवाणी के ज़रिए इसका संप्रेषण किया गया।
10. हिन्दी पखवाडा समारोह 2012 के भाग के रूप में राजभाषा के रूप में हिन्दी की अहमियत पर एक स्किट तैयार किया गया और 28 सितंबर 2012 को आकाशवाणी ज़रिए प्रसारित किया गया।
11. हिन्दी पखवाडा समारोह 2012 के दौरान इपको किसान सर्विस लि. (ई के एस एल) के साथ मिलकर एक हफ्ते के लिए मसालों पर हिन्दी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलाया गया।
12. जोधपुर (राजस्थान), नई दिल्ली एवं नेडुंकण्डम (केरल) स्थित प्रादेशिक कार्यालयों और कर्नाटक क्षेत्र के 21 आंचलिक/क्षेत्र कार्यालयों में राजभाषा निरीक्षण चलाया गया और कार्यान्वयन को और सक्षम और प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सलाह भी दिए गए।
13. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने जोधपुर (राजस्थान) एवं नेडुंकण्डम (केरल) स्थित प्रादेशिक कार्यालयों का दौरा/निरीक्षण क्रमशः 16/10/12 एवं 18/02/2013 को किया। प्रादेशिक कार्यालय (विकास), जोधपुर को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अधीन 05-02-2013 को अधिसूचित किया गया।





14. आई सी आर आई, मैलाडुंपारा केलिए राजभाषा प्रशिक्षार्थी के चयन केलिए 16 मई 2012, 26 सितंबर 2012 एवं 7 फरवरी 2013 को) वॉक-इन इन्टरव्यू चलाई गई।
15. बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com को अद्यतन बनाने केलिए एक समिति (वेबसाइट-सुधार समिति) का गठन किया गया। समिति की दो बैठकें 08/08/2012 एवं 21/12/2012 को आयोजित की गईं। वेबसाइट को अद्यतन बनाने केलिए कदम उठाए गए। हिन्दी संबंधी सूक्तियां बोर्ड के इन्ट्रा-वेब में प्रदर्शित करने का कार्य शुरू किया गया।
16. विशेष घटनाओं का हिन्दी वेबसाइट में स्कॉल के रूप में प्रदर्शन शुरू किया गया।
17. मसाले उद्योग के लाभग्राहियों को हिन्दी में उपयोगी सूचना भेजना शुरू किया।
18. इ-ऑफिस में परिवर्तन के साथ ही साथ स्टाफ सदस्यों के प्रयोजनार्थ वेबसाइट में हिन्दी में नेमी टिप्पणियां होस्ट की गईं। ई डी पी अनुभाग के साथ मिलकर इ-ऑफिस में हिन्दी को शामिल करने के प्रयास जारी हैं।
19. मुख्यालय में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटरों में यूनिकोड को सक्रिय बनाया गया। यूनिकोड को सक्रिय बनाने का 'फ्लो चार्ट' सभी बाहरी कार्यालयों को भेजा गया।
20. ई डी पी अनुभाग के साथ मिलकर इ-ऑफिस के साथ यूनिकोड से काम करने केलिए मुख्यालय के स्टाफ सदस्यों केलिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
21. 'आज का शब्द' सेवा इ-ऑफिस के ज़रिए जारी रखी।
22. बोर्ड के अधिकारक्षेत्र के अधीन आनेवाले मसालों के नामों के मानकीकरण से जुड़े कार्य 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली' के साथ सहयोग से जारी हैं।
23. भारत की प्रमुख मिर्च किस्मों पर 'फिर आई (बागों में) बहार' नामक हिन्दी पुस्तिका निकालने केलिए सामग्री तैयार की गई।
24. 'मैनुअल ऑन डेलिगेशन ऑफ पावर्स' केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली की मदद से द्विभाषी रूप में तैयार किया गया और बोर्ड की वेबसाइट में होस्ट किया गया।
25. हिन्दी मासिक पत्रिका 'स्पाइस इण्डिया' एवं द्विभाषिक साप्ताहिक बुलेटिन 'स्पाइसेस मार्केट' का प्रकाशन जारी रखा गया।
26. 16 मार्च 2013 को स्पाइसेस पार्क, गुना के उद्घाटन केलिए बैनर, नोटीस, बैकड्रॉप, मुद्रण सामग्री आदि हिन्दी में तैयार की गईं।

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवा

बोर्ड के पुस्तकालय में कम्प्यूटरीकृत ग्रन्थ सूची दिता-बेस सहित पुस्तकों और पत्रिकाओं का अच्छा संग्रहण है। पुस्तकालय एवं प्रलेखन इकाई को मज़बूत बनाने की प्रक्रिया नई अतिरिक्त पुस्तकों और पत्रिकाओं के साथ जारी रखी गई। वर्ष 2012-13 के दौरान, 207 नई पुस्तकें खरीदी गईं और करीब 130 पत्रिकाओं केलिए चन्दा जारी रखा गया। पुस्तकालय ने पुस्तकालय दस्तावेज़ों एवं पत्रिकाओं का परिचालन, दस्तावेज़ सुपुर्दगी सेवाएं, वर्तमान जागरूकता सेवाएं, दैनिक सूचना सेवाएं, सीडी रोम सर्च, मसालों एवं मसाले मिश्रणों पर समाचार पत्र कतरन सेवा जैसी नियमित सेवाएं जारी रखीं। विविध विश्वविद्यालयों के करीब 50 छात्रों एवं शोधकर्ताओं को मार्गनिर्देश सहित संदर्भ सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। पुस्तकालय में बारकोड स्कैनर सुविधाओं और मल्टीमीडिया अनुभाग की स्थापना करते हुए पुस्तकालय का उन्नयन किया गया।





3. वित्त और लेखा

प्लान के अधीन बोर्ड की योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं इमदाद द्वारा की जाती है। प्रशासन के गैर-योजना खर्च मुख्यतः सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और बोर्ड के विविध कार्यकलापों से बननेवाले आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई ई बी आर) के जरिए चुकाए जाते हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्लान के अधीन ₹ 10,000.00 लाख और नॉन-प्लान के अधीन ₹ 935.00 लाख बोर्ड के लिए अनुमोदित बजट है। वर्ष 2012-13 के दौरान प्लान बजट के अधीन सहायता-अनुदान के लिए ₹ 3,600.00 लाख, इमदाद के लिए ₹ 4,900.00 लाख, योजना के अधीन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए उपबन्ध के रूप में ₹1000.00 लाख, प्लान के अधीन एस सी उप प्लान के लिए ₹500.00 लाख और गैर योजना के अधीन ₹ 900.00 लाख बोर्ड को प्राप्त हुए। बोर्ड ने 2012-13 के दौरान गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता जाँच-सेवाओं के विश्लेषण चार्ज, पौधशालाओं से पादपों, अनुसंधान फार्मों के फार्म-उत्पाद की बिक्री, चंदा एवं विज्ञापन शुल्क, निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण शुल्क, कर्मचारियों द्वारा अग्रिम की वापसी, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालीन जमा पर ब्याज आदि से ₹ 966.00 लाख का आई ई बी आर जमाए। वर्ष 2012-13 के दौरान, प्लान एवं नॉन-प्लान के अधीन का कुल व्यय ₹ 11633.79 लाख था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

लेखा शीर्ष	बजट निर्मोचन (₹ लाख)	व्यय (₹ लाख)
प्लान		
केरल के वयनाडु जिले एवं उत्तरपूर्वी राज्यों में कालीमिर्च का निर्यातोन्मुख उत्पादन और पुनरोपण/पुनर्युवन	4350.00	4346.86
निर्यातोन्मुख विकास एवं संवर्धन	4500.00	4514.89
निर्यातोन्मुख अनुसंधान	600.00	611.50
गुणवत्ता सुधार	450.00	447.16
एच आर डी व निर्माण कार्य	100.00	100.93
कुल (प्लान)	10000.00	10021.34
नॉन-प्लान	900.00	1612.45
कुल (नॉन-प्लान व प्लान)	10900.00	11633.79





बोर्ड अन्य सरकारी विभागों एवं राष्ट्रीय अभिकरणों, जैसेकि एन एच एम, आई सी ए आर, एस एच एम, ए एस आई डी ई (राज्य कोष) आदि से प्राप्त अनुदानों से कुछ अन्य चालू परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता आ रहा है। वर्ष 2012-13 के दौरान की ऐसी परियोजनाओं, प्राप्त अनुदानों एवं खर्च किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

कार्यक्रम	निर्माचन (₹ लाखों में)	व्यय (₹ लाखों में)
ए एस आई डी ई	2940.63	1052.62
एन एच एम-इडुक्की जिले में कालीमिर्च पुनरोपण व पुनर्युवन	800.00	1031.51
योजना बोर्ड - कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र के लिए मृदा आधारित पौधा पोषक प्रबन्धन योजना	0.00	7.46
आई सी ए आर - ए आई सी आर पी एस	6.98	2.67
डी बी टी - माइक्रो सैटलाइट मार्केट का विकास	0.00	0.75
आई सी ए आर - एन ए आई पी	0.00	11.30
सी एस आई आर-इन्टर सांस्थानिक सहयोगी अनुसंधान	3.12	5.75
कुल	3750.73	2112.06





4. निर्यातोन्मुख उत्पादन

इलायची (छोटी व बड़ी) के समग्र विकास, खासकर उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने की जिम्मेदारी स्पाइसेस बोर्ड की है। निर्यातार्थ स्वच्छ मसालों के उत्पादन हेतु बोर्ड, अन्य मसालों के लिए फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम भी चलाता है। कालीमिर्च के उत्पादन में अपना योगदान देने हेतु विशेष कार्यक्रम के रूप में, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने केरल के वयनाडु जिले एवं उत्तरपूर्व में कालीमिर्च विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम स्पाइसेस बोर्ड द्वारा वर्ष 2010-11 से कार्यान्वित किया जा रहा है। बोर्ड के विविध विकास कार्यक्रमों को 'निर्यातोन्मुख उत्पादन' योजना के अधीन शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड वर्ष 2009-10 से लेकर राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) के समर्थन के साथ केरल के इडुक्की जिले में कालीमिर्च के विकास के लिए परियोजना का कार्यान्वयन भी करता रहा है।

विभिन्न विकास कार्यक्रमों को प्रादेशिक कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों एवं क्षेत्र कार्यालयों की विस्तृत नेटवर्क के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। बोर्ड इलायची कृषकों की रोपण सामग्री की अपेक्षा की पूर्ति के लिए कर्नाटक के प्रमुख इलायची बढ़ानेवाले क्षेत्रों में पाँच विभागीय फार्म भी बनाए रखता है।

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन

इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलायची (छोटी व बड़ी दोनों) की उत्पादकता एवं उत्पादन में सुधार लाना है और निर्यातार्थ गुणवत्तायुक्त मसालों का उत्पादन करना है। मसालों की निर्यातोन्मुख उत्पादन-योजना के अधीन के विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया जाता है। बारहवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान, अर्थात्, वर्ष 2012-13 के इलायची में पुनर्युवन कार्यक्रम को छोड़कर ग्यारहवीं योजना के सभी चालू कार्यक्रम जारी रहे।

इलायची (छोटी)

छोटी इलायची मुख्यतः केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में बढ़ाई जाती है। इलायची के लिए आर्द्र एवं संतुलित, शीतल जलवायु, वृक्ष वितानों से निरस्यन्धित प्रकाश, ह्यूमस भरी मिट्टी, सही वर्षा, तेज़ हवा से बचाव आदि अपेक्षित है। अधिकांश इलायची बागान छोटे एवं उपान्तिक हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान इलायची के अधीन का कुल क्षेत्र 14,000 टन के आकलित उत्पादन के साथ 69,870 हेक्टर था। छोटी इलायची के विकास हेतु कार्यान्वित कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

(i) पुनरोपण

इस योजना का उद्देश्य केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पुराने एवं अलाभकारी इलायची (छोटी) बागानों के मामले को हल करना है। यह कार्यक्रम पुराने, जीर्णशीर्ण एवं अलाभकारी बागानों में पुनरोपण कार्य के लिए छोटे एवं उपान्तिक कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्यीकृत है। केरल एवं तमिलनाडु में, चार हेक्टर तक के छोटे कृषकों को ₹39,171/- प्रति हेक्टर और चार से आठ हेक्टरवाले उपान्तिक कृषकों को ₹29,675/- प्रति हेक्टर की इमदाद दी गई। पक्वनावधि के दौरान पुनरोपण एवं अनुरक्षण की लागत के लिए छोटे एवं उपान्तिक कृषकों को क्रमशः 33 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की सहायता प्रदान





की गई। कर्नाटक में, चार हेक्टर तक के जोत क्षेत्र के लिए ₹29,919/- और चार से आठ हेक्टर तक के जोत क्षेत्र के लिए पक्वनावधि के दौरान पुनरोपण और अनुरक्षण के खर्च की क्रमशः 33 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत इमदाद, जो कि ₹22,666/- है, प्रदान की गई। (पुनरोपण के लिए इमदाद से रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए प्रदान की गई इमदाद की कटौती की जाएगी)

वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल 6.682 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ 2250 हेक्टर क्षेत्र में इलायची पुनरोपण किया गया। कुल मिलाकर प्रथम किश्त में केरल के 5046 और कर्नाटक के 1118 तथा दूसरी किश्त में केरल के 4438 एवं कर्नाटक के 1089 लाभग्राहियों को सहायता प्रदान की गई।

(ii) गुणवत्तावाली रोपण सामग्रियों का उत्पादन एवं उनकी आपूर्ति

कृषकों के खेत में खोली गई विभागीय पौधशालाओं एवं प्रमाणित पौधशालाओं द्वारा रोगरहित, स्वास्थ्यकर एवं गुणवत्तावाली रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण भी चलाया गया।

(अ) विभागीय पौधशाला

पाँच विभागीय पौधशालाओं में उत्पादित पादपों को 'न हानि न लाभ' आधार पर कृषकों को सप्लाई की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान, इलायची कृषकों को वितरणार्थ पौधशालाओं ने 4,72,103 इलायची पादप एवं 1007 इलायची अन्तर्भूस्तरियां उत्पादित कीं।

जनवरी 2013 के दौरान कर्नाटक की विभागीय पौधशालाओं में स्पाइसेस बोर्ड के सचिव एवं निदेशक (विकास) द्वारा चलाए गए दौरे के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि विभागीय नर्सरियों के कार्यकलापों और कार्यों को मानीटर करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन हो। इस समिति में बोर्ड के उप निदेशक, सकलेशपुर, प्रभारी वैज्ञानिक आई सी आर आई, दो सहायक निदेशक एवं दो क्षेत्र अधिकारी शामिल हैं। दौरे के दौरान सचिव एवं निदेशक (वित्त) ने मेरकारा, सकलेशपुर एवं श्रृंगेरी में आयोजित तीन सेमिनारों में भाग लिया और कृषकों से बातचीत की।

यह सलाहकार समिति विभागीय पौधशालाओं के क्रियाकलापों को मौसिक तौर पर मानीटर करेगी।

(आ) प्रमाणित पौधशाला

रोग रहित, स्वस्थ एवं गुणवत्ता रोपण सामग्रियों के उत्पादन हेतु बोर्ड की तकनीकी देखरेख/संदर्शन के अधीन कृषकों के खेत में प्रमाणित पौधशालाओं खोली गईं। कर्नाटक में रोपण सामग्रियों का उत्पादन प्रति रोपण सामग्री ₹1.25 इमदाद के रूप में देते हुए क्यारी पौधशालाओं, पॉलीबैग पौधशालाओं तथा अन्तर्भूस्तरी नर्सरियों के ज़रिए किया गया जबकि केरल में इसका उत्पादन प्रति अन्तर्भूस्तरी ₹1.75 देते हुए अन्तर्भूस्तरी गुणन नर्सरियों के ज़रिए किया गया। 2012-13 के दौरान केरल एवं तमिलनाडु के 242 और कर्नाटक के 1036 लाभग्राहियों को सहायता प्रदान की गई और 94 लाख छोटी इलायची रोपण सामग्रियों का उत्पादन किया गया।

(iii) सिंचाई एवं भू विकास

उच्च उपज प्राप्त करने के लिए इलायची बागानों में गर्मी के महीनों में सिंचाई बहुत ही अनिवार्य है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य फार्म तालाब एवं कुएं जैसे जल भण्डारण उपायों के निर्माण के ज़रिए इलायची बागानों में जल संसाधन उपलब्ध कराना है। सिंचाई उपकरणों की स्थापना, मृदा व जल संरक्षण कार्य आदि के लिए भी सहायता दी जाती है।





बोर्ड केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह कार्यक्रम नबार्ड द्वारा अनुमोदित यूनिट लागत के 25 से 50 प्रतिशत तक की इमदाद के रूप में कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, केरल में कुल मिलाकर 1004 जल भण्डारण जुगतों एवं 420 सिंचाई उपकरणों की स्थापना की गई। तमिलनाडु में तीन जल संभरण जुगतों एवं दो सिंचाई उपकरणों की स्थापना इस कार्यक्रम के अधीन की गई। कर्नाटक में इस कार्यक्रम के अधीन 34 जुगतों एवं 78 सिंचाई उपकरणों के लिए सहायता दी गई। इस कार्यक्रम के तहत 1901 हेक्टर क्षेत्र लाते हुए इमदाद के लिए चुकाया गया कुल खर्च ₹1.983 करोड़ है।

(iv) वर्षाजल संभरण

इलायची बागानों की सिंचाई का एक सस्ता तरीका बागानों में वर्षाजल संभरण है। सिलपोलिन की अस्तर लगाई, खोदी गई भण्डारण टंकियों को, अपनी कम लागत एवं सुविधा की वजह से इलायची कृषकों द्वारा अपनाया जा रहा है। स्पाइसेस बोर्ड केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में इलायची बागानों की सिंचाई के लिए इस तरीके का प्रचार-प्रसार कर रहा है।

यह आकलित किया जाता है कि 200 घन मी. क्षमतावाली संभरण टंकी में करीब दो लाख लीटर वर्षाजल संभरित किया जा सकता है, जो 0.8 हेक्टर इलायची बागान की 10-12 बार सिंचाई के लिए पर्याप्त है। ऐसी एक जुगत की लागत लगभग ₹24,000/- (खुदाई कार्य के लिए ₹16000/- और सिलपोलीन शीटों के लिए ₹8000/-) आकलित है। रजिस्ट्रीकृत छोटे एवं उपान्तिक इलायची कृषकों को 200 घन मी. क्षमतावाली एक टंकी के निर्माण के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत, जो ₹8000/- तक सीमित है, की दर पर इमदाद दी जाती है।

2012-13 के दौरान ₹0.074 करोड़ की कुल इमदाद से 144 जुगतों का निर्माण किया गया।

(v) सुधरी इलायची क्यूरिंग जुगत

लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए पारंपरिक क्यूरिंग हाउसों में इलायची सुखाई जाती है। धूप में सुखाने पर हरे रंग के खो जाने की वजह से यह तरीका उतना लोकप्रिय नहीं है। क्यूरिंग हाउसों के निर्माण में, इलायची बिछाने हेतु रैक के लिए और क्यूरिंग हाउस में ताप बनाए रखने के लिए जाली छत बिछाने हेतु लकड़ी की आवश्यकता होती है। चूंकि उत्पादकता वर्षों - वर्ष बढ़ता रुख दर्ज कर रहा है, लकड़ी की आवश्यकता भी साथ-साथ बढ़ रही है और कृषक लकड़ी की अपनी अपेक्षा की पूर्ति के लिए विपणन से लेने, नहीं तो वृक्षों को काटने के लिए मज़बूर हो जाते हैं जो वन के नाश का कारण बनता है।

कुछ प्रगतिशील कृषक डीज़ल, एल पी गैस आदि एवजी ईंधनों का इस्तेमाल करनेवाली इलायची क्यूरिंग प्रणाली स्थापित करने लगे हैं, जो उनके उत्पाद को बेहतर रंग और सस्ता शुष्कन प्रदान करती है। ये शुष्कन परिस्थिति-अनुकूल, श्रमशक्ति की बचत करने वाले और चलाने में सुकर हैं। तोड़ी गई इलायची ट्रे में बिछाने, जैसेकि परंपरागत शुष्कन प्रणाली में किया जाता है, के बजाय इन नई क्यूरिंग प्रणालियों के शुष्कन चेम्बर में धोकर डाली जा सकती है। शुष्कन का समय भी इन शुष्ककों से 28-36 घण्टों से 20 घण्टों में कम किया जा सकता है।





इस कार्यक्रम का उद्देश्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लघु कृषकों को शुष्क की वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत इमदाद के रूप में, प्रति जुगत अधिकतम ₹60,000/- देते हुए सुधरे इलायची क्यूरिंग जुगतों का प्रचार-प्रसार करना था। गैर-इमदादी हिस्सा कृषक स्वयं अपनी निधि से या संस्थागत वित्त के ज़रिए चुकाएंगे। स्पाइसेस बोर्ड ने अनुमोदित वितरण कर्त्ताओं तथा विभिन्न क्षमताओंवाले शुष्ककों की अधिकतम लागत की सूची तैयार की है। शुष्ककों की खरीद अनुमोदित वितरणकर्त्ताओं से की जानी चाहिए।

2012-13 के दौरान, ₹0.702 करोड़ के वित्तीय परिव्यय पर 124 सुधरी इलायची क्यूरिंग जुगतों की स्थापना में बोर्ड ने मदद की।

उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम

इलायची (बड़ी) - सिक्किम व पश्चिम बंगाल का दार्जीलिंग जिला

इलायची (बड़ी) मुख्यतः सिक्किम के उप हिमालयी इलाकों एवं पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले में बढ़ाई जाती है। 2012-13 के दौरान बड़ी इलायची के अधीन का कुल क्षेत्र 4145 टन के आकलित उत्पादन के साथ 26060 हेक्टर है। गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों की अनुपलब्धता, जीर्ण-शीर्ण, पुराने एवं अलाभकारी पौधों की मौजूदगी, ब्लाइट रोग का प्रकोप आदि बड़ी इलायची उत्पादन को प्रभावित करनेवाले प्रमुख घटक हैं।

इलायची (बड़ी) के उत्पादन और उसकी उत्पादकता के सुधार हेतु 2012-13 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया:

(i) पुनरोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुराने, जीर्णशीर्ण एवं अलाभकारी बागानों के पुनरोपण कार्य चलाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करना है। छोटे कृषकों को ₹12,500/- और उपान्तिक कृषकों को ₹9,500/- प्रति हेक्टर इमदाद प्रदान की जाती है, जो पुनरोपण की लागत और पक्वनावधि के दौरान के अनुरक्षण की लागत का क्रमशः 33 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत है। (रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए प्रदान की गई इमदाद, पुनरोपण के लिए इमदाद से काट दी जाएगी)

2012-13 के दौरान, ₹1.22 करोड़ के कुल खर्च के साथ 1151 हेक्टर क्षेत्र में पुनरोपण किया गया। प्रथम किस्त 2763 लाभग्राहियों को और द्वितीय किस्त 1680 लाभग्राहियों को प्रदान की गई।

(ii) प्रमाणित पौधशालाओं के ज़रिए रोपण सामग्रियों का उत्पादन

कृषकों को गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड कृषकों के खेत में अन्तर्भूस्तरी पौधशालाएँ लगाने के लिए ₹1.15 प्रति अन्तर्भूस्तरी की दर पर सहायता देता है।

2012-13 के दौरान, कृषकों के खेत में पिछले सीज़न के दौरान खोली प्रमाणित पौधशालाओं से इलायची की 102 लाख रोपण सामग्री उत्पादित की गई। वित्तीय व्यय ₹1.173 करोड़ के साथ 1348 लाभार्थियों को सहायता दी गई।





(iii) वर्षाजल संभरण

मिट्टी खोदकर बनाए गए, यू.वी.रोधी सिलपोलिन शीट पटलित गड्डों का प्रयोग करके वर्षाजल संभरण का जो कार्यक्रम केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इलायची (छोटी) के लिए अमल किया गया है, उसका अनुकरण विभिन्न मसालों के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में भी किया जा रहा है। इसकी शर्तें व निबन्धन और इमदाद इलायची (छोटी) के ज्यों का त्यों ही है।

2012-13 के दौरान, ₹0.007 करोड की इमदाद देते हुए 35 वर्षाजल संभरण जुगतों का निर्माण किया गया।

(iv) क्यूरिंग हाउस (सुधरी भट्टी)

बड़ी इलायची के कृषक अपनी इलायची का संसाधन परंपरागत तरीके से स्थानीय रूप में निर्मित भट्टियों में करते हैं। इससे उचित रूप में शुष्कन तथा संसाधित इलायची में सही रंग सुनिश्चित नहीं होता। बोर्ड ने विभिन्न ईंधनों का प्रयोग करने वाली कई संसाधन प्रणालियों को पेश करके उनका मूल्यांकन किया था और श्रेष्ठ गुणवत्ता प्रदान करने वाली इस प्रणाली का चयन किया। इस प्रणाली के प्रचार के लिए बोर्ड 200 कि.ग्रा. क्षमतावाला प्रति शुष्कक ₹5000/- और 400 कि.ग्रा. क्षमतावाला प्रति शुष्कक ₹9,000/- की दर पर इमदाद दे रहा है।

2012-13 के दौरान, ₹0.020 करोड की कुल इमदाद पर 29 संशोधित भट्टियां स्थापित की गईं।

अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में मसालों का विकास

उत्तरपूर्वी राज्यों में कालीमिर्च, मिर्च, अदरक एवं हल्दी व्यापक पैमाने पर पैदा की जाती है। अदरक की 'चैना', 'नदिया', थिंगपुई, हल्दी की 'लकादोंग' और मिर्च की 'बेड्स आई' जैसी एकाध देशी प्रजातियां क्रमशः तेल, करक्यूमिन तत्व और कैप्साइसीन तत्व से भरपूर मानी जाती हैं। उत्तरपूर्वी राज्यों की जलवायवी स्थितियां कालीमिर्च और बड़ी इलायची की खेती के लिए उचित हैं और निर्यात हेतु अधिक मसाले उपलब्ध कराने के लिए इन क्षेत्रों में इन फसलों की लाभकारी खेती की जा सकती है। इन क्षेत्रों में उत्पादित मसालों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जैविक रूप से उत्पादित हैं और इन मसालों की जैव खेती को बढ़ावा दिया जाता है।

एक सुगठित विपणन प्रणाली और कृषि एवं फसलोत्तर कार्रवाइयाँ संबंधी जानकारी का अभाव उत्तरपूर्वी क्षेत्र में मसालों के विकास के मुख्य व्यवधान सिद्ध हुए हैं। स्पाइसेस बोर्ड इसलिए उत्तरपूर्वी राज्यों में निर्यातोन्मुख मसालों के विकास के लिए एक एकीकृत योजना अमल करता है।

(i) इलायची (बड़ी) - नया रोपण

बड़ी इलायची की खेती अब सिक्किम और उत्तर-पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। अन्य उत्तरपूर्वी राज्यों की कृषि जलवायवी परिस्थितियां बड़ी इलायची की खेती के अनुकूल हैं।

यह योजना, पक्वनावधि के दौरान के अनुरक्षण और रोपण सामग्री की लागत के रूप में प्रति हेक्टर ₹17,500/- की इमदाद देते हुए इन क्षेत्रों में बड़ी इलायची की खेती फैलाने के लिए बनाई गई है।

2012-13 के दौरान, कुल ₹0.588 करोड की सहायता पर, पिछले सीजन के दौरान खोली गई प्रमाणित नर्सरियों में किए गए बड़ी इलायची के पादपों का कुल 350 हेक्टर में रोपण किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड राज्यों में चलाया गया।





(ii) वर्षाजल संभरण

इलायची के लिए दक्षिणी राज्यों एवं सिक्किम में वर्षाजल संभरण का जो कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, उसको उत्तरपूर्वी राज्यों में भी विविध मसालों के लिए दोहराया गया। इसकी शर्तें और निबंधन तथा प्रदान की गई इमदाद इलायची की जैसी ही है।

2012-13 के दौरान, ₹0.004 करोड़ की इमदाद उपलब्ध कराते हुए 10 वर्षाजल संभरण जुगतों का निर्माण किया गया।

(iii) क्यूरिंग हाउस (संशोधित भट्टी)

बड़ी इलायची के कृषक अपनी इलायची का संसाधन परंपरागत तरीके से स्थानीय रूप में निर्मित भट्टियों में करते हैं। इससे उचित रूप में शुष्कन तथा संसाधित इलायची में सही रंग सुनिश्चित नहीं होता। बोर्ड ने विभिन्न ईंधनों का प्रयोग करनेवाली कई संसाधनों प्रणालियों को पेश करके उनका मूल्यांकन किया था, और ऐसी एक प्रणाली का चयन किया जिससे कि श्रेष्ठ गुणवत्ता प्राप्त हो। इस प्रणाली के प्रचार के लिए बोर्ड 200 कि.ग्रा. क्षमतावाला प्रति शुष्कक ₹5000/- और 400 कि.ग्रा. क्षमतावाला प्रति शुष्कक ₹9000/- की दर पर इमदाद प्रदान कर रहा है।

2012-13 के दौरान, ₹0.004 करोड़ की कुल इमदाद पर चार संशोधित भट्टियां स्थापित की गईं।

(iv) जैव लकादोंग हल्दी

लकादोंग हल्दी में उच्च करक्युमिन तत्व (5.5 प्रतिशत) है और इसलिए रंग के निष्कर्षण के लिए उपयुक्त है। यह किस्म अत्यधिक स्थान-विशेष है, और रंग के निष्कर्षण के लिए निर्यातकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। श्रेष्ठ रोपण सामग्रियों की उपलब्धता इसके उत्पादन का प्रमुख नियामक तत्व है। इसलिए रोपण सामग्रियों की लागत की 50 प्रतिशत इमदाद के रूप में ₹12,500/- प्रति हेक्टेयर प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम सरकारी/गैर सरकारी अभिकरणों की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है।

2012-13 के दौरान, ₹1.207 करोड़ की इमदाद प्रदान करके 911 हेक्टेयर क्षेत्र लकादोंग हल्दी के अधीन लाया गया। योजना के अधीन के कुल लाभग्राहियों की संख्या 1072 है।

(v) जैव अदरक

'नादिया' और 'चैना' अदरक प्रजातियों में उच्च तेल तत्व विद्यमान है और इसीलिए ये निर्यात हेतु उपयुक्त हैं। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, उत्तर पूर्वी राज्यों में इन प्रजातियों के जैविक तौर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रोपण सामग्रियों की लागत के 50 प्रतिशत के रूप में प्रति हेक्टेयर ₹12,500/- इमदाद के रूप में दिए जाएंगे। यह कार्यक्रम 2012-13 के दौरान भी जारी रखा गया।

2012-13 के दौरान, ₹1.242 करोड़ इमदाद के रूप में उपलब्ध कराते हुए 1018 हेक्टेयर क्षेत्र खेती के अधीन लाया गया। इस योजना के अधीन के कुल लाभग्राहियों की संख्या 1134 है।

(vi) उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकारियों एवं कृषकों को प्रशिक्षण

बोर्ड, उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्य कृषि बागवानी विभागों के अधिकारियों तथा कृषकों के लिए मसालों की खेती, लुनाई एवं फसलोत्तर तकनीकों की अद्यतन प्रगति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए एकान्तर वर्षों और कृषकों के लिए हर साल आयोजित किया जाता है।





2012-13 के दौरान, उत्तर पूर्वी राज्यों के 45 कृषकों को भारतीय मसाले अनुसंधान संस्थान, कालिकट, के ए यू, त्रिशूर; आई सी आर आई, मैलाडुंपारा; स्पाइसेस बोर्ड गुणवत्ता प्रयोगशाला, कोचिन एवं मसाले प्रसंस्करण यूनिटों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत ₹0.042 करोड़ की रकम खर्च की गई।

अन्य मसालों के लिए कार्यक्रम

(i) बीजीय मसाले श्रेणर

एकाध बीजीय मसाले कृषकों द्वारा अपनाई जानेवाली लुनाई और फसलोत्तर कारवाइयाँ अस्वास्थ्यकर होती हैं, नतीजतन भूसा, कीचड़, रेत, तने के टुकड़े आदि जैसी बाहरी चीजों से उत्पादों का संदूषण होता है। लुनाई किए गए और सुखाए गए पौधों को बाँस के डंडों से या पौधों को हाथों से रगडकर या मवेशियों को चलाकर कुचलते हुए बीजों को अलग किया जाता है। कृषकों को अवगत कराने और अन्तिम उत्पाद को संदूषित होने से बचाने के लिए सूखे पौधों से बीज अलग करने हेतु विद्युत तथा हस्तचालित श्रेणरों के प्रयोग का प्रचार-प्रसार बोर्ड करता है।

ऐसे एक विद्युत तथा हस्तचालित श्रेणर की लागत क्रमशः ₹1.00 लाख और ₹30,000/- आकलित है। बोर्ड इमदाद के रूप में लागत के 50 प्रतिशत, बशर्तकि विद्युत श्रेणर के लिए अधिकतम ₹50,000/- और हस्तचालित श्रेणर के लिए ₹15,000/- प्रदान करने का प्रस्ताव है।

2012-13 के दौरान, ₹0.185 करोड़ की कुल इमदाद पर 41 विद्युत चालित श्रेणर की आपूर्ति की गई।

(ii) कालीमिर्च श्रेणर

इस योजना का उद्देश्य कृषकों को स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में स्पाइक से कालीमिर्च की फलियाँ अलग करने हेतु श्रेणर अपनाने में मदद करना है। कम से कम 500 बेलवाले कालीमिर्च कृषक इस योजना से लाभ उठाने के पात्र हैं। उपकरण की क्षमता का लिहाज रखे बिना प्रति श्रेणर ₹7000/- की इमदाद प्रदान की जाती है।

2012-13 के दौरान, कुल ₹0.357 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ 510 कालीमिर्च श्रेणरों के लिए सहायता प्रदान की गई।

(iii) हल्दी भाप बॉयलर

यह कार्यक्रम बॉयलरों तथा समान्तर हथियों सहित फैला हुआ जी आई या एम एस शीट से बने छेददार नालियों के प्रयोग से संशोधित वैज्ञानिक पाक प्रणालियों को अपनाने के लिए हल्दी कृषकों को सहायता देने हेतु है। यह, हल्दी की अनुकूलतम पकाई सुनिश्चित करता है जो अन्तिम उत्पाद को बेहतर रंग और गुण प्रदान करता है। इस तरह निर्यात हेतु उपयुक्त गुणवत्तायुक्त हल्दी के उत्पादन के लिए हल्दी कृषकों के बीच व्यापक पैमाने पर हल्दी बॉयलरों के प्रयोग का प्रसार किया जाता है। इस कार्यक्रम के अधीन चुने गए हल्दी कृषकों/दलों/एन. जी. ओ. को प्रदान की जानेवाली इमदाद बॉयलर के दाम का 50 प्रतिशत या ₹1.20 लाख प्रति बॉयलर, जो भी कम हो, होगी।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹0.024 करोड़ के वित्तीय परिव्यय पर दो हल्दी भाप बॉयलरों के लिए सहायता दी गई।





(iv) मिर्च में एकीकृत नाशकजीव प्रबंधन (आई पी एम) को बढ़ावा

मिर्च में नाशकजीवनाशियों के अवशेष को कम करने और निर्यात हेतु गुणवत्तायुक्त उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए मिर्चों में एकीकृत नाशकजीव प्रबंधन कार्यक्रम लिया गया। बोर्ड ने ₹2000/- प्रति हेक्टर की आकलित लागत पर आंध्रप्रदेश के गुण्टूर, वारंगल, करीम नगर, प्रकाशम एवं करनूल जिलों में; मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में (आरंभिक आधार पर मार्गदर्शी), कर्नाटक के धारवाड, बेल्लारी एवं भागलकोट जिलों में फेरामोन ट्राप, ट्राइकोडेरमा, ट्राइकोग्रामा जैसे जैव अभिकारकों, नीम आधारित नाशकजीवनाशियों, बी टी, एच एन पी वी, एस एन पी वी आदि वाले आई पी एम किटों की आपूर्ति के ज़रिए यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। इसमें आई पी एम पैकेज का 50 प्रतिशत समाविष्ट है।

2012-13 के दौरान, बोर्ड के अधिकारियों के पर्यवेक्षण में स्पाइस एक्स्टेंशन प्रशिक्षार्थियों की मदद से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन जारी रखा गया। मिर्च में आई पी एम के अधीन 11303 हे. क्षेत्र लाया गया और वित्तीय व्यय ₹2.199 करोड है।

मसालों का फसलोत्तर सुधार

(i) मसालों के शुष्कन हेतु एच डी पी ई/सिलपोळिन शीट

कालीमिर्च, मिर्च और बीजीय मसाले जैसे मसालों को स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में सुखाने के लिए बोर्ड लघु और उपान्तिक कृषकों की सिलपोळिन शीटों की आपूर्ति के लिए इमदाद देता है। बोर्ड द्वारा क्रमशः 33 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत की इमदादी लागत पर सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए केंद्रीकृत आपूर्ति की व्यवस्था करता है। गैर-इमदादी हिस्सा कृषकों द्वारा चुकाया जाता है।

2012-13 के दौरान, 14150 एच डी पी ई/सिलपोळिन शीटें, ₹3.254 करोड के कुल वित्तीय व्यय पर आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात तथा राजस्थान के मसाला कृषकों को वितरित की गईं।

(ii) कालीमिर्च शुष्कन हेतु बाँस चटाइयां

इस कार्यक्रम का उद्देश्य, कागज़-मेथी गारा लेपित स्वास्थ्यकर बाँस-चटाइयों पर कालीमिर्च सुखाने के लिए लघु एवं उपान्तिक कालीमिर्च कृषकों को प्रोत्साहन देना है।

2012-13 के दौरान, बोर्ड ने जनजातीय कृषकों को 90 प्रतिशत और अन्य कृषक वर्गों को 50 प्रतिशत की इमदाद पर 12'x6' आकार की 3775 बाँस चटाइयां वितरित की थीं। इस कार्यक्रम के अधीन ₹0.065 करोड की इमदाद खर्च की गई।

(iii) मसालों के गुणवत्ता सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रमुख मसालों की अद्यतन गुणवत्ता-अपेक्षाओं तथा वैज्ञानिक फसलपूर्व/फसलोत्तर कार्रवाइयों तथा भण्डारण कार्यों से कृषकों, राज्य कृषि/बागवानी विभागों के अधिकारियों, व्यापारियों, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों को अवगत कराने के लिए बोर्ड नियमित रूप से गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता आ रहा है।

2012-13 के दौरान, 489 केंद्रों में, 23392 मसाले कृषकों को लाभान्वित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। इस कार्यक्रम के अधीन, 32 केंद्रों में राज्य कृषि/बागवानी विभागों के अधिकारियों, चार केंद्रों में 117 व्यापारियों और नौ केंद्रों में एन जी ओ के 322 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कराया गया। 1174 प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हुए 11 क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन किया गया।





ऊपर के कार्यक्रम के अधीन 545 केन्द्रों में प्रशिक्षित कुल कार्मिकों की संख्या 26413 है। इसका बजट एच आर डी के अधीन आता है।

जैव खेती को बढ़ावा

अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर जैविक रूप से उत्पादित मसालों की अला विपणि तेज़ बढ़ रही है। इस क्षेत्र में जल्दी प्रवेश भारतीय मसालों की निर्यात-योग्यता और माँग बढ़ा देगा। साथ ही, जैविक तौर पर उत्पादित मसालों की उपलब्धता दक्षिण-पूर्व एशिया के कम लागतवाले देशों के साथ होड करने में हमारे देश के लिए सहायक होगी। जैव-फार्म निवेशों की अनुपलब्धता और फार्मों एवं प्रसंस्करण यूनिटों के जैव प्रमाणन की उच्च लागत जैव कृषि को बढ़ावा देने की दिशा के मुख्य व्यवधान हैं।

2012-13 के दौरान, मसालों के जैव उत्पादन के लिए कृषकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जैव प्रमाणन सहायता, वर्मी कंपोस्ट यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता, मसालों की जैव खेती को बढ़ावा जैसे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया।

(i) जैव फार्म प्रमाणन

मसाले कृषकों/प्रसंस्करणकर्ताओं को जैव प्रमाणन प्राप्त करने में, जो जैव मसालों के विपणन हेतु एक पूर्वापेक्षा है, सहायता प्रदान करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है।

इस कार्यक्रम के अधीन, बोर्ड प्रमाणन लागत का 50 प्रतिशत, बशर्तकि अधिकतम ₹75,000/- हो, प्रदान करते हुए कृषक दलों, गैर सरकारी संगठनों तथा कृषक सहकारी समितियों/संघों को अपने फार्मों/प्रसंस्करण यूनिटों के लिए प्रमाणन पाने में सहायता उपलब्ध कराता है। कृषक और प्रसंस्करणकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रमाणन की लागत के 50 प्रतिशत, बशर्तकि प्रति प्रमाणन अधिकतम ₹25,000/- हो, के पात्र हैं।

वर्ष 2012-13 में 2063 कृषकों को लाभान्वित करते हुए 3182.62 हेक्टेयर क्षेत्र को इसके अधीन लाया गया और 10 एन. जी. ओ. दल को ₹0.068 करोड प्रदान करते हुए सहायता दी गई।

(ii) केंचुआ कंपोस्ट यूनिटें

मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा जैव उत्पादन का समर्थन करने के लिए जैव निवेशों का फार्म में ही उत्पादन करना आवश्यक है। कृषकों को जैव फार्म निवेश, खासकर केंचुआ कंपोस्ट तैयार करने में सक्षम बनाने हेतु एक टन केंचुआ कंपोस्ट आउट-पुट सहित एक यूनिट स्थापित करने के लिए सहायता-अनुदान के रूप में ₹2000/- दिए जाते हैं।

2012-13 के दौरान, 675 केंचुआ कंपोस्ट यूनिटें स्थापित की गईं और वित्तीय व्यय 0.135 करोड रुपए था।

(iii) मसालों की जैव खेती

चूँकि जैव उत्पादों की विपणि में एक क्रमिक ऊर्ध्वगामी रुझान दिखाई दे रही है, उचित स्थानों पर मसालों की जैव खेती को बढ़ावा देने की पर्याप्त गुंजाइश है। बोर्ड उत्पादन लागत के 12.5 प्रतिशत, बशर्तकि अधिकतम ₹5000/- प्रति हेक्टेयर हो, की इमदाद देते हुए मसालों की जैव खेती चलाने में कृषकों को सहायता दे रहा है। यह कार्यक्रम चुने हुए एन जी ओ को ₹500/- प्रति हेक्टेयर





की दर पर प्रतिधारण-शुल्क देकर उनकी सहायता से कार्यान्वित किया जाता है। जैव प्रमाणन की लागत चुकाने के लिए ₹250/- प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। इन खर्चों को इमदाद की कुल राशि से घटाया जाएगा और लाभग्राहियों को बाकी रकम का ही भुगतान किया जाएगा।

2012-13 दौरान, ₹0.538 करोड़ की इमदाद प्रदान करते हुए 1166 हेक्टेयर क्षेत्र मसालों की जैव खेती के अधीन लाए गए, जिसमें अरुणाचल में नागामिर्च के 40 हे., धारवाड, कर्नाटक में ब्यादगी मिर्च के अधीन के 366 हे. और गुजरात एवं राजस्थान में बीजीय मसालों के 760 हे. शामिल हैं।

विस्तार सलाहकार योजना

कृषकों को मसालों के उत्पादन संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान करना उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण तत्व है। यह कार्यक्रम केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों में कृषकों को वैयक्तिक संपर्क, क्षेत्र दौरे, सामूहिक बैठकों और देशी भाषाओं के साहित्य के ज़रिए खेती के वैज्ञानिक पहलुओं पर उत्पादकों को तकनीकी/विस्तार सहायता देने सिक्किम व पश्चिम बंगाल राज्यों में बड़ी इलायची और उत्तरपूर्व तथा देशभर के छोटे छोटे इलाकों के चुने हुए मसालों के विकास पर ज़ोर देता है।

विस्तार सलाहकार सेवा के अलावा, विस्तारण नेटवर्क के ज़रिए 'निर्यातोन्मुख उत्पादन' योजना के तहत बोर्ड के उत्पादन एवं फसलोत्तर कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

इस कार्यक्रम के अधीन विकास विभाग के स्टाफ का वेतन व भत्ता, उनके यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, वाहन खर्च, कार्यालय की स्थापना और अन्य फुटकर खर्च चुकाए जाते हैं।

2012-13 के दौरान, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तथा सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले में तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में छोटी और बड़ी इलायची के लिए कुल 49679 दौरे और 3260 बैठकें आयोजित की गईं। विस्तार सलाहकार योजना के अधीन ₹13.431 करोड़ और आउटसोर्सिंग के अधीन ₹0.893 करोड़ खर्च किए गए।

केरल के वयनाड जिले एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में कालीमिर्च का विकास

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने वयनाड एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में कालीमिर्च के विकास के लिए 2009 में अगले पाँच सालों की अवधि के लिए अमल में लाने के लिए अनुमोदित किया। वयनाड के कार्यक्रम के तहत चलाए गए कार्यकलापों के घटक पुनरोपण/पुनर्युवन, रोपण सामग्री उत्पादन, एकीकृत रोग प्रबंधन एवं जैव इनपुटों का उत्पादन है। उत्तरपूर्वी राज्यों में पुनरोपण/पुनर्युवन एवं रोपण सामग्री कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

2012-13 में, क्रमशः ₹6.876 करोड़ और ₹0.810 करोड़ की इमदाद उपलब्ध कराते हुए वयनाड में 4117 हेक्टेयर और उत्तरपूर्वी राज्यों में 710 हेक्टेयर क्षेत्र पुनरोपण/पुनर्युवन के अधीन लाए गए। वयनाड में 43 लाख और उत्तर पूर्वी राज्यों में आठ लाख कालीमिर्च की मूल लगाई कतरनें उत्पादित की गईं और क्रमशः ₹0.664 करोड़ और ₹0.460 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। एकीकृत रोग प्रबंधन के अधीन 1014 हेक्टेयर और 52 केंचुआ कंपोस्ट यूनिटों को वयनाड में क्रमशः ₹0.145 करोड़ और ₹0.025 करोड़ की सहायता दी गई।

2012-13 में इस योजना के अधीन का कुल खर्च ₹8.980 करोड़ है।





केरल के इडुक्की जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) के अंतर्गत सहायता प्राप्त कालीमिर्च विकास पर परियोजना

भारतीय कालीमिर्च उद्योग के बारे में सोच-विचार करनेवाली एजेंसी के रूप में तथा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आमन्त्रण और वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों की प्रतिक्रिया में स्पाइसेस बोर्ड ने स्वेच्छा से एन एच एम से प्राप्त वित्तीय सहायता से केरल के इडुक्की जिले में कार्यान्वित करने हेतु एन एच एम की मांगरेखाओं के अनुसार जिले में कालीमिर्च के उत्पादन विकास संबन्धी परियोजना के रूप में एक प्रस्ताव तैयार किया। एन एच एम से ₹120.00 करोड़ की सहायता सहित ₹230.58 करोड़ की कुल लागत में 2009-10 से लेकर पाँच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित करने हेतु इस परियोजना को अनुमोदन प्राप्त हुआ है। पर्याप्त रोपण सामग्री की कमी, कम उत्पादकता/उत्पादन, जैव-निवेशों की अनुपलब्धता, नाशीजीव प्रबंधन को अपनाना और प्रमाणित पौधशालाओं की स्थापना, जीर्णशीर्ण बागानों का पुनरोपण/पुनर्युवन, केंचुआ कंपोस्ट यूनिटों की स्थापना, एकीकृत नाशीजीवनाशी प्रबंधन का उन्नयन और रोपण-सामग्री उत्पादन तथा अच्छे कृषि कार्यों पर प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा प्रौद्योगिकी अंतराल को मिटाना जैसे मुद्दों का सामना करना इस परियोजना का उद्देश्य है। इस परियोजना के अधीन चुने गए कृषकों को अपने खेतों/बागानों में कार्यक्रमों की सफल पूर्ति पर नकद इमदाद के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउण्डेशन की सिफारिश के अनुसार इडुक्की जिले में कृषि संबंधी समस्याओं को हल करने के उपाय के रूप में भी यह परियोजना काम आएगी।

i) रोपण सामग्री का उत्पादन

पुनरोपण/पुनर्युवन के लिए आवश्यक रोपण सामग्री कृषकों के खेत में खोली लघु प्रमाणित नर्सरियों के ज़रिए उत्पादित की जाएगी। कृषक, जिनके पास रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु अपने खुद की व्यवस्था है, वे अपने फार्म के मादा-पौधों से रोपण सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका प्रमाणन स्पाइसेस बोर्ड के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। इससे स्थानीय, जहाँ पुनरोपण/पुनर्युवन होता है, जलवायु के अनुकूल उच्च उपजवाली व उच्च गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है और इससे परिवहन आघात के कारण होनेवाली भारी क्षति की दर भी कम की जा सकती है।

2012-13 के दौरान पुनरोपण/पुनर्युवन के लिए 62 लाख कालीमिर्च की मूल लगाई कतरनें उत्पादित की गईं। कृषकों को ₹1.50 प्रति मूल लगाई कतरन की दर में इमदाद दी गई। विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से कालीमिर्च की 1,68,471 केन्द्रक रोपण सामग्री एकत्रित की गई और गुणन तथा खेतों में रोपण के लिए 1685 कालीमिर्च कृषकों को वितरित किया गया। इस कार्यक्रम के अधीन ₹0.959 करोड़ की राशि खर्च की गई।

ii) जीर्णशीर्ण बागानों का पुनरोपण/पुनर्युवन

इसके अंतर्गत मौजूदा बागानों में जीर्णशीर्ण, रोगग्रस्त और कम उपजवाली बेलों के स्थान पर स्वस्थ, रोगरहित उच्च उपजवाली स्थानीय कृषिजोपजाति और प्राकृतिक आवास के अनुकूल पहचान ली गई पारंपरिक/सुधरी किस्मों से पुनरोपण/पुनर्युवन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अधीन प्रति हेक्टर ₹15,000/- की दर में सहायता प्रदान की गई।

2012-13 के दौरान 7091 हेक्टर में पुनरोपण/पुनर्युवन किया गया और 18,759 लाभग्राहियों को प्रथम किस्त तथा 13,201 लाभग्राहियों को द्वितीय किस्त में ₹6.814 करोड़ की राशि इमदाद के रूप में वितरित की गई।





iii) जैव निवेशों के उत्पादन को बढ़ावा

अवैज्ञानिक कृषि कार्य, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग और वृक्ष की शाखाओं को काट देने से कालीमिर्च बागानों की उपरी मृदा से जैव तत्व लुप्त हो जाते हैं। इससे मृदा में जैव सामग्री/खाद की पुनः प्राप्ति आवश्यक बन जाती है। केंचुआ कंपोस्ट के प्रयोग से यह आसानी से किया जा सकता है।

केंचुआ कंपोस्ट जैसे जैव निवेश की दुर्लभता ही जैव खेती के उन्नयन की एक मुख्य अडचन है। इसलिए मृदा की उर्वरता को बनाए रखने व जैव उत्पादन की सहायता के लिए जैवनिवेशों का खेत-स्तर में ही उत्पादन आवश्यक है। वर्मी कंपोस्ट सक्षम मृदा संवर्द्धक निवेश तथा मृदा सुधारक माना जाता है। इस घटक के अधीन प्रति यूनिट ₹3000/- की दर में इमदाद दी गई। 2012-13 के दौरान 206 केंचुआ कंपोस्ट यूनिटों का निर्माण किया गया और इमदाद के रूप में ₹0.050 करोड की राशि प्रदान की गई।

(iv) एकीकृत नाशीजीव/रोग प्रबंधन को बढ़ावा

कॉपर आधारित कवकनाशियों व नाशीजीवनाशियों के अंधा-धुंध प्रयोग ने मिट्टी के सूक्ष्म सस्य-जीवों पर नुकसान पहुँचाया है। उचित कृषि कार्य तथा रोगों के जैव नियंत्रण से ही मिट्टी का स्वास्थ्य और फसल की स्थिरता पुनर्जीवित हो सकती है। आत्यन्तिक मामलों में ही कृषकों को रोगों के रासायनिक नियंत्रण का सहारा लेने की सलाह दी जाती है। इस क्रियाकलाप के ज़रिए किसानों को इमदादी दरों पर ट्राइकोडेरमा एवं स्यूडोमोनास जैसे जैव इनपुटों तथा कॉपर सल्फेट प्रदान किए जाएंगे। कुल मिलाकर 11965 लाभग्राहियों को 1,05,553 कि.ग्रा. कॉपर सल्फेट की सप्लाई की गई।

आई पी एम के अधीन प्रयुक्त निधि ₹0.917 करोड थी। प्रति हेक्टर ₹1000/- की अधिकतम सहायता प्रदान की गई। 2012-13 में इस कार्यक्रम के अधीन 10555 हेक्टर क्षेत्र लाए गए।

(v) पर्ण/ऊतक विश्लेषणात्मक यूनिट की स्थापना

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आई सी आर आई, मैलाडुंपारा में एक पर्ण/ऊतक विश्लेषणात्मक यूनिट जिले के कालीमिर्च कृषकों के हित के लिए स्थापित की गई। इस कार्यक्रम के अधीन ₹0.0822 करोड की राशि खर्च की गई।

(vi) रोग पूर्वसूचना यूनिट

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आई सी आर आई, मैलाडुंपारा में कालीमिर्च कृषकों के हितार्थ रोग पूर्वानुमान यूनिट की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम के अधीन ₹0.0563 करोड की रकम खर्च की गई।





5. निर्यात विकास एवं संवर्धन

विपणन विभाग द्वारा अमल किए जाने वाले निर्यात विकास और संवर्धन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश से गुणवत्ता वाले मसालों के निर्यात को बढ़ावा देना है। ये योजनाएँ मसालों में मूल्य योजन पर जोर देने के साथ-साथ भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी केन्द्रित है। अपेक्षाओं की पूर्ति के मुखापेक्षी सतत गतिशील नियामकों तथा उपभोक्ताओं द्वारा संचलित व्यवस्था के वैश्विक दृश्यविधान में, भारतीय मसालों की वर्तमान तथा संभावित निर्यात विपणियों को बरकरार रखने तथा बढ़ाने के लिए अधुनातन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों से भारतीय मसाला निर्यातकों को सक्षम बनाना आवश्यक हो गया है। बोर्ड के विपणन क्रियाकलापों में इ-नीलाम प्रणाली के ज़रिए इलायची के घरेलू विपणन के विनियमन भी शामिल है।

अनुज्ञप्तीकरण एवं रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के नियामक कार्यों का भाग है। मसालों का निर्यात स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1989 के ज़रिए नियमित है जबकि इलायची का घरेलू विपणन इलायची (अनुज्ञप्तीकरण व विपणन) नियम 1987 के ज़रिए नियमित है। इन नियमों के अनुसार इलायची का व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को बोर्ड से नीलामकर्ता या ब्यौहारी के रूप में लाइसेंस प्राप्त करना है। मसालों के निर्यातकों को बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना है। ये प्रमाणपत्र/लाइसेंस सितंबर से शुरू होनेवाले तीन सालों की एक खण्ड अवधि के लिए जारी किए जाते हैं।

2012-13 के दौरान बोर्ड ने मसालों के निर्यातक के रूप में 1196 प्रमाणपत्र और इलायची (छोटी व बड़ी) के 89 ब्यौहारी लाइसेंस वितरित किए।

क्रेता देशों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देश निर्यातकों को नियमित रूप से प्रदान किए जाते हैं। विपणि अध्ययन चलाकर विभिन्न विपणियों में उभरनेवाले अवसरों, खाद्य व खाद्येतर क्षेत्र के नए प्रयोगों व उपयोगों पर अद्यतन सूचना भी निर्यातकों को प्रदान की जाती है। व्यापार क्रियाकलापों को सुकर बनाने के लिए बोर्ड ने रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों तथा रजिस्ट्रीकृत इलायची संपदा के स्वामियों को पहचान-पत्र वितरित करना शुरू किया है। वर्ष 2012-13 के दौरान, रजिस्ट्रीकृत इलायची कृषकों के लिए 1220 पहचान-पत्र वितरित किए गए।

निर्यात विकास और संवर्धन कार्यक्रम

उच्च तकनीक व प्रौद्योगिकी अपनाना और प्रक्रिया उन्नयन

बेहतर मूल्य वसूली तथा खाद्य सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पाद के गुणवत्ता मानकों का उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के ज़रिए मसाला प्रसंस्करण में उच्चतर मूल्य-योजन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम मसाला निर्यातकों को मसाला प्रसंस्करण/सुविधाओं के उन्नयन हेतु सहायता-अनुदान प्रदान करता है। सहायता की सीमा सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण व पैकिंग के मशीनरी/उपस्कर, विद्युत संस्थापन की लागत और परामर्श परिव्यय के 33 प्रतिशत या अधिकतम ₹1.00 करोड़ प्रति लाभग्राही की दर तक और उत्तरपूर्वी राज्यों सहित विशेष क्षेत्रों के लिए लागत के 50 प्रतिशत या ₹1.00 करोड़, जो भी कम हो, तक है। तकनीकी उन्नयन की योजना भी विदेशी क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप उच्चतम मूल्य योजन और गुणवत्ता मानकों के उत्पादों के निर्माण के लिए निर्यातकों को अपनी मौजूदा प्रसंस्करण/पैकिंग सुविधाओं के उन्नयन हेतु समान स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2012-13 के दौरान, 44 निर्यातकों को मसाला प्रसंस्करण में हाई-टेक अपनाने और प्रसंस्करण यूनिटों के तकनॉलजी उन्नयन के लिए कुल ₹642.81 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।





गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन

यह कार्यक्रम उन निर्यातकों के सहायतार्थ है, जो नाशकजीवनाशी अवशेषों, एफ्लाटोक्सिन, भौतिक, रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक संदूषणों की पहचान सहित उत्पादों की गुणवत्ता पर विभिन्न पैरामीटरों के विश्लेषण करने की सुविधाएँ स्थापित करने के लिए इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालों की स्थापना/उन्नयन करना चाहते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए सहायता प्रयोगशाला उपस्कर/उपकरण, काँच के बरतन, प्रयोगशाला फर्नीचर तथा विद्युत संस्थापनों सहित अन्य उपसाधनों व परामर्श चार्जों की लागत के 33 प्रतिशत तक सीमित है। 2012-13 के दौरान सात निर्यातकों ने यह सुविधा प्राप्त की, इस कार्य के लिए कुल सहायता-अनुदान ₹31.58 लाख का रहा।

गुणवत्ता प्रमाणन, जाँच नमूनों का विधीयन और प्रयोगशाला कार्मिकों का प्रशिक्षण

स्पाइसेस बोर्ड मसाला निर्यातकों को अपने यूनितों में आई एस ओ, एच ए सी सी पी जैसी गुणवत्ता प्रणालियां तथा समान गुणवत्ता प्रमाणन अपनाने में मदद करता है। बोर्ड विदेश की प्रयोगशालाओं में विधीयन/मानकीकरण हेतु विश्लेषण चार्ज की लागत के रूप में और निर्यातकों के प्रयोगशाला - कार्मिकों को विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, प्रथमतः यू एस एफ डी ए, ई यू आदि द्वारा अनुमोदित, में अपनी तकनीकी जानकारी का उन्नयन कराने के चार्ज/खर्च के रूप में भी सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता खर्च के 33 प्रतिशत तक सीमित है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किसी भी निर्यातक ने इस सुविधा का उपयोग नहीं किया है।

व्यापार नमूनों को विदेश भेजना

नमूनों के आधार पर लेनदेन को अंतिम रूप देने और व्यवहार में अधिक स्पष्टता लाने और गुणवत्ता पहलुओं पर व्यापार मुठभेड की संभावना को हटाने के लिए भी, नमूनों का प्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बोर्ड मसालों व मसाले उत्पादों के व्यापार नमूनों को विदेश भेजने के लिए सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अधीन, मसाला भवन प्रमाणपत्र/स्पाइसेस बोर्ड लॉगो या जैव मसालों के प्रमाणित कृषक निर्यातकों और रजिस्ट्रीकृत ब्रैंड निर्यातकों को बोर्ड प्रतिवर्ष अधिकतम ₹50,000/- की प्रतिपूर्ति करेगा। 2012-13 के दौरान, बोर्ड ने 17 मसाला निर्यातकों को कुल ₹7.21 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की।

उन्नयन साहित्य/विवरण पुस्तिकाओं का मुद्रण

बोर्ड द्वारा, अपने प्रत्याशित विदेशी खरीददारों को प्रदान किए जानेवाले उत्पादों व सेवाओं तथा निर्यातकों की सक्षमता व क्षमताओं के बारे में परिचित करानेवाले उन्नयन साहित्य/विवरण पुस्तिकाओं के मुद्रण, वीडियो फिल्म/सी.डी., अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूपों का समर्थन किया जाता है। एस एच सी/लॉगो/बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत ब्रैंड वाले/जैव प्रमाणपत्र प्राप्त मसालों/मसाले उत्पादों के योग्य निर्यातक यह सहायता पाने के पात्र हैं। खर्च के 50 प्रतिशत की दर पर अधिक से अधिक ₹2.00 लाख प्रति विवरण पुस्तिका तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और प्लान-अवधि के दौरान ऐसी सहायता प्रति निर्यातक को अधिकतम दो बार बढ़ाई जाएगी। निर्यात उन्नयन के लिए इस सहायता का उपयोग करने के लिए निर्यातकों को सक्षम बनाने हेतु उनको इन योजनाओं का विवरण प्रदान किया गया। रिपोर्ट की अवधि के दौरान किसी भी निर्यातक ने इस सुविधा का उपयोग नहीं किया।

पैकेजिंग विकास और बार कोडिंग रजिस्ट्रीकरण

इस कार्यक्रम के अधीन विदेशी विपणियों में भारतीय मसालों के शेल्फ लाइफ बढ़ाने, भण्डारण जगह कम करने, अपनी अलग पहचान स्थापित करने और बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए वर्तमान पैकेजिड का संवर्धन करने तथा आधुनिक पैकेजिड विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सभी रजिस्ट्रीकृत निर्यातक इस संघटक के अधीन यह सहायता पाने के पात्र हैं। यह सहायता पैकेजिड विकास और बार कोडिंग रजिस्ट्रीकरण की लागत के 50 प्रतिशत, बशर्तकि प्रतिवर्ष प्रति निर्यातक ₹1.00 लाख तक, की है। 2012-13 के दौरान किसी भी निर्यातक ने यह सुविधा नहीं पाई।





विपणि विकास सहायता (एम डी ए)

पूर्ववर्ती वर्ष में ₹15.00 करोड़ तक के एफ.ओ.बी. मूल्य के निर्यातवाली निर्यात-कंपनियाँ भारत से अपने विनिर्दिष्ट उत्पादों/पण्यों के निर्यात के लिए विपणियां ढूँढ निकालने हेतु व्यापार प्रयोजनों/क्रेता-विक्रेता भेंट/मेलों/विदेशी प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता लेने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एम डी ए मार्गनिर्देशों के अनुसार सहायता के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के अधीन वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए फोकस (एल ए सी), फोकस (अफ्रीका), फोकस (सी आई एस) और फोकस (आसियान +2) जैसे विशिष्ट विदेशी क्षेत्रों के निर्यात उन्नयन कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा। यह सहायता, आरंभिक दौर में पात्र मसाला निर्यातकों को उच्चतम सीमा के अधीन प्रति दौरा इकोनमी/एक्सकर्शन क्लास का हवाई भाडा और, या तैयारशुदा स्टॉल के चार्ज के लिए है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-मेलों/प्रदर्शनियों में निर्यातकों की प्रतिभागिता के लिए सहायता-अनुदान

इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तिगत निर्यातकों को, जिन्हें बोर्ड द्वारा जारी भारतीय मसाला लॉगो/मसाला भवन प्रमाणपत्र प्राप्त है/जैव मसालों के प्रमाणित कृषकों, जैव मसाले निर्यातकों और उन निर्यातकों को, जिनका ब्रैंड-नाम बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत है, वित्तीय सहायता देना है।

यह सहायता व्यापार मेले के दौरे के लिए हवाई भाडे (इकोनमी/एक्सकर्शन क्लास) की प्रतिपूर्ति के रूप में लॉगो/एस एच सी धारकों के लिए प्रतिवर्ष प्रति निर्यातक अधिक से अधिक ₹60,000 और रजिस्ट्रीकृत ब्रैंड और जैव प्रमाण पत्र धारकों के लिए ₹40,000 तक है। स्वतन्त्र स्टॉल किराए पर लेने के मामले में सहायता की सीमा लागत का 50 प्रतिशत, अधिक से अधिक ₹1.00 लाख प्रति निर्यातक होगी।

2012-13 के दौरान एम डी ए योजना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में निर्यातकों की प्रतिभागिता के अधीन बोर्ड ने छः निर्यातकों को ₹4.76 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/सेमिनारों और शिष्टमण्डलों में प्रतिभागिता

निर्यातक संघों/फोरम के योग्य प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/सेमिनारों/शिष्टमण्डलों में भाग लेने के लिए अपने हवाई भाडे (इकोनमी/एक्सकर्शन क्लास) के 50 प्रतिशत तक की, अधिक से अधिक ₹1.50 लाख प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष, सहायता दी जाती है। मसालों के कुछ प्रमुख निर्यातकों को शामिल करते हुए ₹14.79 लाख खर्च करके स्पाइसेस बोर्ड ने 2012-13 के दौरान ऐसे पाँच शिष्टमंडल का आयोजन किया।

विदेश में विपणी अध्ययन

बोर्ड द्वारा विपणी सर्वेक्षण भारतीय मसालों की मज़बूतियों, कमज़ोरियों, अवसरों एवं आशंकाओं का पता लगाने में सहायक होगा और चूँकि यह बोर्ड द्वारा अपने ही वरिष्ठ विपणन स्टाफ के ज़रिए किया जाता है, बेहतर परिणाम में परिणत होने और सुसंगति बरकरार रखने में सहायक होगी। यह अध्ययन, संभावित निर्यातकों की रुचि के उत्पादों के अलावा बोर्ड द्वारा पहचान लिए गए भारतीय मसाला उत्पादों के विपणन की संभावना पर भी विचार करेगा। आयातकों, सूपर मार्केट प्रचालकों, प्रसंस्करणकर्ताओं आदि के साथ मेल मिलापों की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, आयातक देशों में वितरण चैनल, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, स्थापन, उत्पाद को बढ़ावा देना, विपणि-गतिविधियां, वर्तमान विनियम और उपभोक्ता-वरीयता की जानकारी बाँटने का अच्छा मंच है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान बोर्ड ने ₹1.28 लाख खर्च करके ऐसे दस अध्ययन चलाए।





ब्रैण्ड संवर्धन ऋण योजना

इस कार्यक्रम के अधीन चुने हुए आउटलेटों व विदेशों के चयनित शहरों में विनिर्दिष्ट ब्रैण्डों को स्थान दिलाने और मीडिया उन्नयन, संवर्धनात्मक विदेश यात्राएँ और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभागिता जैसे ज़रूरी संवर्धनात्मक कार्य चलाने के लिए, स्लोट्टिंग/लिस्टिंग शुल्क और संवर्धनात्मक कार्य की लागत के 100 प्रतिशत तक तथा उत्पाद विकास की लागत के 50 प्रतिशत, ज्यादा से ज्यादा ₹2.50 करोड़ प्रति ब्रैण्ड, तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अधीन ब्रैण्ड बै-आउट के लिए ₹5.00 करोड़ की ऋण-सहायता भी शामिल है। वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड ने एक निर्यातक को ऋण की दूसरी किस्त के रूप में ₹32.85 लाख की राशि का निर्माचन किया था।

भारतीय मसाला लॉगो

मसालों की गुणवत्ता का बयान देने वाला भारतीय मसाला लॉगो मसालों के विनिर्माता निर्यातकों को प्रदान किया जाता है और यह लॉगो प्रमुख विदेशी राष्ट्रों में रजिस्ट्रीकृत है। सरकार द्वारा अनुमोदित नए संशोधनों के मुताबिक, विनिर्माताओं को अपने पैकों के लिए लॉगो प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, किसी भी यूनिट वजन वाले पैकों के लिए अब यह लॉगो प्रदान किया जाता है। लॉगो धारक अपने उपभोक्ता पैकों पर 'भारतीयता और गुणवत्ता' के संकेत के रूप में गुणवत्ता का यह प्रतीक लगा सकता है। वैसे रिपोर्ट की अवधि के दौरान बोर्ड ने किसी भी निर्यातक को लॉगो जारी नहीं किया है।

मसाला भवन प्रमाणपत्र

मसाला भवन प्रमाणपत्र उन निर्यातकों को दिया जाता है जिन्होंने सफाई, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, वेअरहाउसिंग एवं गुणवत्ता आश्वासन के लिए अपेक्षित सुविधाएं स्थापित की हैं। केवल वे ही निर्यातक, जिन्होंने आई एस ओ एवं एच ए सी सी पी/जी एम पी प्रमाणपत्र अर्जित किए हैं, मसाला भवन प्रमाणपत्र के पात्र हैं। 33 यूनिटों को अब मसाला भवन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। संप्रति बोर्ड प्रसंस्करण यूनिटों को मसाला भवन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु लेखा परीक्षा कार्य सहित नियमों तथा विनियमों का संशोधन कर रहा है।

ब्रैंडनाम का रजिस्ट्रीकरण

इस कार्यक्रम, नामतः, 'ब्रैंडनाम का रजिस्ट्रीकरण' का लक्ष्य भारतीय ब्रैंड नामों के अधीन उपभोक्ता पैकों में मसाले/मसाले उत्पादों के निर्यात का समर्थन करना और ब्रैण्डेड उपभोक्ता पैकों की तीव्र गति से बढ़ती विपणन में स्थान प्राप्त करना है। बोर्ड ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान से परामर्श करके विभिन्न यूनिट वजनवाले विविध मसालों के लिए पैकेजिंग स्तर विनिर्दिष्ट किए हैं। वर्तमान तौर पर 48 निर्यातकों ने बोर्ड के साथ अपने ब्रैंडनामों का रजिस्ट्रीकरण किया है।

मसालों के ब्रैण्ड संवर्धन को दृष्टि में रखते हुए ब्रैण्ड के रजिस्ट्रीकरण की वर्तमान प्रणाली को बदल दिया गया। तदनुसार सभी ब्रैण्ड रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों को प्रत्येक तीन साल में अपने रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करना है। वर्ष 2012-13 के दौरान पांच निर्यातकों ने अगले तीन साल की अवधि के लिए बोर्ड के साथ अपने ब्रैंडनामों का रजिस्ट्रीकरण किया है।

उत्पाद विकास और अनुसंधान

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यातकों/अनुसंधान संस्थाओं को मसालों पर आधारित उत्पाद अनुसंधान और विकास चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें नए उत्पादों का विकास, नैदानिक जाँच और नए उत्पादों के लिए निर्यातार्थ पेटेन्ट पाना शामिल होंगे। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पाँच निर्यातकों को इस संघटक के अधीन ₹24.17 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।





स्पाइसेस पार्कों की स्थापना

(1) जोधपुर, राजस्थान

राजस्थान सरकार ने स्पाइसेस पार्क की स्थापना के लिए जोधपुर जिले के ओसियां तालुका के रामपुरा भाटियां गांव में करीब 60 एकड़ ज़मीन निशुल्क आबंटित की थी। स्पाइसेस पार्क की स्थापना पूरी हो गई है और परीक्षण के तौर पर उत्पादन प्रारंभ हुआ है।

(2) गुना, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने पार्क की स्थापना के लिए आधार पर बोर्ड को 100 एकड़ ज़मीन आबंटित की थी। पार्क की स्थापना से संबंधित कार्य लगभग पूरा हो गया या और मार्च 2013 को औपचारिक तौर पर पार्क का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना ए एस आई डी ई से प्राप्त वित्तीय सहायता के अधीन स्थापित है।

(3) गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश

बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से गुण्टूर जिले के एडलपाडु मण्डल में 124.78 एकड़ ज़मीन स्पाइसेस पार्क स्थापित करने हेतु अर्जित की है। भीतरी सड़क, दीवार, ड्रेनेज आदि जैसी मूलभूत अवसंरचना से संबंधित सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। प्रशासनिक ब्लॉक, प्लांट भवन, पावर स्टेशन आदि से संबंधित सिविल निर्माण कार्य पूरा होने को है और कारखाने के लिए बिजली का लाइन भी चार्ज किया गया है। बोर्ड का, पार्क के प्रांगण में तैयार माल का गोदाम, भोजनालय तथा बॉयलर हाउस जैसी अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएँ स्थापित करने का भी प्रस्ताव है और इन सुविधाओं के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने का कार्य जारी है। बोर्ड ने मिर्च के लिए पूरी क्षमतावाली प्रसंस्करण सुविधा स्थापित की है और इसका परीक्षण भी पूरा हुआ है। 500 कि.ग्रा./घंटा क्षमतावाली एक भाप विसंक्रमण यूनिट भी स्थापित करने का कार्य भी प्रगति पर है। बोर्ड ने प्रत्याशित निर्यातकों को पार्क में अपने खुद के प्रसंस्करण प्लांट विकसित करने के लिए 35 एकड़ ज़मीन पहले ही आबंटित की है। परियोजना का पहला दौर पूरा हो चुका है और उद्घाटन के लिए तैयार है।

(4) शिवगंगई, तमिलनाडु

बोर्ड ने स्पाइसेस पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार से कोत्तगुडी गांव, शिवगंगई तालुका में 72.70 एकड़ ज़मीन प्राप्त की है। दीवार, ड्रेनेज, प्रशासनिक ब्लॉक, चार गोदाम, दो प्लॉट मकान, भोजनालय जैसी मूलभूत अवसंरचनाओं का सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। भीतरी सड़क का निर्माण, पावर स्टेशन का निर्माण, विद्युतीकरण, ओवरहेड वाटर स्टोरेज जैसे अन्य कार्य जारी हैं। बोर्ड ने मिर्च के लिए एक सुसज्जित प्रसंस्करण प्रणाली तथा हल्दी के लिए एक और सुसज्जित प्रणाली की स्थापना की है। बोर्ड ने मसालों के निर्यातकों को उनके अपने प्रसंस्करण प्लांट के विकास के लिए पार्क में उपलब्ध ज़मीन पट्टे पर प्रदान करने के लिए ई ओ आई आमंत्रित की है। ज़मीन का आबंटन जारी है। परियोजना का पहला दौर लगभग पूरा हो चुका है।

(5) कोटा, राजस्थान

राजस्थान सरकार ने स्पाइसेस पार्क की स्थापना के लिए कोटा जिले के रामगंज मंडी में करीब 12.14 हेक्टेयर ज़मीन आबंटित की है। पार्क की स्थापना से जुड़ा हुआ कार्य प्रगति पर है और 2013 के अंत तक सभी कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है। बोर्ड ने भावी निर्यातकों को पार्क में अपना प्रसंस्करण प्लांट विकसित करने के लिए ज़मीन आबंटित की है।





(6) मेहसाना, गुजरात

गुजरात सरकार ने मेहसाना जिले के वीसनगर तालूका में स्पाइसेस बोर्ड को करीब 90 एकड़ ज़मीन आबंटित की है। पार्क की स्थापना से जुड़ा हुआ कार्य स्थानीय लोगों द्वारा अदालत में मुकदमा दाखिल किए जाने के कारण लम्बित है।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

(i) नरेला, नई दिल्ली

स्थापना पूरी हुई है और परीक्षण के तौर पर कार्य प्रारंभ हुआ है।

(ii) वर्ल्ड ट्रेड एवन्यू, तूतिकोरिन

स्थापना पूरी हुई है और परीक्षण के तौर पर कार्य प्रारंभ हुआ है।

(iii) गांधीधाम, काण्डला

काण्डला पत्तन न्यास ने स्पाइसेस बोर्ड को गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए गांधीधाम नगरी में प्लॉट नं. 22-ए में 40 सेंट ज़मीन पट्टे पर आबंटित की है। प्रयोगशाला बिल्डिंग का सिविल निर्माण-कार्य प्रारंभ हुआ है। मार्च 2014 तक कार्य पूरा होने का अनुमान है।

(iv) बरूईपुर, कोलकाता

कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (के एम डी ए) ने परियोजना की स्थापना के लिए स्पाइसेस बोर्ड को एक एकड़ ज़मीन आबंटित की है। बोर्ड परियोजना की स्थापना से जुड़े हुए प्राथमिक कार्य पूरा कर चुका है। सिविल निर्माण-कार्य के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं और वे प्रक्रमणाधीन हैं।

मसालों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में खाद्य सुरक्षा पर क्षमता निर्माण के लिए एक सहयोगी प्रशिक्षण केन्द्र (सी टी सी) की स्थापना

खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन दुनिया भर में चिंता के विषय हैं। आयातक देशों द्वारा अपनाए गए सख्त नए विधानों के साथ मसालों के आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन में खाद्य सुरक्षा का कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण मामला बन गया है।

गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा की इस चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों व वनस्पति सामग्री के आपूर्ति श्रृंखला-प्रबंधन में खाद्य सुरक्षा पर क्षमता निर्माण के लिए जोईंट इंस्टीट्यूट फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन (जे आई एफ एस ए एन), यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, यू एस ए और कोन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ - फूड एंड एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सलेन्स (सी आई आई - एफ ए सी ई) के सहयोग से एक सहयोगी प्रशिक्षण केंद्र (सी टी सी) की स्थापना किया है और तीन चरणों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई है।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में प्रशिक्षण देने और विभिन्न मसाला उत्पादक राज्यों में अधिक संख्या में मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के पहले चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम कोचिन में आयोजित किया गया और दूसरे चरण का कार्यक्रम यू एस ए में अभी पूरा हुआ है, बोर्ड अभी तीसरे चरण के प्रशिक्षण की प्रक्रिया में है। ये मास्टर प्रशिक्षक इस विषय से जुड़े राज्य बागवानी विभाग, राज्य बागवानी मिशन तथा अन्य संगठनों व संबन्धित एसोसिएशनों को शामिल करते हुए खेती स्तर पर अच्छे कृषि कार्य के कार्यान्वयन के लिए निचले स्तर के पणधारियों (किसानों व किसान संगठनों) को बारी बारी से प्रशिक्षण देंगे। बोर्ड अगले सीजन के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रबंधन और अच्छे कृषि कार्य पर किसानों को खेत स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिसंबर 2013-जनवरी 2014 तक सभी मास्टर फील्ड प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा करने का प्रस्ताव करता है।





निर्यात परेषणों का अनिवार्य नमूनन और उनकी जाँच

पारा रेड, रोडामिन-बी और बट्टर येलो, सुडान रेड 7 बी, सुडान ऑरेंज जी, सन्सेट येलो जैसे अवैध रंजकों तथा अन्य नाशीजीवनाशी अवशेषों के विश्लेषण के लिए निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली विश्लेषणात्मक सेवाओं के अलावा, बोर्ड ने सुडान रंजक 1-IV और एफ्लाटोक्सिन की मौजूदगी के लिए मिर्च एवं मिर्च उत्पादों तथा हल्दी पाउडर के निर्यात परेषणों के अनिवार्य नमूनन और विश्लेषण को जारी रखा।

2012-13 के दौरान, एथिओन, इप्रोबेन्फोस, ट्रिजोफोस और प्रोफेनोफोस जैसे नाशीजीवनाशियों के लिए और जापान के लिए मिर्च व मिर्च उत्पादों तथा जीरा व जीरा उत्पादों (तेल व तैलीराल को छोड़कर) के निर्यात परेषणों पर अनिवार्य नमूनन और जांच लागू किया है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान यूरोपियन यूनियन को करी पत्तों के निर्यात परेषणों के लिए प्रोफेनोफोस, ट्रिजोफोस और एंडोसल्फान जैसे नाशीजीवनाशियों के लिए अनिवार्य जांच लागू की गई है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कोचिन क्षेत्र से मिर्च/मिर्च उत्पादों तथा हल्दी के निर्यात परेषणों से 16940 नमूने तैयार किए गए और विश्लेषण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला भेजे गए। नमूनन और भराई की सूचना ऑनलाइन के ज़रिए दी गई।

बोर्ड के विपणन विभाग ने अपने प्रादेशिक कार्यालयों के साथ अनिवार्य नमूनन के अधीन निर्यात परेषणों का नमूनन और भरण, नमूनन और भरण-कार्य के लिए सर्वेक्षकों की नियुक्ति और उनका मानीटरिंग, विश्लेषणात्मक रिपोर्टें जारी करना, निर्यातकों से विश्लेषणात्मक शुल्क का समाकलन, निगरानी निरीक्षण तथा संदूषित निर्यात परेषणों को नष्ट करने से जुड़ी हुई अनुवर्ती कार्रवाई जैसे क्रियाकलापों को संभाला। नमूनन अभिकरणों द्वारा नमूनन के समय मानीटरिंग/निगरानी निरीक्षण भी चलाए गए और सुडान संसूचन के आधार पर परेषणों को एफ एस एस ए आई की सहायता से नष्ट कर दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों तथा सेमिनारों में भागीदारी

(i) ए एस टी ए वार्षिक बैठक और प्रदर्शनी

22-25 अप्रैल 2012 के दौरान रिट्ज़ कल्टोन, एमेलिया आइलैंड, फ्लॉरिडा यू एस ए में संपन्न 2012 ए एस टी ए वार्षिक बैठक में स्पाइसेस बोर्ड ने भाग लिया। अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक (गु.नि.) बैठक में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य “विश्व खाद्य सुरक्षा पहल : खाद्य सुरक्षा निष्पादन पर मुश्किलों को दूर करना और खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम की वर्तमान स्थिति आयातित खाद्यों पर ध्यान’ रहा।

(ii) ई एस ए 2013 तकनीकी आयोग की बैठक

13-15 जून, 2012 के दौरान गोथेन्बर्ग, स्वीडन में आयोजित यूरोपियन स्पाइस एसोसिएशन (ई एस ए) तकनीकी आयोग की बैठक में बोर्ड ने भाग लिया। श्री बार्ट शलते, फ्रांस स्पाइस एसोसिएशन ने तकनीकी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गेरहार्ड वेबर, महा सचिव, ई एस ए और श्री हेलमत मांक, जर्मनी स्पाइस एसोसिएशन भी बैठक में उपस्थित थे। सत्रों व बैठकों में विभिन्न देशों से आए करीब 40 प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। भारतीय मसाला उद्योग के संबंध में तकनीकी समिति बैठक के दौरान निकले प्रमुख परिणाम थे: शाकों व मसालों में धातुओं का पता लगाना/कालीमिर्च में मैग्नेटिक कण, गैर-जानवर स्रोत के उत्पाद (पी.ओ.ए.ओ) विनियम।

(iii) आई पी सी सत्र व बैठकें

आई पी सी के 40 वां सत्र और अन्य बैठकें 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2012 तक माउंट लाविनिया होटल, कोलोम्बो, श्रीलंका में संपन्न हुई। स्पाइसेस बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में आई पी सी बैठकों व सत्रों में निदेशक (विपणन) ने भाग लिया। बैठक में भारत के “कंट्री पेपर” का प्रस्तुतीकरण हुआ।





(iv) मसाला निर्यात पर यू एस एफ़ डी ए अधिकारियों के साथ चर्चा

अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक (गु.नि.), स्पाइसेस बोर्ड ने 26 अप्रैल, 2012 को कॉलेज पार्क, एम डी 20740, यू एस ए के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन में यू एस एफ़ डी ए अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। श्री जेफ्री रीड, अंतर्राष्ट्रीय नीति विशेषज्ञ, श्रीमती एलीजाबेथ एम कालवे, संपर्क एवं साझेदारी दल, सुश्री दरिया क्लेन्मेएर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिकारी, यू एस एफ़ डी ए की पौध उत्पाद शाखा, डॉ. जियाङ्घोंग मंग, निदेशक व प्रोफेसर, मेरीलैंड विश्वविद्यालय, श्री ब्राइस रॉस, कंट्री डायरेक्टर (इंडिया) और डॉ. जॉन स्प्राउल बैठक में उपस्थित थे। बैठक के दौरान भारतीय निर्यातकों पर एफ़ एस एम ए के प्रभाव पर भी विस्तार से चर्चा हुई। चर्चित मुद्दे थे : आयात पर रोक (धारा 301 विदेशी आपूर्तिकर्ता सत्यापन कार्यक्रम), आयात सुरक्षा अधिदेश (धारा 307, तृतीय पक्ष लेखा परीक्षकों का प्रत्यायन) और तृतीय पक्ष प्रमाणन कार्यक्रम की भूमिका।

(v) स्पाइसेस बोर्ड ने आई पी सी पर अनुसंधान व विकास समिति की पहली बैठक की मेजबानी की

स्पाइसेस बोर्ड ने 10-11 सितंबर 2012 के दौरान कोचिन में आई पी सी की अनुसंधान व विकास समिति की पहली बैठक की मेजबानी की। श्री के. आर. ज्योतिलाल आई ए एस, उप कुलपति केरल कृषि विश्वविद्यालय ने बैठक का उद्घाटन किया। अनुसंधान व विकास समिति में आई पी सी के सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल हैं, जिन्होंने कालीमिर्च उद्योग के अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

(vi) मडगास्कर के दौरे केलिए आई पी सी सदस्य देशों के बहु-देशीय प्रतिनिधि मण्डल

आई पी सी के सदस्य देशों के बहु-देशीय प्रतिनिधि मण्डल ने 10-15 जुलाई, 2012 के दौरान मडगास्कर में बढ़नेवाली कालीमिर्च की रोगरोधी किस्म पर अध्ययन केलिए मडगास्कर का दौरा किया। भारत भी एक सदस्य देश होने के कारण, स्पाइसेस बोर्ड भी इस प्रतिनिधि मण्डल का भाग रहा।

साउदी अरेबिया केलिए स्पाइसेस बोर्ड व्यापार प्रतिनिधि मंडल

सचिव एवं निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड के नेतृत्व में छः सदस्य वाले एक प्रतिनिधि मण्डल ने साउदी अरेबिया में इलायची केलिए विपणि क्षमता का पता लगाने केलिए 3-5 जून, 2012 के दौरान साउदी अरेबिया का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल में इलायची निर्यातक और किसान शामिल थे। रियाद व जिद्दाह चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के सहयोग से भारतीय दूतावास, रियाद व भारत का महाकांसुलावास ने रियाद और जिद्दाह में क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।

इलायची पर घरेलू बाज़ार संरचना, विकास और भावी परिदृश्य के संबंध में अध्ययन

इलायची पर घरेलू बाज़ार संरचना, विकास और भावी परिदृश्य के संबंध में अध्ययन चलाने का कार्य स्पाइसेस बोर्ड ने आई आई पी एम, बंगलुरु को सौंपा। इस अध्ययन के तीन घटक हैं, जैसे 1) घरेलू बाज़ार के संबंध में इलायची का संचलन और कीमत प्रसार विश्लेषण, 2) भारतीय इलायची निर्यात के निष्पादन, प्रतियोगीक्षमता और धारणीयता और 3) भारत में इलायची के व्यापार और संचलन पर अंतर-राज्यीय कर का प्रभाव।

अन्य निर्यात उन्नयन कार्यकलाप

2012-13 के दौरान बोर्ड को मसालों व मसाले उत्पादों पर 243 विदेशी और 461 घरेलू व्यापार पूछताछ प्राप्त हुईं। इन सभी पूछताछों पर निर्यातकों के संपर्क विवरण सहित यथासमय उत्तर दिया गया और उसे निर्यातकों को भी सूचित किया गया। इन पूछताछों को 'फोरिन ट्रेड एंक्वयरीस बुलेटीन' (पाक्षिक) में संकलित और प्रकाशित भी किया गया।





एफ आई ई ओ, सी आई आई, एफ आई सी सी आई, एस्सोचेम, के एम ए, ए आई एम ए, आई टी पी ओ, आई आई पी एम, जी एस आई, इंडो अमेरिकन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो-चैना चेम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो जर्मन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, इंडियन हाबिटाट सेंटर, केरला प्रोडक्टिविटी काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे ए एस टी ए, ई एस ए, आई पी सी, ए ए डी आई के साथ सदस्यता-नवीकरण और विभिन्न नीतिगत मामलों पर पत्राचार किए गए।

मसालों के देश विशेष निर्यात विश्लेषण भी तैयार किए गए और इंडिया-मेरकोसर प्रेफेरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेंट (पी टी ए), इंडिया-जापान-थर्ड मीटिंग ऑफ मिनिस्टीरियल लेवल पॉलिसी डायलॉग (जे आई पी डी), इंडो-ई यू फिफ्ट मीटिंग ऑफ इंटर-मिनिस्टीरियल जाइंट वर्किंग ग्रुप (जे डब्ल्यू जी), इंडिया-यू एस मिनिस्टीरियल लेवल ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग, इंडिया-तांजानिया-थर्ड जाइंट ट्रेड कमिटी (जे टी सी), इंडिया-ईरान जाइंट कमीशन मीटिंग, इंडिया-चिली प्रेफेरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेंट ऑन स्पाइसेस, इंडिया-रशियन वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकनॉमिक को-ऑपरेशन, इंडिया-नाइजीरिया जाइंट कमीशन, इंडिया-कनाडा ट्रेड पॉलिसी कंसल्टेशंस, इंडिया-अफ्रीका कोम्प्रिहेंसिव स्ट्राटेजी टू स्ट्रेंथेनिंग बाइलैटरल ट्रेड, इंडिया-एलएसी & करीबियन ट्रेड मैटर्स, इंडिया तुर्कमेनिस्तान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, इंडिया-मौरीशियस ट्रेड इश्यूस, सी आई टी एम 'स मीटिंग विथ मौरीशियस मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री & कॉमर्स, स्ट्राटेजी पेपर फॉर सी आई एस कंट्रीस इंडिया-सी आई एस रोडमाप-2020 जैसे विभिन्न देशों पर संयुक्त कार्य दल बैठक/प्रतिनिधिमंडल के लिए मंत्रालय को भेज दिए गए।

अग्रिम प्राधिकरण के अधीन, निर्यात उत्पादन के लिए निर्यातक मसालों का आयात कर सकते हैं। बोर्ड को उन नमूनों, जिनका आयात मुख्यतः मसाला तेल व तैलीरालों के उत्पादन के लिए किया जाता है, का विश्लेषण करने और इनपुट आउटपुट शर्तों को नियत करने हेतु डी जी एफ टी को शर्तों की सिफारिश करने के लिए नामोद्दिष्ट किया गया। 2012-13 अवधि के दौरान, बोर्ड को ऐसे 326 नमूने प्राप्त हुए जिनमें से 325 जांच रिपोर्टों को तैयार करके इनपुट आउटपुट शर्तों (एस आई ओ एन) के नियतन हेतु डी जी एफ टी को भेजे गए। बोर्ड ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अनुज्ञापन के लिए निर्यातकों को विनिर्माण क्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करना जारी रखा।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, मंत्रालय/आर बी आई/एक्सिम बैंक/राजदूतावासों से प्राप्त परिपत्रों/कागजातों और मसालों से संबन्धित महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं का समाकलन किया गया और बोर्ड के प्रकाशनों के ज़रिए व्यापार को वितरित किया गया।

बोर्ड ने मसालों के निर्यातकों तथा आयातकों के बीच की मुठभेड़/शिकायतों का समाधान करने की अपनी कोशिश जारी रखी। प्राप्त शिकायतों की जांच की गई और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए संबन्धित पार्टियों, आयातकों/निर्यातकों, राजदूतावासों/व्यापार संगठनों के सामने रखी गई।

यूरोपियन कमीशन द्वारा जारी किए गए रेड एलर्ट नोटिफिकेशन और अन्य आयातक देशों द्वारा सीमावर्ती निराकरण मामलों का मानीटरिंग किया गया और निर्यातकों को आवश्यक अनुदेश दिया गया। इस उद्देश्य के लिए गठित दल ने उसके द्वारा मासिक आधार पर इसका मानीटरिंग और आर ए एस एफ एफ को रिपोर्ट करने का कार्य जारी रखा।

बोर्ड अन्तः विभागीय पैनल का सदस्य बना रहा और उसने कालीमिर्च प्रसंस्करण यूनिटों के आंतरिक प्रसंस्करण गुणवत्ता नियंत्रण (आई पी क्यू सी) का संयुक्त निरीक्षण चलाने के लिए ई आई ए और अगमार्क को सहयोग दिया।





6. व्यापार सूचना सेवा

विपणन विभाग की व्यापार सूचना सेवा मसालों के निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन, नीलाम और घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से जुड़ी साँखिकी के समाकलन, संग्रहण, विश्लेषण और वितरण के जिम्मेदार है।

भारत से मसालों के मासिक अनुमानित निर्यात के संग्रहण हेतु सूचनाओं का मुख्य स्रोत सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा निर्माचित निर्यात की दैनिक सूची (डी एल ई) है। उसी प्रकार, भारत में मसालों के मासिक आयात के अनुमान हेतु स्रोत सीमाशुल्क द्वारा निर्माचित आयात की दैनिक सूची (डी एल आई) है। बोर्ड मसालों के आयात/निर्यात विवरणों का संग्रहण मासिक आधार पर करता है और मसालों के निर्यात और आयात के आँकड़ों का वितरण अपने पणधारियों तथा मन्त्रालय/विभागों को नियमित रूप से करता है। इसके लिए बोर्ड कोचिन, जे एन पी टी, चेन्नई, तूतिकोरिन, मुण्ड्रा, कोलकत्ता, पेट्रापोल, मोहाधीपुर, रक्सुअल, अमृतसर आदि प्रमुख पत्तनों से नियमित रूप से डी एल ई और डी एल आई दोनों का समाकलन करता है। इसके सिवा बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालयों से भी सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं।

बोर्ड भारत और विदेश की प्रमुख विपणियों में मसालों के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय भाव का संग्रहण करता है और अपने वेबसाइट और प्रकाशनों के ज़रिए पणधारियों को वितरित करता है। मूल्य संबन्धी विवरणों के समाकलन का मुख्य स्रोत इण्डिया पेप्पर एण्ड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, एग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीस, ब्यौहारी संघ, इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टर जनेवा, इन्टरनेशनल पेप्पर कम्युनिटी इन्दोनेशिया, ए ए सयिया & कं; यू एस ए जैसी एजेन्सियाँ हैं। ये सारी सूचनाएँ बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालयों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ चन्दा से समाकलित की जाती हैं।

जैसेकि बोर्ड इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन विकास के जिम्मेदार है, व्यापार सूचना सेवा द्वारा बोर्ड की क्षेत्रीय संस्थापनाओं के ज़रिए चलाए जाने वाले क्षेत्र नमूना अध्ययन की सहायता से इन मसालों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता का अनुमान किया जाता है। बोर्ड प्रमुख उत्पादन केन्द्रों में कालीमिर्च के उत्पादन का अनुमान लेने हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण चलाने के लिए सुपारी तथा मसाला विकास निदेशालय, कालिकट का भी समर्थन करता है। अन्य मसालों के क्षेत्र और उत्पादन संबन्धी ब्यौरे का समाकलन राज्य आर्थिक एवं साँखिकी/कृषि/बागवानी विभागों से संग्रहणार्थ किया जाता है। मसालों के क्षेत्र, उत्पादन संबन्धी सूचनाएँ पणधारियों तथा नीति-निर्माताओं को बोर्ड के प्रकाशनों तथा वेबसाइट के माध्यम से वितरित की जाती है।

निर्यातकों के रजिस्ट्रीकरण (विनियम) के अनुसार, मसालों के सभी रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों द्वारा बोर्ड को अपनी तिमाही विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए। संप्रति 3820 से अधिक निर्यातकों ने बोर्ड के साथ पंजीकरण किया है और व्यापार सूचना सेवा इन निर्यातकों से तिमाही निर्यात विवरणी का संग्रहण करती है और मसालों के निर्यातक वार दिताबेस रखती है। इस दिता बेस का इस्तेमाल करते हुए हम प्रत्येक मसाले के अग्रणी निर्यातकों के विवरणों का संग्रहण करते हैं और अपने वेबसाइट के माध्यम से उसका प्रकाशन करते हैं।

स्पाइसेस बोर्ड इलायची की बिक्री के लिए बोडिनायकन्नूर और पुट्टडी के इ-नीलाम केन्द्रों के ज़रिए इ-नीलाम चला रहा है। इलायची की दैनिक नीलाम मात्रा और मूल्य का विवरण संकलित करके उसका प्रकाशन हमारी वेबसाइट के माध्यम से रोज़ किया जाता है। नीलाम बिक्री और औसत मूल्यों से संबन्धित समेकित विवरणों का समाकलन और वितरण हमारे प्रकाशनों के ज़रिए किया गया।





प्रमुख विदेशी विपणियों सहित विभिन्न विपणि केन्द्रों के लिए विभिन्न मसालों के साप्ताहिक घरेलू मूल्य का समाकलन और संग्रहण किया गया और उद्योग के पणधारियों के लाभ के लिए साप्ताहिक आधार पर 'स्पाइसेस मार्केट' नामक बोर्ड के प्रकाशन के ज़रिए इनका प्रकाशन किया गया।

मसालों का क्षेत्र और उत्पादन

2011-12 की तुलना में 2012-13 के लिए इलायची (छोटी) और इलायची (बड़ी) का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता तालिका I & II में है। अन्य मसालों का क्षेत्र और उत्पादन तालिका III में है।

तालिका-I

इलायची (छोटी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन
(क्षेत्र हेक्टर में, उत्पादन मी.ट. में., उत्पादकता: कि.ग्रा/हे.में)

राज्य	2011-12				2012-13			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
केरल	41600	29990	11440	381	39660	29620	11350	383
कर्नाटक	25125	17690	2415	137	25050	17342	1800	104
तमिलनाडु	4560	3370	1145	340	5160	3708	850	229
कुल	71285	51050	15000	294	69870	50670	14000	276

स्रोत: स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

तालिका-II

इलायची (बड़ी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन
(क्षेत्र: हे. में, उत्पादन: मी.ट. में, उत्पादकता: कि.ग्रा/हे.में)

राज्य	2011-12				2012-13			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
सिक्किम	23155	15502	3234	209	22755	15650	3483	223
पश्चिम बंगाल	3305	2715	626	231	3305	2740	662	242
कुल	26460	18217	3860	212	26060	18390	4145	225

स्रोत: स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान





तालिका-III

प्रमुख मसालों के क्षेत्र व उत्पादन (क्षेत्र हे. में, उत्पादन मी.ट.में)

मसाला	2011-12 (अनु.)		2010-11 (अ)	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
कालीमिर्च	201381	43000	183780	48000
मिर्च	840610	1426520	716428	1299191
अदरक	161850	773060	167432	937043
हल्दी	237720	1246220	232022	1268280
लहसुन	262780	1302070	202888	1085740
धनिया	540700	511760	474250	372366
जीरा	842560	461160	625087	403744
बडी सोंफ	100610	142960	81890	125710
मेथी	93170	117320	94760	127850

स्रोत: राज्य आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय/कृषि/बागवानी विभाग, (अ) अनन्तिम, (अनु.) अनुमानित

इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और मूल्य

2012-13 और 2011-12 के लिए इलायची (छोटी) की राज्यवार नीलाम बिक्री और भारत औसत मूल्य तालिका IV में दिए जाते हैं:

तालिका-IV

भारत में इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और मूल्य
(मात्रा: मी.ट, मूल्य: ₹/कि.ग्रा.में)

राज्य	2012-13 (अगस्त-जुलाई)		2011-12 (अगस्त-जुलाई)	
	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलाम मूल्य	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलाम मूल्य
केरल और तमिलनाडु (इ-नीलाम)	15873	687.54	20306	645.94
कर्नाटक	58	460.44	70	450.08
महाराष्ट्र	34	765.87	105	713.74
कुल	15965	686.91	20481	645.62

(स्रोत: छोटी इलायची के अनुज्ञप्त नीलामकर्त्ताओं से प्राप्त रिपोर्टें)





इलायची (बडी) की नीलाम बिक्री और मूल्य

2012-13 के लिए इलायची (बडी) की नीलाम बिक्री और भारत औसत मूल्य तालिका-V में है।

तालिका-V
इलायची (बडी) की औसत नीलाम बिक्री और मूल्य
(मात्रा: मी.ट, मूल्य: ₹/कि.ग्रा.में)

राज्य	2012-13	
	नीलामित मात्रा	भारत औसत नीलाम मूल्य
सिक्किम/पश्चिम बंगाल	2.5	775.06

इलायची (बडी) का मूल्य

गान्तोक तथा सिलिगुडी विपणि में 2012-13 और 2011-12 के लिए इलायची (बडी) का औसत थोक बिक्री मूल्य तालिका-VI में दिए जाते हैं।

तालिका-VI
इलायची (बडी) का औसत थोक मूल्य
(मूल्य ₹/कि.ग्रा.में)

विपणि केन्द्र	ग्रेड	2012-13 (अप्रैल-मार्च)	2011-12 (अप्रैल-मार्च)
गान्तोक	बडा दाना	681.95	799.97
सिलिगुडी	बडा दाना	746.64	880.41

अन्य प्रमुख मसालों के मूल्य

प्रमुख मसालों के औसत मूल्य नीचे दिए जाते हैं। इन मूल्यों का समाकलन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, इण्डिया पेप्पर एण्ड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, व्यापारी संघों द्वारा तैयार की गई विपणि पुनरीक्षाएँ आदि गौण स्रोतों से किया गया है। मुख्य विपणि केन्द्रों में प्रमुख मसालों के मूल्य तालिका VII में दिए जाते हैं:-





तालिका-VII
मुख्य विपणि केन्द्रों में प्रमुख मसालों के मूल्य

(मूल्य: ₹/कि.ग्रा.में)

प्रमुख मसाला	विपणि	ग्रेड	2012-13	2011-12
कालीमिर्च	कोचिन	एम जी-1	398.18	318.77
मिर्च	गुण्टूर		51.74	69.83
अदरक	कोचिन	उत्कृष्ट	116.53	117.17
हल्दी	कोचिन	ए एफ टी	66.02	103.02
लहसुन	मुंबई/चेन्नई		16.45	46.32
धनिया	मुंबई/चेन्नई		53.91	50.02
जीरा	मुंबई/चेन्नई		150.66	138.92
बडी सौंफ	मुंबई/चेन्नई		80.25	117.56
मेथी	मुंबई/चेन्नई		35.67	29.91
अजोवन बीज	मुंबई/चेन्नई		88.93	140.92
सरसों बीज	दिल्ली		51.88	37.35
इमली	मुंबई/चेन्नई		64.30	79.01
लौंग	कोचिन		792.17	867.41
जायफल	कोचिन	छिलका रहित	625.65	632.48
मेस	कोचिन		785.06	1190.05
केसर	दिल्ली		120813.00	111000.00

भारत से मसालों का निर्यात निष्पादन

देश के समस्त निर्यात निष्पादन में गिरावट होने के बावजूद भी, भारतीय मसाला निर्यात रुपए के हिसाब से मात्रा और मूल्य दोनों में भारी बढ़त अर्जित करने में सक्षम हुआ है। मसालों के इतिहास में पहली बार मसालों के निर्यात ने मात्रा में 22 प्रतिशत की सार्वकालिक वृद्धि रजिस्टर की है। परिमाण में 22 प्रतिशत और रुपए मूल्य में 14 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए, 2011-12 के ₹9,783.42 करोड़ (\$2,037.76 दशलक्ष) मूल्य के 5,75,270 मीटरी टन के मुकाबले में 2012-13 के दौरान देश से ₹11,171.16 करोड़ (\$2,040.18 दशलक्ष) मूल्य के कुल 6,99,170 टन मसालों व मसाले उत्पादों का निर्यात हुआ। वैसे भारतीय रुपए के मूल्य में मंदी के कारण डॉलर के हिसाब से मूल्य में निष्पादन करीब बराबर रहा।





2012-13 के दौरान मसालों का कुल निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों हिसाब से लक्ष्य से अधिक रहा। 2012-13 वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य ₹8203.50 करोड़ (\$1,650 दशलक्ष) मूल्य के 5,66,000 मेट्रिक टन की तुलना में उपलब्धि मात्रा के हिसाब से 124 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से रूपए में 136 प्रतिशत और डोलर में 134 प्रतिशत है।

2012-13 के दौरान, 2011-12 की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों हिसाब से इलायची (बड़ी), मिर्च धनिया, जीरा, बड़ी सौंफ, मेथी, सेलरी, सरसों, सौंफ, अजोवन बीज आदि अन्य बीज, जायफल और जावित्री, लहसुन और हींग, इमली आदि अन्य मसाले, करी पाउडर/पेस्ट, मसाले तेल व तैलीराल जैसे मूल्ययोजित उत्पाद और पुदीना उत्पादों के निर्यात ने भी 2011-12 की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से वृद्धि दर्शाई थी। कालीमिर्च, इलायची (छोटी) और अदरक जैसे अन्य मसालों ने पिछले साल की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों के हिसाब से कमी दिखाई थी।

मात्रा में 17 प्रतिशत और मूल्य में पाँच प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के ₹2,144.08 करोड़ मूल्य के 2,41,000 मीटरी टन की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹2,261.44 करोड़ मूल्य के कुल 2,81,000 मीटरी टन मिर्च का निर्यात किया गया। मात्रा में 18 प्रतिशत और मूल्य में आठ प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के ₹68.30 करोड़ मूल्य के 935 मीटरी टन की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹73.66 करोड़ मूल्य के कुल 1,100 मीटरी टन बड़ी इलायची का निर्यात किया गया। मात्रा में 32 प्रतिशत और मूल्य में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के ₹164.02 करोड़ मूल्य के 28,100 मीटरी टन की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹210.77 करोड़ मूल्य के कुल 37,100 मीटरी टन धनिया का निर्यात किया गया। मात्रा में 76 प्रतिशत और मूल्य में 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के ₹644.42 करोड़ मूल्य के 45,500 मीटरी टन की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹1093.18 करोड़ मूल्य के कुल 79,900 मीटरी टन जीरे का निर्यात किया गया। पिछले वर्ष के ₹72.09 करोड़ मूल्य के 8,100 मीटरी टन के खिलाफ इस अवधि के दौरान ₹114.02 करोड़ मूल्य के कुल 14,575 मीटरी टनों की मात्रा की बड़ी सौंफ का निर्यात किया गया। पिछले वर्ष के ₹14.16 करोड़ मूल्य के 2,200 मीटरी टन के खिलाफ 2012-13 के दौरान ₹74.49 करोड़ के कुल मीटरी 24,000 मीटरी टनों की मात्रा के लहसुन का निर्यात किया गया। मात्रा में 43 प्रतिशत और मूल्य में 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के ₹72.75 करोड़ मूल्य के 21,800 मीटरी टन की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹108.36 करोड़ मूल्य के कुल 31,100 मीटरी टन मेथी का निर्यात किया गया। पिछले वर्ष के ₹58.81 करोड़ मूल्य के 13,050 मीटरी टन के खिलाफ 2012-13 के दौरान ₹116.12 करोड़ के कुल 18,600 मीटरी टनों की मात्रा के सौंफ, अजोवन बीज, सरसों आदि जैसे अन्य बीजों का निर्यात किया गया। पिछले वर्ष के ₹320.33 करोड़ मूल्य के 35,900 मीटरी टन के खिलाफ 2012-13 के दौरान ₹328.50 करोड़ के कुल 37,550 मीटरी टनों की मात्रा के इमली, हींग, दालचीनी आदि जैसे अन्य मसालों का निर्यात किया गया। मूल्य योजित उत्पादों के मामलों में पिछले साल के ₹252.08 करोड़ मूल्य के 17,000 मीटरी टन की तुलना में करी पाउडर/पेस्ट का निर्यात ₹298.38 करोड़ मूल्य के 19,000 मीटरी टन रहा। पिछले वर्ष के ₹1,304.68 करोड़ मूल्य के 7,265 मीटरी टनों के बदले ₹1,312.86 करोड़ मूल्य के 8,670 मीटरी टनों के मसाला तेल व तैलीराल का निर्यात किया गया। मात्रा में 35 प्रतिशत और मूल्य में 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के ₹2,223.72 करोड़ मूल्य के 14,750 मीटरी टन की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹3,321.79 करोड़ मूल्य के कुल 19,980 मीटरी टन पुदीना उत्पादों का निर्यात किया गया।

2011-12 की तुलना में 2012-13 दौरान भारत से मसालों का प्रमुख मदवार निर्यात और लक्ष्य के खिलाफ लब्धि तालिका VIII व IX में दी जाती हैं।





तालिका-VIII
2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात
(मात्रा: मी.ट. में, मूल्य: ₹ लाख में)

मद	2012-13		2011-12		2012-13 में प्रतिशत परिवर्तन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कालीमिर्च	16,000	67,256.57	26,700	87,813.45	-40%	-23%
इलायची (छोटी)	2,250	18,505.92	4,650	36,322.28	-52%	-49%
इलायची (बड़ी)	1,100	7,366.19	935	6,830.00	18%	8%
मिर्च	281,000	226,144.00	241,000	214,408.00	17%	5%
अदरक	19,850	16,863.10	21,550	20,420.02	-8%	-17%
हल्दी	80,050	53,985.40	79,500	73,434.40	1%	-26%
धनिया	37,100	21,076.90	28,100	16,401.85	32%	29%
जीरा	79,900	109,317.60	45,500	64,442.05	76%	70%
सेलरी	4,800	3,055.15	3,650	2,340.05	32%	31%
बड़ी सौंफ	14,575	11,402.04	8,100	7,209.20	80%	58%
मेथी	31,100	10,835.74	21,800	7,275.20	43%	49%
अन्य बीज (1)	18,600	11,612.10	13,050	5,881.25	43%	97%
लहसुन	24,000	7,449.21	2,200	1,415.70	991%	426%
जायफल व मेस	3,645	26,095.06	3,620	24,097.50	1%	8%
अन्य मसाले (2)	37,550	32,849.95	35,900	32,033.00	5%	3%
करी पाउडर/मिश्रण	19,000	29,835.93	17,000	25,208.25	12%	18%
पुदीना उत्पाद (3)	19,980	332,179.30	14,750	222,372.00	35%	49%
मसाला तेल व तैलीराल	8,670	131,286.33	7,265	130,438.28	19%	1%
कुल	699,170	1117,116.48	575,270	978,342.48	22%	14%
मूल्य दशलक्ष यू एस डोलरों में		2040.18		2,037.76		

(1) में सरसों, सौंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।

(2) में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।

(3) में पुदीना तेल, मेंथा और मेंथा क्रिस्टल शामिल हैं।

स्रोत: सीमा शुल्क, डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता से प्राप्त डी एल ई, निर्यातकों की विवरणी, प्रादेशिक कार्यालयों की रिपोर्ट आदि पर आधारित अनुमान।





तालिका-IX

लक्ष्य की तुलना में 2012-13 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

(मात्रा: मी. ट. में, मूल्य: ₹ लाख में)

मद	2012-13 के लिए लक्ष्य		2012-13 के दौरान निर्यात		लक्ष्य की % प्राप्ति	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कालीमिर्च	20,000	50,000.00	16,000	67,256.57	80%	135%
इलायची (छोटी)	3,000	22,500.00	2,250	18,505.92	75%	82%
इलायची (बड़ी)	1,000	7,000.00	1,100	7,366.19	110%	105%
मिर्च	240,000	180,000.00	281,000	226,144.00	117%	126%
अदरक	18,000	14,400.00	19,850	16,863.10	110%	117%
हल्दी	70,000	38,500.00	80,050	53,985.40	114%	140%
धनिया	35,000	19,250.00	37,100	21,076.90	106%	109%
जीरा	45,000	60,750.00	79,900	109,317.60	178%	180%
सेलरी	4,000	2,400.00	4,800	3,055.15	120%	127%
बड़ी सोंफ	7,000	5,600.00	14,575	11,402.04	208%	204%
मेथी	20,000	7,000.00	31,100	10,835.74	156%	155%
अन्य बीज (1)	15,000	7,050.00	18,600	11,612.10	124%	165%
लहसुन	10,000	4,000.00	24,000	7,449.21	240%	186%
जायफल व मेस	3,500	21,000.00	3,645	26,095.06	104%	124%
अन्य मसाले (2)	35,000	28,000.00	37,550	32,849.95	107%	117%
करी पाउडर / मिश्रण	18,000	23,400.00	19,000	29,835.93	106%	128%
पुदीना उत्पाद (3)	14,500	217,500.00	19,980	332,179.30	138%	153%
मसाले तेल व तैलीराल	7,000	112,000.00	8,670	131,286.33	124%	117%
कुल	566,000	820,350.00	699,170	1117,116.48	124%	136%
मूल्य दशलक्ष यू एस डोलरों में		1650.00		2040.18		124%

(1) में सरसों, सोंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।

(2) में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।

(3) में पुदीना तेल, मेंथा व मेंथा क्रिस्टल शामिल हैं।

स्रोत: सीमा शुल्क, डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता से प्राप्त डी एल ई, निर्यातकों की विवरणी, प्रादेशिक कार्यालयों की रिपोर्ट आदि पर आधारित अनुमान।





7. प्रचार एवं संवर्धन

बोर्ड के प्रचार एवं संवर्धन कार्यक्रम संगठन के विभिन्न क्रियाकलापों से जुड़ी संगत बातों के प्रचार-प्रसार के ज़रिए उन्हें अपने लाभार्थियों तक सम्यक रूप से पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करने तक केन्द्रित रहें। नियमित उन्नयन क्रियाकलापों के साथ-साथ वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और संगति सहित देश की छवि बनाने के अभूतपूर्व कदम उठाए। मसालों के वैश्विक गुणवत्ता-मानकों की वर्तमान असमताओं को दूर करने के लिए कोडेक्स एलेमेंटारिएस कमीशन, रोम के साथ नए प्रस्ताव, वैश्विक पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाते हुए कृषकों को व्यापार और वाणिज्य की मुख्य धारा के साथ जोड़ना आदि इस साल की मुख्य उपलब्धियाँ थीं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता, बड़ी तादाद में लोगों को अवगत कराना और क्षेत्र प्रचार अभियान, दृश्य-श्रव्य सामग्रियों की तैयारी; पत्रिकाओं, पुस्तकों और साहित्य का मुद्रण व प्रकाशन आदि 2012-13 के दौरान के विशिष्ट मुद्दे रहे। प्रचार एवं संवर्धन से बढ़कर ये क्रियाकलाप अनुसंधान, विकास और विपणन सहित बोर्ड के विभिन्न क्रियाकलापों को समर्थन देने के लिए बनाए गए थे।

कोडेक्स एलेमेंटारिएस कमीशन, रोम में पहल

जुलाई 2012 में रोम में आयोजित कोडेक्स एलेमेंटारिएस कमीशन के 35 वें वार्षिक 'भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण' सत्र के दौरान बोर्ड ने राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केन्द्र (एफ एस एस ए आई) के माध्यम से भारत की ओर से "मसालों, सगंध शाकों और उनके संरूपों पर कोडेक्स समिति" की स्थापना का एक प्रस्ताव रखा। बोर्ड ने मसालों, सगंध शाकों तथा उनके संरूपों पर एक पूर्ण-समिति स्थापित करने का प्रस्ताव कोडेक्स एलेमेंटारिएस कमीशन, रोम के आगे रखा जिसपर चर्चा हेतु विचार किया जा रहा है। यह कोडेक्स के अधीन दुनिया भर के मसालों के भौतिक गुणवत्ता मानकों में समरूपता लाने के लिए है। भारतीय शिष्टमंडल ने यह नोट किया कि इन उत्पादों के वैश्विक उत्पादन और व्यापार बढ़ रहे हैं; मसालों के प्रमुख उत्पादक विकासशील देश हैं: (विश्व-उत्पादन का 96 प्रतिशत विकासशील देशों द्वारा किया जाता है); और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में समरूपता के अभाव में इन देशों को आयात-मानकों के अनुपालन में बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। अवधि के दौरान, कई देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, फिर भी, इस पर विचार करने के लिए स्वभावतः अधिक वक्त की मांग की। निष्कर्ष के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड ने कमीशन के आगे चर्चा हेतु इस प्रस्ताव के आने के पहले छः प्रादेशिक समितियों द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक डिस्कशन-पेपर तैयार किया। बोर्ड ने विभिन्न स्थानों, नामतः -(1) उत्तर अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी पेसिफिक क्षेत्र (सी सी एन ए एस डब्ल्यू पी) के लिए 19-22 सितंबर 2012 के दौरान मडॅग (पापुआ न्यू गिनी), (2) यूरोपीय क्षेत्र (सी सी ई यू आर ओ) के लिए 25-28 सितंबर 2012 को बातुमी (जॉर्जिया), (3) एशियाई क्षेत्र (सी सी ए एस आई ए) के लिए 5-9 नवंबर 2012 के दौरान टोक्यो (जापान), लैटिन अमेरिका क्षेत्र (सी सी एल ए सी) के लिए 19-23 जनवरी 2013 के दौरान सान जोस, कोस्टारिका; (5) नीयर ईस्ट क्षेत्र (सी सी एन ई ए) के लिए 21-25 जनवरी 2013 के दौरान बेइरूट (लेबनॉन); और (6) अफ्रीका क्षेत्र (सी सी अफ्रीका) के लिए 29 जनवरी - 1 फरवरी 2013 के दौरान याउंडे (कैमरून) में आयोजित छः प्रादेशिक समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त किया। इन छः प्रदेशों में से प्रत्येक ने भारत के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और कई निरीक्षण किए। आगे, यद्यपि अधिकांश सदस्यों की ओर से खूब समर्थन मिल गया था, फिर भी 27 देश इस प्रस्ताव के उतने अनुकूल नहीं थे। कोडेक्स कमीशन का 36 वाँ वार्षिक सत्र (1-5 जुलाई 2013, रोम, इटली) इस प्रस्ताव पर विचार करेगा।





कोडेक्स समिति के खाद्य स्वास्थ्यकर संबंधी इलेक्ट्रॉनिकी कार्य दल (सी सी टी एच) की सह-अध्यक्षता करने हेतु भारत का नामांकन किया गया। सह-अध्यक्ष के रूप में स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारी मनोनीत किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी

प्रमुख विपणि उन्नयन कार्य होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी क्रियाकलापों का मुख्य घटक रही। बोर्ड ने दुनिया भर के 20 अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया। ऐसी भागीदारी के लिए मेलों का चयन व्यापार एवं निर्यातक संघों के साथ परामर्श करके किया गया था। इन घटनाओं का चयन विपणि क्षेत्र की संभावना के मद्देनजर उनकी महत्ता के आधार पर किया गया। प्रतिभागिता में निर्यातकों को प्राथमिकता दी गई और प्रमुख प्रदर्शनियों में स्पाइसेस बोर्ड की बैनर के अधीन अपने स्वतंत्र उन्नयन कार्य करने के लिए उन्हें अलग अलग स्लॉट दिया गया। इन प्रदर्शनियों की पावलियनों तथा स्टैंडों ने निर्यातकों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का बेहतर मौका प्रदान किया। इसने व्यापारी लोगों के साथ और बड़ी संख्या में सामान्य लोगों के साथ आपसी चर्चा के लिए मंच भी प्रदान किया। इन स्टैंडों का उद्देश्य रेखीय एवं सचित्र प्रस्तुतीकरणों के साथ मसाला उत्पादों के नमूनों के प्रदर्शन के ज़रिए भारतीय मसालों की संपूर्ण क्षमता और प्रामाणिकता को दोहराने के अलावा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मसाला उद्योग की चुनौतियों को सामना करने हेतु वर्षों से समाई गई क्षमताओं को उजागर करके दिखाना भी था। इन मेलों के लिए प्रतिनियुक्त बोर्ड के अधिकारियों ने दर्शकों के साथ बातें और चर्चा कीं। विभिन्न मेलों में प्राप्त भिन्न भिन्न मसालों, शाकों तथा उत्पादों सहित संरूपों से संबंधित व्यापार पूछताछें आगे अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निर्यातकों को वितरित की गईं।

बोर्ड ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभागिता की:

क्र. सं.	मेले का नाम	स्थान/देश	अवधि
1	अल्जीरिया इंटरनेशनल फेयर	अल्जीरिया	30 मई - 5 जून 2012
2	एलेमेंटक	बोगोटा, कोलम्बिया	19-23 जून 2012
3	आईएफटी 2012	लास वेगास, यू एस ए	25-28 जून 2012
4	सियाल 2012	ब्राज़ील	25-28 जून 2012
5	अफ्रीकास बिग सेवेन	जोहन्नास बर्ग, दक्षिण अफ्रीका	15-17 जुलाई 2012
6	इंडिया शो	कोलंबो, श्रीलंका	3-5 अगस्त 2012
7	मेड इन इंडिया शो	कीव, उक्रेन	5-9 सितंबर 2012
8	फाइन फूड	मेलबर्न, आस्ट्रेलिया	10-13 सितंबर 2012
9	फूड इंफ़ोइंडस्ट्री	साओ पोलो, साउथ अमेरिका	18-20 सितंबर 2012
10	फेरिया गैस्ट्रोनोमिका	बोगोटा, कोलम्बिया	19-23 सितंबर 2012
11	फ्रूट ट्रेड	सैंटियागो, चिली	8-9 अक्टूबर 2012
12	सियाल	पैरिस, फ्रांस	21-25 अक्टूबर 2012





क्र. सं.	मेले का नाम	स्थान/देश	अवधि
13	गोरमेट फूड & वाइन एक्सपो	टोरेंटो, कनाडा	15-18 नवंबर 2012
14	इंडिया एक्सपो	कराची, पाकिस्तान	21-23 दिसंबर 2012
15	इंडिया शो	ढाका, बंगलादेश	3-5 दिसंबर 2012
16	बयोफाक	न्यूरमबर्ग, जर्मनी	13-16 फरवरी 2013
17	एड्डिस चेम्बर इंटरनैशनल ट्रेड फेयर	एड्डिस एबाबा, एथियोपिया	21-27 फरवरी 2013
18	गल्फूड	दुबई, यूएई	25-28 फरवरी 2013
19	सेंट्रल ऐशिया एक्सिबिशन	अल्माटी, खज़ाकस्तान	1-4 मार्च 2013
20	एक्सोकोमेर, पानमा	पानमा सिटि, पानमा	17-20 मार्च 2013

उपरोक्त 20 अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता के अलावा बोर्ड ने भारतीय मसालों के प्रति जनता को अवगत बनाने के लिए लंदन ओलिंपिक्स के सिलसिले में 1-2 अगस्त 2012 के दौरान विशेष संवर्धन अभियान में भाग लिया।

घरेलू मेलों में भागीदारी

कृषकों, व्यापारियों और निर्यातकों सहित समाज के विभिन्न स्तरों तक पहुँचने के लिए बोर्ड देश के मुख्य मसाला उत्पादक क्षेत्रों तथा विपणन केन्द्रों में प्रदर्शनियाँ आयोजित करता आ रहा है। कृषकों, व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, वैज्ञानिकों तथा अन्य संगठनों के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ, जिन्होंने कार्य के सफलतापूर्वक रूपायन और निष्पादन में अपना योगदान दिया है, आपसी चर्चा में ये सहायक निकले हैं। बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्यातकों, मसाला कृषकों और कृषक दलों को इन मेलों में भाग लेने की इजाजत दी गई, इनमें से कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भी आकर्षित किया। इन मेलों की भागीदारी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पृष्ठतालों का फायदा उठाने में सहायक निकली थी और बोर्ड के क्रियाकलापों के बारे में अखिल भारतीय स्तर तक सामान्य जानकारी पैदा की गई। नए उत्पादन और प्रसंस्करण स्रोत पहचान लिए गए जो निर्यातकों को अपनी निर्यात अपेक्षाओं की पूर्ति में हितकर बन गए। सुदूर क्षेत्रों के मसाला-कृषक, निर्यातकों के साथ संपर्क में आने और व्यापार संबंध स्थापित करने में कामयाब हो गए।





बोर्ड ने निम्नलिखित भारतीय प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता की:

क्र. सं.	प्रदर्शनी का नाम	अवधि
1	ओरगानिक केरला - 2012, एरणाकुलम, केरल	29 अप्रैल - 1 मई 2012
2	एग्री इंटेक्स 2012, कोडिस्सिया ट्रेड फेयर, कोयंबतूर, तमिल नाडु	30 मई - 3 जून 2012
3	आहार इंटरनेशनल, चेन्नई, तमिलनाडु	23 - 25 अगस्त 2012
4	फूड इंग्रेडिएंट्स इंडिया 2012, मुंबई, महाराष्ट्र	05 - 07 सितंबर 2012
5	होर्टी एक्सपो, कण्णूर, केरल	21 - 25 सितंबर 2012
6	अन्नपूर्णा, मुंबई, महाराष्ट्र	26 - 28 सितंबर 2012
7	उपासी इंडस्ट्रियल एक्सिबिशन, कूनूर, तमिल नाडु	28 - 29 सितंबर 2012
8	कृषि यंत्र मेला, पुतूर, कर्नाटक	2 - 4 नवंबर 2012
9	भारत निर्माण अभियान, मंगन, सिक्किम	21 - 23 नवंबर 2012
10	एग्री एक्सपो, नागालैंड	15 - 17 नवंबर 2012
11	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, नई दिल्ली	14 - 27 नवंबर 2012
12	बायो-फाक 2012, बैंगलूर, कर्नाटक	20 नवंबर - 1 दिसंबर 2012
13	त्रावणकोर फेस्ट, नागंपडम, कोट्टयम, केरल	14 - 26 दिसंबर 2012
14	इंडिया आसियान बिजनेस फेयर, नई दिल्ली	18 - 20 दिसंबर 2012
15	एगो & इंडस्ट्रियल एक्सपो (पी सी के), तिरुवल्ला, केरल	20 - 30 दिसंबर 2012
16	एग्री & होर्टी एक्सपो 2013, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	07 - 10 जनवरी 2013
17	कृषि मेला, कलिंपोंग, पश्चिम बंगाल	12 - 16 जनवरी 2013
18	बाल शास्त्र मेला, त्रिवेन्द्रम, केरल	24 - 25 जनवरी 2013
19	एगो विशन, नागपुर, महाराष्ट्र	24 - 27 जनवरी 2013
20	इंडिया पैक, मुंबई, महाराष्ट्र	28 - 31 जनवरी 2013
21	इडुक्की फेस्ट, चेरुतोणी, इडुक्की, केरल	29 जनवरी - 3 फरवरी 2013
22	इंटरनेशनल होर्टी एक्सपो, भोपाल, मध्य प्रदेश	01 - 03 फरवरी 2013
23	इंटरनेशनल फ्लवर शो, गांतोक, सिक्किम	23 - 27 फरवरी 2013
24	होर्टी & फ्लवर शो, फोर्ट कोच्ची, केरल	23 - 28 फरवरी 2013
25	आहार इंटरनेशनल एग्री एक्सपो, नई दिल्ली	14 - 18 मार्च 2013





क्षेत्र प्रचार अभियान

नाशीजीवनाशियों के वर्द्धित अनुप्रयोग की बढ़ती आदत के कारण करीपत्ते के निर्यात की विकट स्थिति का केरल और तमिलनाडु के प्रमुख करी पत्ता उत्पादक क्षेत्रों में चलाए गए क्षेत्र प्रचार अभियान के ज़रिए समाधान किया गया। करी पत्ते का यह अभियान तमिलनाडु के कोयंबतूर जिले के मेट्टुपालयम, सेलम जिले के अत्तूर और डिंडिगल के मुख्य करीपत्ता उत्पादक गांवों में चलाया गया था। भाषणों, दृश्य माध्यमों तथा पाठकों को आकर्षित करने के लिए कहानी के रूप में बताए गए कृषि-कार्यों के ज़रिए सैकड़ों कृषकों को अवगत कराया गया।

जैव आंदोलन के विशेषज्ञों तथा तमिलनाडु कृषि विश्व विद्यालय के वैज्ञानिकों ने इन अभियानों में भाषण दिए। अभियान-बैठकों के तुरंत बाद, करीपत्ते के, खासकर निर्यात हेतु गुणवत्ता-संवर्द्धन की कार्य-योजना बनाने हेतु कृषक-निर्यातक बैठक आयोजित की गई। कृषकों को करी पत्ते के पौधों के नाशीजीवों व बीमारियों के नियंत्रण हेतु वानस्पतिक एवं अन्य जैव तत्वों के प्रयोग पर निर्भर करने की सलाह दी गई।

बोर्ड ने वर्ष के दौरान जायफल में एफ्लाटोक्सिन संबंधी मामलों पर क्षेत्र प्रचार अभियान जारी रखा। वैज्ञानिक तरीके से जायफल और मेस (जावित्री) के धूम रहित शुष्कन के लिए एक नया विद्युत-शुष्कक विकसित किया गया और कृषकों को शुष्कन-कार्य दिखाने के लिए एरणाकुलम जिले के करुकुट्टी पंचायत के कृषि-भवन में इस पर एक प्रस्तुतीकरण आयोजित किया गया।

प्रेस विज्ञप्तियाँ और संवर्द्धनात्मक लेख

अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रेस सम्मेलन और प्रेस विज्ञप्तियाँ आयोजित किए गए। मसाला निर्यात निष्पादन पर मासिक विवरण, विभिन्न कृषि क्षेत्रों में आयोजित अभियानों की सूचना, इलायची फसल पर नाशकजीवों का प्रकोप और बीमारियों की चेतावनी, इलायची-नीलाम संबंधी सूचना आदि अवधि के दौरान निकाले गए।

विज्ञापन

विभिन्न रिक्तियाँ, नौकरी के अवसर, वाक-इन-इंटरव्यू, निविदा अधिसूचना, बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के लिए सामग्रियों के समाकलन आदि के लिए अवधि के दौरान विज्ञापन निकाले गए।

पत्रिकाएँ

अवधि के दौरान विभिन्न मासिक एवं साप्ताहिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की गईं।

अ) कृषक-व्यापारोन्मुख प्रकाशन 'स्पाइस इण्डिया' (मासिक) का प्रकाशन पाँच भिन्न-भिन्न भाषाओं, नामतः अँग्रेज़ी, हिन्दी, मलयालम, कन्नड और तमिल में किया गया और इनके अंक समय पर निकाले गए। तेलुगु और नेपाली में यह पत्रिका तिमाही रूप में भी यथासमय नियमित रूप से निकाली गई। इन मासिक पत्रिकाओं की विषयवस्तु निम्नानुसार थी:

- अप्रैल - जोधपुर स्पाइसेस पार्क उद्घाटन
- मई - अनुरेखणीयता की जांच षोलयूर से शुरू





- जून - स्पाइसेस बोर्ड रजत जयंती
- जुलाई - तमिलनाडु में करी पत्ता अभियान
- अगस्त - तमिलनाडु और केरल में आई के एस एल टेलीनेट लॉन्चिंग
- सितंबर - तोदे - बड़ी इलायची का गंतव्य
- अक्तूबर - आंध्रप्रदेश के कृषकों के लिए आई के एस एल टेलीनेट
- नवंबर - आई आई एस आर - सी आर सी - अप्पंगला स्वर्ण जयंती
- दिसंबर - “दल्ले मिर्च”
- जनवरी 2013 - सुबने डाढ़ा : सुगंध का डाढ़ा
- फरवरी - केसर
- मार्च - बड़ी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

आ) फोरिन ट्रेड एंक्वयरीस बुलेटिन (पाक्षिक) : इसका प्रकाशन पाक्षिक तौर पर किया जाता है, और बोर्ड को विदेश की भारतीय मिशनों, भारत की विदेशी मिशनों, विदेश के व्यापार मेलों से सीधे और बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त व्यापार पूछताछों इसके माध्यम से निर्यात व्यापार के हितार्थ प्रकाशित की गईं।

इ) स्पाइसेस मार्केट (साप्ताहिक) : राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य संबंधी विवरण सहित ‘स्पाइसेस मार्केट’ हर हफ्ते प्रकाशित किया गया।

पुस्तक/पुस्तिकाएँ & ब्रोशर

तमिलनाडु में करी-पत्ता क्षेत्र प्रचार अभियान के दौरान इस्तेमाल करने के लिए करीपत्ते की वैज्ञानिक खेती और प्रसंस्करण कार्य को कहानी के रूप में शामिल करते हुए एक नई तमिल पुस्तक प्रकाशित की गई।

मसाला कृषकों के लिए टेलीमोबाइल नेटवर्क

बोर्ड ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोओपरेटिव के नियंत्रण के आई के एस एल (इफ्को किसान संचार लिमिटेड) के सहयोग से तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में चार स्पाइस टेलीमोबाइल समुदाय शुरू किए। मसाला कृषकों को पशु-पालन के अलावा मसाला कृषि प्रणाली, मौसम, मसालों के मूल्य और विपणि रुख के बारे में अपनी मोबाइल सेट में प्रतिदिन कम से कम पाँच वॉइस एस एम एस संदेश प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें आई के एस एल सिम कार्ड वितरित करते हुए नेटवर्क में जोड़ दिया गया।

ये वॉइस-मेसेज क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं और ये पूर्णतः निशुल्क हैं। इसने बोर्ड को दिन-ब-दिन कृषकों के साथ संपर्क रखने में कामयाब बनाया है।





एथनिक भारतीय पाक्य-प्रणालियों संबंधी परियोजना

वर्ष के दौरान, स्नातकोत्तर स्तर पर होम साइंस पढाए जाने वाली शैक्षिक संस्थाओं को शामिल करके एथनिक भारतीय पाक्य-प्रणालियों पर वर्तमान परियोजना का मूल्यांकन किया गया, मार्ग-रेखाएँ दी गईं और मानीटरिंग किया गया। इस परियोजना में क्षेत्र-विशेष पारंपरिक भारतीय पाक्य-प्रणालियों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण शामिल है। भारत की क्षेत्र-विशेष, परंपरागत एथनिक पाक्यप्रणालियों तथा खासियतों, लोकप्रिय पाक-विधियों और उनके मसाला मिश्रणों को पहचान लेना इसका लक्ष्य है। यह परियोजना रेस्तरां और सार्वजनिक भोजनालयों में बड़े पैमाने पर पाचन के लिए पारंपरिक पाचन-विधि में लाए गए रूपांतरण और संशोधन की खोज करती है। निम्नलिखित पाँच संस्थाओं ने यह परियोजना जारी रखी:

- (1) होम साइंस कॉलेज, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मदुरै, तमिलनाडु
- (2) पी एस जी कॉलेज ऑफ आर्ट्स & साइंस, कोयंबतूर, तमिलनाडु
- (3) एस वी यू कॉलेज ऑफ साइंसेस, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
- (4) आर एस एम डी आर्ट्स एण्ड कॉमेर्स कॉलेज, नागपुर, महाराष्ट्र
- (5) सेंट तेरेसास कॉलेज, एरणाकुलम, केरल

विश्व मसाला कांग्रेस

विषय-वस्तु का निर्णय, घटनाओं का रूपायन, वेबसाइट लॉन्चिंग आदि के साथ 12 वीं विश्व मसाला कांग्रेस के आयोजन का संघटनात्मक कार्य शुरू किया गया। विश्व मसाला कांग्रेस और प्रदर्शनी 16-19 फरवरी 2014 को आयोजित होने वाली हैं और इसकी विषय-वस्तु “सुस्थिरता & खाद्य सुरक्षा-वैश्विक पहल” होगी।

रेडियो टॉक और दूरदर्शन में कृषि-दर्शन कार्यक्रम

अवधि के दौरान आकाशवाणी में मसालों के विभिन्न पहलुओं पर रेडियो टॉक चलाए गए। दूरदर्शन के कृषि-दर्शन में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इलायची, जायफल और कालीमिर्च जैसे मसालों से संबंधित विवरण दिए गए।

पी.आर. ट्रेनिंग

बोर्ड ने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त युवा लोगों को पब्लिक रिलेशन में प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम शुरू किया। तीन पी.आर. प्रशिक्षार्थियों का चयन किया गया और उनको बोर्ड के क्रियाकलापों में अपनी भागीदारी का मौका देते हुए पब्लिक रिलेशन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

कोडेक्स सेल

मसालों तथा शाकों की गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए बोर्ड द्वारा की गई पहल और कोडेक्स के अधीन अन्य समुदायों के साथ अत्यधिक मेल मिलाप की दृष्टि से नए कार्य प्रस्तावों तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक संपूर्ण सेल स्थापित किया गया।

रजत जयंती समारोह

अवधि के दौरान, बोर्ड की रजत जयंती समारोह 29 मई 2012 को बोर्ड के सभी भूतपूर्व अध्यक्षों तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की भागीदारी के साथ सुचारू ढंग से मनाया गया।





8. गुणवत्ता सुधार

बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला 1989 में स्थापित हुई। 1997 में आई एस ओ 9001:2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अधीन यह प्रमाणित हो गई और 2009 में आई एस ओ 9001:2008 और 1999 में आई एस ओ 14000:2004 पर्यावरण-प्रबंधन प्रणाली के अधीन ब्रिटीश स्टैंडर्ड्स इस्टिब्लिशमेंट, यू.के. द्वारा इसका उन्नयन किया गया और राष्ट्रीय जाँच एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल), विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा आई एस ओ/आई ई सी : 17025 के तहत सितंबर 2004 में यह प्रयोगशाला प्रत्यायित है।

प्रयोगशाला ने भारतीय मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने और देश में उत्पादित और प्रसंस्कृत मसालों की गुणवत्ता की निगरानी का कार्य जारी रखा। यह स्पाइसेस बोर्ड के अनिवार्य निरीक्षण के तहत परेषणों के नमूनों का विश्लेषण भी करती है। इस प्रयोगशाला में मसालों एवं मसाले उत्पादों के नाशकजीवनाशी अवशिष्टों, एफ्लाटोक्सिन, भारी धातुओं और संदूषकों/अपमिश्रक/कृत्रिम रंजकों सहित विविध भौतिक, रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक पैरामीटरों के विश्लेषण की सुविधाएं हैं। विविध विश्लेषणों के लिए प्रयोगशाला द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत जाँच-विधियों का अनुसरण किया जाता है और जब कभी जरूरी हो, नए तरीकों का विधिमान्यकरण किया जाता है।

यह प्रयोगशाला आयातक राष्ट्रों की अपेक्षा के अनुसार विश्लेषण कार्य चलाने के लिए अद्यतन परिष्कृत उपकरणों से पूर्णतः सुसज्जित है। प्रयोगशाला में स्थापित आई एस ओ 9001: 2008 प्रणालियों के तहत सभी कार्यकलाप पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं और निरन्तर उनका उन्नयन भी किया जा रहा है और ऑन-लाइन परिणाम सुपुर्दगी के निर्णय भी लिए गए हैं।

प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान अभिकरण (एफ ई आर ए), यू.के. द्वारा खाद्य विश्लेषण प्रवीणता निर्धारण योजना (एफ ए पी ए एस) एवं खाद्य परीक्षण प्रवीणता निर्धारण योजना (एफ ई पी ए एस), अमरीकी मसाला व्यापार संघ (ए एस टी ए), यू एस ए, अन्तर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आई पी सी), जकार्ता जैसे राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा आयोजित जाँच नमूने/विधिमान्यकरण कार्यक्रमों एवं एन ए बी एल द्वारा प्रत्यायित भारत की प्रयोगशालाओं आदि द्वारा आयोजित प्रवीणता जाँच कार्यक्रमों में नियमित रूप में भाग लेती है।

यह प्रयोगशाला प्रमुख आयातक राष्ट्रों की प्रयोगशालाओं तथा मसालों/मसाले उत्पादों का विश्लेषण करने वाली भारत की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर प्रमुख पैरामीटरों (जैसे एफ्लाटोक्सिन, सुडान डाई I-IV एवं नाशकजीवनाशी अवशेष) के लिए नियमित अन्तः प्रयोगशाला जाँच नमूना कार्यक्रम भी चलाती है। यह विविध पैरामीटरों के लिए सभी स्पाइसेस बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के साथ अन्तःप्रयोगशाला जाँच नमूना कार्यक्रम भी आयोजित करती है। प्रयोगशाला के सभी तकनीकी कार्मिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमानों के बराबर अपनी विश्लेषण-कुशलता को अद्यतन बनाने हेतु सेंट्रल साइन्स लैबोरेटरी, यू.के., जापान फूड रिसर्च लैबोरेटरी, जापान, सेर्टिफाइड एनलिटिकल लैबोरेटरीस इनकोरपोरेट्स, यू एस ए, सी एफ टी आर आई, मैसूर जैसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में सावधि तौर पर प्रशिक्षित हैं।

विश्लेषणात्मक सेवाएं

प्रयोगशाला ने मिर्च, मिर्च उत्पादों, हल्दी पाउडर और मिर्चवाले अन्य खाद्य उत्पादों के परेषणों के अनिवार्य नमूनन के अधीन सुडान डाई I-IV एवं एफ्लाटोक्सिन की मौजूदगी के लिए मिर्च एवं मिर्च उत्पादों का विश्लेषण जारी रखा।





सनसेट येलो के लिए चीनी लेपित बडी सौंफ बीजों का विश्लेषण, यूरोपीय यूनियन को भेजनेवाले परेषणों में प्रोफेनोफोस, ट्रियसोफोस और एन्डोसल्फान के लिए करी पत्ते की जाँच, जापान को भेजने वाले जीरे और मिर्च परेषणों का प्रोफेनोफोस, ट्रियसोफोस, एथियॉन और इप्रोबेनफोस जैसे नाशकजीवनाशियों के लिए विश्लेषण आदि को भी बोर्ड के अनिवार्य विश्लेषण के अधीन लाया गया।

प्रयोगशाला द्वारा पैरा रेड, रोडामिन बी एवं बटर येलो, सुडान रेड 7 बी, सुडान ओरेंज जी जैसे अन्य गैर कानूनी रंजकों के विश्लेषण के लिए विश्लेषणात्मक सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रयोगशाला ने ओखराटोक्सिन के लिए भी अपनी विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान की।

अवधि के दौरान प्रयोगशाला ने मिर्च व मिर्च उत्पादों में नाशीजीवनाशी अवशेषों, एफ्लाटोक्सिन, गैर कानूनी रंजकों आदि सहित विभिन्न पैरामीटरों के लिए 82,731 नमूनों का विश्लेषण किया और ₹9,60,21,363 का विश्लेषणात्मक राजस्व अर्जित किया। पिछले वर्ष की तुलना में अवधि के दौरान नमूनों की संख्या में 11,274 (15.8 प्रतिशत) और विश्लेषणात्मक चार्ज के तौर पर ₹1,43,51,991/- (17.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

निर्यातकों को शीघ्र विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करने के भाग के रूप में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा चेन्नई, गुण्टूर, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, तूतिकोरिन एवं काण्डला जैसे मुख्य उत्पादन/निर्यात केन्द्रों में प्रादेशिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। मुंबई, गुण्टूर और चेन्नई की प्रयोगशालाएँ अब पूर्ण रूप से प्रवृत्त हैं और दिल्ली की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

प्रयोगशाला के कार्मिकों की तकनीकी क्षमताएं बढ़ाने के भाग के रूप में, अवधि के दौरान प्रयोगशाला स्टाफ ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लिया:

1. सी आई आई द्वारा 4-5 अप्रैल, 2012 को आयोजित “फस्ट कॉनक्लेव फॉर लबोरटरीज़” पर प्रशिक्षण
2. बैंगलूर में 20-21 अप्रैल, 2012 के दौरान ‘मेशमेंट ऑफ अनसेटेडइन्टि’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. चेन्नई में 26 अप्रैल 2012 को “एफ एस एस ए आई रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स’ पर कार्यशाला
4. सी ई ई, बैंगलूर में 11-12 मई 2012 को “मेशमेंट अनसेटेडइन्टि इन टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन” पर प्रशिक्षण
5. एन आई एफ टी ई एम, हरियाणा में 24-25 मई 2012 को ‘डोक्युमेन्टेशन फॉर लबोरटरी क्वालिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम एस पेर आई एस ओ/आई ई सी 17025:2005” पर प्रशिक्षण
6. सी ई टी ई, बैंगलूर में 13-14 अगस्त 2012 को मेशमेंट अनसेटेडइन्टि इन टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लबोरटरीज़” पर प्रशिक्षण
7. आई पी सी और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से 3-9 सितंबर 2012 के दौरान आयोजित “एनालिसिस ऑफ ब्लैक पेप्पर” प्रशिक्षण कार्यक्रम
8. 12 सितंबर 2012 को ‘की परफॉर्मन्स इन्डेक्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम एण्ड एनवयरोंमेंट





9. स्पाइसेस बोर्ड, सी आई आई - एफ ए सी ई & यू एफ एफ डी ए द्वारा संयुक्त रूप से 17-21 सितंबर 2012 के दौरान आयोजित 'यू एस एफ डी ए ट्रेनिंग ऑन सप्लाइ चेइन मैनेजमेन्ट ऑफ स्पाइसेस एण्ड बोटानिकल्स'
10. स्पिनको एनलिटिकल द्वारा 19 नवंबर, 2012 को चेन्नई में आयोजित 'फ्रॉन्टियर्स ऑन एम एस टेकनॉलजी & इमर्जिंग एप्लिकेशन्स' कार्यशाला
11. कोचिन में 26-27 जनवरी, 2013 को 'एस्टिमेशन ऑफ अनसेटेंटि इन केमिकल क्लिनिकल मेशमेंट्स' पर प्रशिक्षण
12. आई आई टी, खरगपुर में 18 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक 'फूड प्रोफेशनल कोर्स'
13. अप्रैल-दिसंबर 2012 के दौरान विभिन्न बैचों में आउट बाउण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम

मसालों एवं मसाले उत्पादों के विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

2012-13 के दौरान 'पढ़ाई के दौरान कमाई' कार्यक्रम के अधीन कोच्ची के आसपास के विभिन्न कॉलेजों से 'कैंपस इन्टरव्यू' के ज़रिए 21 छात्रों को चुन लिया गया और प्रयोगशाला, कोच्ची में विभिन्न पैरामीटरों के लिए मसालों तथा मसाले उत्पादों का विश्लेषण करने हेतु प्रशिक्षणार्थी विश्लेषकों के रूप में काम करने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया गया। मुंबई, गुण्टूर, चेन्नई एवं दिल्ली की प्रयोगशालाओं के लिए आसपास के विविध कॉलेजों के 35 छात्रों को भी चुन लिया गया और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद प्रशिक्षणार्थी विश्लेषकों के रूप में कार्यरत किया गया। इन प्रशिक्षित एवं अनुभवी उम्मीदवारों को प्रयोगशाला में दो वर्ष की अपनी सेवा की अवधि के उपरान्त मसाला उद्योग से जुड़ी प्रयोगशाला में तकनीकी स्टाफ के रूप में काम करने के लिए मसाला उद्योग/मसाला जाँच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया गया।

मसाला उद्योग के तकनीकी कार्मिक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2012-13 के दौरान, प्रयोगशाला ने 'मसालों एवं मसाले उत्पादों' के भौतिक, रासायनिक, अवशेषात्मक तथा सूक्ष्मजैविक पैरामीटरों के विश्लेषण के लिए सात बैचों में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। विविध मसाले उद्योगों/अन्य संस्थाओं से 46 तकनीकी कार्मिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और प्रशिक्षण शुल्क के रूप में ₹3,79,215/- का राजस्व समाहरित किया गया जिसमें पिछले साल की तुलना में भागीदारों (28) की संख्या और राजस्व में ₹2,30,301/- की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

मसाले/मसाले उत्पादों के लिए गुणवत्ता मामले, विनिर्देशन के सूत्रीकरण आदि से जुड़ी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रयोगशाला सक्रिय रूप से भाग लेती है। वर्ष 2012-13 के दौरान, प्रयोगशाला के अधिकारियों ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की:-

- प्रमुख उत्पाद के लिए शर्तों के निर्धारण और स्पाइसेस बोर्ड की सिफारिश पर चर्चा हेतु डी जी एफ टी, उद्योग भवन, नई दिल्ली में डी जी एफ टी ए एल सी एन सी 4 बैठक
- बी आई एस द्वारा कोचिन में आयोजित 'फूड सेफ्टी एण्ड रोठ ऑफ स्टैन्डर्ड्स'
- आई पी सी मानक और जी एम पी दस्तावेज तैयार करने के लिए 4-5 जून 2012 को आई पी सी जकार्ता, इन्दोनेशिया में कार्यशाला





- विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा 14 जून 2012 को फरीदाबाद में आयोजित मसालों के लिए अगमार्क मानक समिति की बैठक
- अप्रैल 2012 को चीन में संपन्न सी सी पी आर के 44 वें सत्र पर भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 17 जुलाई 2012 को कृषि भवन, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (पी पी) के साथ बैठक
- 30-31 जुलाई 2012 को नई दिल्ली में जे एच ए द्वारा 'जापनीस हेल्थ एथोरिटी टीम' के साथ बैठक
- 2 अगस्त, 2012 को स्पाइसेस बोर्ड, कोचिन में 'जापानी मसाला परेषणों का निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण' और माइक्रोटोक्सिन और अवैध रंजकों से जुड़े मामलों पर चर्चा
- विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा 7 अगस्त को फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित 'ग्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग रूल्स ऑफ स्पाइसेस अगमार्क' पर बैठक
- 14 अगस्त 2012 को आई टी पी ओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित मिलान एक्सपो 2015 पर स्टीयरिंग समिति-बैठक
- कोडेक्स द्वारा बतुमी, जॉर्जिया में 25-27 अगस्त 2012 के दौरान आयोजित 'कोडेक्स - सी सी ई यू आर ओ की प्रादेशिक समिति-बैठक'
- स्पाइसेस बोर्ड और बी आई एस, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से 3-5 दिसंबर 2012 के दौरान आयोजित आई एस ओ टी सी -34/ एस सी - 7 फॉर स्पाइसेस एण्ड कुलिनरी हर्ब्स संबन्धी बैठक
- 24 अगस्त और 10 दिसंबर 2012 को नई दिल्ली में 'जी एस आई इण्डिया से जुड़े क्रिया-कलाप बैठक
- 19 दिसंबर, 2012 को डी जी एफ टी, निर्यात भवन, नई दिल्ली में वियतनामी बीजीनस शिष्टमण्डल के साथ बैठक और मसालों के निर्यात और आयात पर चर्चा
- 11 मार्च 2013 को कोडेक्स और अन्य श्रेष्ठ कार्यों के साथ भारतीय खाद्य मानकों का तेलमेल

आई एस ओ प्रणाली से जुड़े कार्यकलाप

एन ए बी एल 17025 : 2005 प्रणाली के अधीन गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची की डेस्कटॉप निगरानी लेखा परीक्षा चलाई गई और मानकों का अनुपालन पाया गया और अगली लेखा परीक्षा सितंबर 2013 को निर्धारित की गई है। ब्रिटीश मानक संस्थान द्वारा क्रमशः गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली और पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली के अधीन आई एस ओ 9001:2008 और आई एस ओ 14001:2001 लेखा परीक्षा चलाई गई और एक गौण अननुरूपता पाई गई जिसकी उचित संशोधन और निवारण कार्य से पूर्ति की गई। बी एस आई द्वारा अगली बाहरी लेखा-परीक्षा मई 2013 में अनुसूचित है।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुम्बई फरवरी 2012 से आई एस ओ 17025:2005 के अधीन प्रत्यायित है। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला मुम्बई की पहली निगरानी लेखा परीक्षा 22-23 दिसंबर 2012 को चलाई गई और लेखा परीक्षकों ने सात अननुरूपता उठाई। प्रस्तुत किए गए संशोधन कार्यों के अनुसार सभी अननुरूपताओं की पूर्ति की गई और एन ए बी एल ने निरन्तर प्रत्यायन की पुष्टि की।





गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, गुण्टूर फरवरी 2013 से आई एस ओ 17025:2005 के अधीन प्रत्यायित है। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने मार्च 2013 को एन ए बी एल प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है और पूर्व-मूल्यांकन की प्रतीक्षा में हैं। अध्यक्ष ने 9 जुलाई 2012 को आई एस ओ प्रणालियों के कार्यान्वयन और अनुरक्षण सहित प्रयोगशाला से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए एक विभागीय बैठक बुलाई।

ए एस टी ए जाँच नमूना कार्यक्रम

प्रयोगशाला 'अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन' द्वारा चलाए जा रहे (ए एस टी ए) जाँच नमूना कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग ले रही है। वर्ष के दौरान कोच्ची, मुम्बई, गुण्टूर और चेन्नई की प्रयोगशालाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इन सभी प्रयोगशालाओं ने पीसे कैप्सेइसीन व पिपेरिन में रंगमूल्य, कैप्सेइसीन व जलसक्रियता तथा पीसी (काली) कालीमिर्च में पिपेरिन, आर्द्रता, वाष्पशील तेल एवं जल सक्रियता के चार सेट जाँच नमूना कार्यक्रमों में भी भाग लिया। विश्लेषण के लिए सभी सेट नमूने प्राप्त हुए थे और प्रयोगशाला द्वारा निकाले गए सभी परिणाम मंजूर स्तरों के अन्तर्गत ही पाए गए। अगले वर्ष के दौरान दिल्ली और तूतिकोरिन प्रयोगशालाओं को इस कार्यक्रम के अधीन लाने का भी निर्णय लिया गया।

स्पाइसेस बोर्ड जाँच नमूना/प्रवीणता जाँच कार्यक्रम

अंतर प्रयोगशाला जाँच नमूना कार्यक्रम के अधीन गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला ने विविध भौतिक, रासायनिक, अवशेष व सूक्ष्मजैविकीय पैरामीटरों के लिए तीन कार्यक्रम चलाए और प्राप्त परिणाम सीमाओं के बिल्कुल अंदर, याने कि ज़ेड-स्कोर ± 2 , है।

एफ ए पी ए एस, एफ ई पी ए एस, आई पी सी, ए एस टी ए जैसे विभिन्न अभिकरणों द्वारा चलाए गए प्रवीणता जाँच कार्यक्रम के अधीन गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालों (कोच्ची, मुम्बई, गुण्टूर और चेन्नई) ने जर्मनी की प्रयोगशाला के साथ गुणवत्ता नियंत्रण जाँच/पुष्टीकरण सहित अप्रैल 2012-मार्च 2013 के दौरान कई दौर के 112 पैरामीटरों सहित विभिन्न दक्षता जाँच कार्यक्रमों में भाग लिया।

आई एस ओ मानकों के साथ भारतीय मानकों का तालमेल

भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस), एफ एस एस ए आई तथा आई एस ओ सचिवालय के सहयोग से चलाए जाने वाले आई एस ओ मानक एफ एस एस ए आई के साथ भारतीय मानकों के समरूपण में भाग लिया। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/अभिकरणों द्वारा जब कभी पूछे गए हो, विनिर्देशों/गुणवत्ता मामलों से संबन्धित विविध दस्तावेजों पर बी आई एस, पी एफ ए, आई एस ओ, आई पी सी तथा कोडेक्स को टिप्पणियाँ/सुझाव उपलब्ध कराए गए।





9. निर्यातोन्मुख अनुसन्धान

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, स्पाइसेस बोर्ड उपजातियों के सुधार, जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, एकीकृत पोषक तत्व, कीट और रोग प्रबंधन और इलायची (छोटी और बड़ी) के वैज्ञानिक फसलोत्तर तकनीक पर अनुसंधान कार्यक्रम कर रहा है। छोटी इलायची कृषि कार्यों के मशीनीकरण और इलायची के लिए जैविक पैकेज के विकास पर कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। परिकल्पित विस्तार गतिविधियों में, समन्वित नाशीजीव प्रबंधन पर सलाहकार सेवा, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक सिफारिशें, स्पाइस क्लिनिक, मसाले उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण, जैव एजेंटों के उत्पादन और आपूर्ति और अच्छे कृषि कार्यों (जी ए पी) पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन शामिल हैं।

छोटी इलायची

आई सी आर आई प्रादेशिक स्टेशन सकलेशपुर, कर्नाटक में विकसित उच्च उपजवाली इलायची किस्म एस के पी-170 विकसित की गई। इलायची में उपजाति सुधार कार्यक्रम के भाग के रूप में 100 इलायची प्राप्तियों के साथ एक प्राथमिक मूल्यांकन प्रशिक्षण (पी ई टी) की पहल और उपज व वृद्धि के लिए सहायक गुणों पर विवरण इकट्ठे किए गए। संस्था में बनाए रखे राष्ट्रीय इलायची आनुवंशिक संसाधन भंडार 800 छोटी इलायची प्राप्तियों और 12 संबन्ध वंशों का संरक्षण करता है।

आणविक मार्कर का उपयोग करते हुए इलायची में जेनेटिक विविधता के अध्ययन किए गए। छोटी इलायची के आणविक गुणों को रेखांकित करने का कार्य किया गया और 55 प्राप्तियों के गुणों का रेखांकन पूरा किया गया। बड़ी इलायची में प्रवर्धन के लिए अमोमम, जिंजिबर प्रजातियों के एम आर एन ए अनुक्रमों से प्राप्त एस एस आर प्राइमरों का विश्लेषण किया गया।

इलायची की व्यापक तौर पर खेती की उच्च उपज वाली किस्मों में 150:150:300 कि.ग्रा./हे. के खाद स्तर के अधीन इलायची की सुस्थिर उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। मल्टी के एवं मोनोअमोनियम फोस्फेट जैसे महंगे और शीघ्र जल विलेय उर्वरकों के स्थान पर यूरिया, डी ए पी, फाक्टमफोस और म्यूरेट ऑफ पोटाश जैसे आम तौर पर उपलब्ध उर्वरकों के फर्टिगेशन से उत्पादन लागत कम हो गया और टिकाऊ उपज प्राप्त हुई। मृदा उर्वरता प्रबंधन परियोजना के अधीन मृदा नमूनों (2345) का विश्लेषण किया गया और इडुक्की जिले के छोटी इलायची बढ़नेवाले क्षेत्रों में चूना डालने और जिंक व बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषकों के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें जारी की गईं। इलायची के ऑइल प्रोफाइलिंग के भाग के रूप में, वाष्पशील तेल व तैलीराल तत्व के विश्लेषण के लिए इलायची बढ़ाए जाने क्षेत्रों के ए, बी और सी प्रदेशों से संबन्धित आठ स्थानों से 24 नमूनों को एकत्रित किया गया और अध्ययन जारी है। प्राथमिक परिणाम यही सूचित करता है कि इलायची बढ़ानेवाले क्षेत्र के प्रदेश बी और सी की तुलना में प्रदेश ए से संबन्धित इलायची नमूनों में तेल तत्व अधिक है। नाशीजीवनाशी अवशेष विश्लेषण के लिए विभिन्न इलायची बढ़ाए जाने वाले क्षेत्रों से फार्म गेट स्तर पर इलायची नमूने (80) इकट्ठे किए गए। मशीनीकरण के संबंध में, गड्डे खोदने, घास कटर, फर्टिगेशन प्रयोगों और इलायची धुलाई मशीन की जांच की गई।

इडुक्की जिले के इलायची बागानों में रोग निगरानी कार्य चलाया गया। रोग निगरानी अध्ययन के लिए चुने गए विभिन्न स्थानों में इलायची में चेंतल रोग की घटना जानवरी 2013 से गंभीर पाई गई। कॉयर पिथ से पादप मूल का पलवार बिछाने से मूल परिवेषी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। अन्तःकतारों की अपेक्षा कॉयर पिथ से पूरी तरह पतवार बिछाए गए स्थानों में सूक्ष्म जीवों की





आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई। इन-विट्रो अध्ययनों से पता चला है कि काजू शेल का द्रव (तीन प्रतिशत) कोलेटोट्राइकम का बेहतर अवरोध करता है जब कि फ्यूजेरियम के मामले में अवरोध बहुत कम है। इलायची के संपुट सड़न और राइज़ोम सड़न रोगों के नियंत्रण के लिए फोसेटाइल अल 80 डब्ल्यू पी (2.6 मि.ली./लीटर व 3.0 मि.ली./लीटर) का प्रयोग प्रभावशाली पाया गया है। डिमेथोमोर्फ 50 डब्ल्यू पी (0.2 प्रतिशत), टेबुकोनाज़ोल 25.9 ई सी (0.2 प्रतिशत), पोटैशियम फोस्फोनेट (0.3 प्रतिशत), फोसेटाइल अल 80 डब्ल्यू पी (0.2 प्रतिशत) और कॉप्पर ऑक्सी क्लोराइड (0.2 प्रतिशत) जैसी कवकनाशियाँ इलायची के संपुट सड़न और राइज़ोम सड़न रोगों के नियंत्रण के लिए असरदार पाई गई हैं। 32 स्थानों में फैले जंगली निवास स्थानों (जंगलों) सहित बागानों में किए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप 74 मृदा नमूने संगृहीत किए गए। दो सौ पचास जीवाणु विरोधी एकत्रित किए गए और सड़न रोग जनक, पैथियम वेक्सॉस के खिलाफ जांच की और कुछ उत्तम आइसोलेटों को आगे के अध्ययन के लिए चयनित सूची में रखा गया।

सलाहकार सेवाओं के भाग के रूप में, इलायची मृदा के 1010 नमूनों का विश्लेषण किया गया और चूना डालने और जिंक व बोरॉन जैसे स्थूल व सूक्ष्म पोषकों के प्रयोग के लिए किसानों को सिफारिश की गई। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जैसे जैव-अभिकारकों का वाणिज्यिक तौर पर व्यापक गुणन किया गया और जरूरतमंद किसानों को ट्राइकोडर्मा (5968 किलोग्राम और 1175 लीटर) तथा स्यूडोमोनास (3634 किलोग्राम और 8420 लीटर) की आपूर्ति की गई। ई पी एन से ग्रसित कुल 1,67,822 कडावरो को उत्पादित किया गया और इलायची में मूल भृंगक के प्रबंधन के लिए किसानों को वितरित किया गया। विभागीय पौधशालाओं और किसानों (केरल क्षेत्र) को आई सी आर आई - 5 और आई सी आर आई - 7 जैसे सुधरे इलायची क्लोनों की रोपण सामग्रियाँ और बीज संपुटों (166.6 किलोग्राम) की आपूर्ति की गई। बीजों के जल्द एवं समान अंकुरण के लिए अकार्बनिक एसिड के प्रयोग से इलायची के बीज (28.5 किलो) का क्षतचिह्न लगाया गया।

इलायची पहाड़ियों की वनस्पतियों के दस्तावेज़न के लिए जांच की गई। 265 वंशों और 80 परिवारों में शामिल फूल पौधों की कुल 350 प्रजातियों का दस्तावेज़न किया गया। 150 प्रजातियों सहित वृक्ष वनस्पतियों की काफी विविधता दिखाई दी। फाबासेए, फलीदार परिवार, 38 प्रजातियों सहित सबसे आगे हैं और 19-19 प्रजातियों सहित ऐस्टैरेसी और रूबिएसी पीछे हैं। लगभग 50 प्रजातियाँ पश्चिमी घाट के स्थानीय हैं और उनमें से डाइसोसाइलम मलबारीकम, लजेस्ट्रोएमिया माइक्रोकारपा, लिटसी ओलेओइड्स और पलाक्विम एलिप्टिकम को छाया पेड़ों के रूप में इलायची बागानों में बढ़ाया जाता है।

संस्थान ने गुणवत्ता मसाला उत्पादन के लिए अच्छे कृषि कार्यों (जी ए पी) पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नवी बैच की चलारे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के रहनेवाले कुल 25 बेरोज़गार युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

आई सी आर आई ने किसानों/विस्तार अधिकारियों (36) को मसालों के विभिन्न पहलुओं पर 28 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और 612 लाभग्राहियों ने भाग लिया। केरल, तमिलनाडु और उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसानों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

‘इलायची में मधुमक्खी परागण’ पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 108 किसानों ने भाग लिया। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के इलायची पहाड़ियों में बारह मोबाइल स्पाइस क्लिनिक व वैज्ञानिक-किसान परिचर्चा का आयोजन किया गया और 425 मसाला कृषकों ने सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

संस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आवश्यक साधनों की स्थापना की गई। इडुक्की जिले के उप्पुत्तुरा और एलप्पारा क्षेत्र के रहनेवाले किसानों की इलायची और कालीमिर्च जैसे मसाला फसलों पर संयोजित पोषक और नाशीजीव प्रबंधन पर शंकाओं को दूर करने/विवरण देने के लिए पाँच टेली-क्लिनिकों का आयोजन किया गया।





अन्य कार्यकलाप

वर्ष 2011-12 के लिए चुने गए अनुसंधान कार्यक्रमों की पुनरीक्षा के लिए 1-2 अगस्त 2012 के दौरान स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय, कोच्ची में छोटी इलायची और अन्य मसालों पर XXIV वार्षिक अनुसंधान परिषद (ए आर सी) की बैठक आयोजित की गई। आनेवाली फसल सीजन के लिए प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रमों का गंभीर रूप से मूल्यांकन और अनुमोदन किया गया। अनुसंधान कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने और संबंधित विषयों में भविष्य के अनुसंधान प्राथमिकताओं को तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों से जाने माने और अनुभवी संकाय व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था।

आई सी आर आई के वैज्ञानिकों ने कोयंबतूर में आयोजित XX बागान फसल परिसंवाद (प्लानक्रोज़िम) में भाग लिया और इलायची और अन्य मसालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर तेरह अनुसंधान पर्चे प्रस्तुत किए।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़ द्वारा इस संस्थान को पी एच डी केंद्र के रूप में मान्यता दी गई। पौध विज्ञान में पी एच डी कार्यक्रमों के लिए बेंगलूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक द्वारा मान्यता दिये जाने के लिए भी प्रयास किया गया है।

छः वैज्ञानिकों को विभिन्न देशों में आयोजित विविध मेलों में बोर्ड के प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिनियुक्त किया गया।

आई सी आर आई पुस्तकालय को 2.5 लाख के बजट के साथ 200 अतिरिक्त पुस्तकों को जोड़कर सशक्त बनाया गया। संदर्भ के लिए 130 जर्नल्स/पत्र-पत्रिकाओं तथा बागवानी विज्ञान दिताबेस का नवीकरण जारी रखा।

जैव संसाधन प्रयोगशाला के लिए आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की गई। प्रस्तावित सभी प्रयोगशालाएं नए अनुसंधान भवन में स्थानांतरित की गईं और कार्य प्रारंभ किए गए। राजस्व भूमि में आई सी आर आई, प्रादेशिक स्टेशन, तमिलनाडु स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा डिंडिगल जिले के कोडैकनाल तालुका के ताण्डिकुडी गाँव में 13.38 हे. क्षेत्र आबंटित किया गया है। केरल के उडुम्बंचोला गाँव के आई सी आर आई फार्म, मैलाडुंपारा का पुनःसर्वेक्षण पूरा हुआ और चैन लिंक बाड़ के साथ ब्लॉक 5, 14, 18 और 19 की सीमाओं का सीमांकन किया गया। निर्माण के तहत, आई सी आर आई परिसर में आवासीय क्वार्टर का नवीकरण (सिविल/इलेक्ट्रिकल काम) सी.पी.डब्ल्यू.डी., कोच्ची को सौंपा गया था।

अच्छे कृषि कार्यों (जी ए पी) में बड़ी संख्या में निर्धारित कृषि कार्यों को आई सी आर आई फार्म के इलायची और अन्य मसालों की खेती में शामिल किया गया।

बड़ी इलायची

बड़ी इलायची पर अनुसंधान मुख्य रूप से आनुवंशिक संसाधन, नर्सरी तकनीक, पानी और पोषक तत्व प्रबंधन, रोग और नाशीजीव प्रबंधन और कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। चिरकी व फुरकी जैसे विषाणु रोगों के खिलाफ जर्मप्लासम स्क्रीनिंग की और आई सी आर आई सुधरी भट्टी के मूल्यांकन को भी महत्व दिया गया।

उप हिमालयी क्षेत्र की पहाड़ियों में बड़ी इलायची की आनुवंशिक संसाधनों के लिए किए गए सर्वेक्षण में 270 प्राप्तियों का संग्रह किया गया है और राष्ट्रीय भंडार में संरक्षित किया जा रहा है। बड़ी इलायची की प्राप्तियों पर हुई प्राथमिक मूल्यांकन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप कुछ आशाजनक कतारों को अलग किया गया और जिनका विभिन्न स्थानों में और खेत की जांच के लिए गुणन किया जा रहा है।





एक संकर सहित तीन उच्च उपज देने वाली किस्में अलग की गईं और निर्मोचन के लिए तैयार की जा रही हैं। बड़ी इलायची के आण्विक अभिलक्षणन किए गए हैं और 50 प्राप्तियों का अभिलक्षणन पूरा कर लिया गया।

पर्ण धब्बा और विषाणु रोगों की 'हॉट स्पॉट' क्षेत्रों में किए गए रोग सर्वेक्षण से बचे हुए (13) को अलग करने में मदद मिली और रोग सहिष्णुता के खिलाफ जांच की जा रही है। इलायची क्यूरिंग प्रणाली के प्रदर्शन के लिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग और नगालैंड पहाड़ियों में आई सी आर आई द्वारा सुधार की गई भट्टी प्रणाली स्थापित की गई।

बड़ी इलायची में समन्वित उपजातीय जांच पर मसालों पर ए आई सी आर पी के तहत और एन ए आई पी कार्यक्रम के तहत 'उत्तर पूर्व भारत में स्थाई कृषि प्रणाली के माध्यम से आजीविका सुधार और ग्रामीण गरीबों का सशक्तिकरण' प्रायोजित कार्यक्रम लागू किए गए। सलाहकार सेवाएं, मिट्टी विश्लेषण और उर्वरक सिफारिश, जैव अभिकारकों के उत्पादन और आपूर्ति, सेमिनारों के संचालन जैसे विस्तारण कार्यक्रम चलाए गए। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग पहाड़ियों के बड़ी इलायची बढ़नेवाले क्षेत्रों में बड़ी इलायची के उत्पादन प्रौद्योगिकी पर बीस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। किसानों को 25 लीटर के जैव कारक, स्यूडोमोनास उत्पादित करके वितरित किया गया।

'उत्तर पूर्व भारत में स्थाई कृषि प्रणाली के माध्यम से आजीविका सुधार और ग्रामीण गरीबों के सशक्तिकरण' पर एन ए आई पी परियोजना में परिकल्पित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सात स्व: सहाय दलों (एस एच जी) और तीन फार्मर्स क्लबों को जोड़े गए। लाभग्राहियों को इलायची और अदरक की रोपण सामग्रियों की केंद्रक सामग्री वितरित की गई। पौधशालाएं बढ़ाने के लिए किसानों को बड़ी इलायची की दो हजार नौ सौ अंतर्भूस्तरियां और 20 किंवटल बीज-अदरक वितरित किए गए। जैव कारकों, स्यूडोमोनास, फ्लूरोसेन्स और बेसिलस सबिलिस के उत्पादन और प्रयोग पर किसानों/परियोजना के लाभग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बड़ी इलायची बागानों में अंतरा फसल को बढ़ावा देने के लिए, राय साग (ब्रेसिका एसपी), मटर (पिसम एसपी), गाजर और मूली जैसी सब्जियों के बीज 20 किसानों को वितरित किए गए।

बड़ी इलायची, अदरक और हल्दी की उत्पादन प्रौद्योगिकी के वितरण हेतु एन ए आई पी लाभग्राहियों के लिए ग्यारह समूह-बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अदरक और हल्दी जैसे प्रमुख मसालों के उत्पादन प्रौद्योगिकी पर कृषि विज्ञान केंद्र (के वी के), कलिंग पश्चिम बंगाल में एक कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अप्पर जोंगु के नौ महिला किसानों सहित तीस किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 'जैव एजेंटों के उत्पादन पर प्रशिक्षण पर सहायता' प्रदान किया गया और लाभग्राहियों को बागानों/अनुसंधान संस्थानों के प्रदर्शन दौरे की व्यवस्था की गई। बड़ी इलायची की वैज्ञानिक खेती पर किसानों को मार्गदर्शन के लिए परियोजना के तहत बड़ी इलायची पर चार विस्तार पुस्तकें प्रकाशित की गईं।

23/08/2012 को एन ई एच क्षेत्र, तादोंग के लिए समेटी हाल, आई सी ए आर रिसर्च कॉम्प्लेक्स में बड़ी इलायची के लिए XX वार्षिक अनुसंधान परिषद बैठक आयोजित की गई।





10. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक आँकडा प्रक्रमण

सूचना प्रौद्योगिकी के बदौलत बोर्ड के क्रियाकलाप उल्लेखनीय रूप से बदल गए हैं। कई श्रमसाध्य कार्य ऑनलाइन प्रणाली में परिवर्तित किए गए हैं जिन्होंने बोर्ड के विभिन्न विभागों का कार्यभार कारगर ढंग से कम कर दिया है और उनके संचालन की अपेक्षित समयावधि घटा दी है। इ.आँ.प्र. विभाग बोर्ड के विभिन्न विभागों के साथ काम करते हुए उनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सुकर बनाता है। फलस्वरूप, यह पूरी प्रणाली को तेज और ज्यादा उपयोगी बनाता है और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में बोर्ड को सक्षम बनाता है।

मुख्य कार्यकलाप

- सूचना प्रौद्योगिकी के कारगर प्रयोग केलिए बोर्ड के विभिन्न विभागों व कार्यालयों को सलाह, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना
- मौजूदा अनुप्रयोगों, मेसेजिंग सोल्यूशन्स, इंटरनेट तथा वेबसाइट के रख-रखाव केलिए हेल्प डेस्क प्रबन्धन
- हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, नेटवर्किंग और बाह्य उपकरण जैसे सू.प्रौ. संसाधनों के ज़रिए संगठन का संचालन
- तकनीकी उपार्जन, एकीकरण व कार्यान्वयन केलिए उपायों का रूपायन
- सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का उन्नयन
- सू. प्रौ. उपकरणों व सॉफ्टवेयर के सुचारू कार्य केलिए सिस्टम व प्रक्रियाओं का निरूपण व कार्यान्वयन
- आंकडा प्रक्रमण
- नए सिस्टम की आवश्यकता (या मौजूदा सिस्टम का परिवर्तन) का पता करना तथा प्रयोक्ताओं के अनुरोध की पूर्ति करना
- सूचना प्रणालियों व एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन, विकास, प्रलेखन, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव
- बोर्ड की वेबसाइटों Indianspices.com, spicesboard.in, Indianspices.org.in, worldspicecongress.com, spicesboard.org का रख-रखाव और इन्हें अद्यतन बनाना
- कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का रूपायन और आयोजन





वर्ष 2012-13 के दौरान की उपलब्धियां

निम्नलिखित आई टी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है:-

इ-ऑफिस

इ-ऑफिस की अभिकल्पना आधुनिक सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप की गई है और आगामी पीढ़ी की सरकार के लिए उपाय बतौर तैयार की गई है। यह अधिकारियों/कर्मचारियों की आन्तरिक सूचनाओं की व्यक्ति विशेष, रॉल आधारित सुरक्षित प्राप्ति हेतु मंच प्रदान करता है, जो अधिकारी/कर्मचारी को किसी ब्राउसर से प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति-विशेष सेवाएँ परिचालित हैं और अधिकारी/कर्मचारी अपनी-अपनी आवश्यकताओं और आकस्मिकताओं के आधार पर सेवाओं से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिकी अधिसूचनाएँ और लेनदेन प्राप्त करते हैं। इसे नोलेज मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जो अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने-अपने दस्तावेज ऑन-लाइन तैयार करने और उसे पुनरीक्षा और प्रकाशन हेतु पोर्टल में प्रस्तुत करने में कामयाब बना सकता है। एक ही मंच पर पूरे संगठन का संयोजन किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तावेजों को किसी भी फॉर्मेट में बाँट भी सकते हैं।

इस प्रणाली ने स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय में परम्परागत फिजिकल फाइल को इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रणाली में प्रतिस्थापित किया है।

लाइव इ-नीलाम : यह उपभोक्ताओं को इंटरनेट के ज़रिए इ-नीलाम के दिनों में नीलाम देखने में सक्षम बनाता है और तद्द्वारा पारदर्शिता बढ़ाता है।

हाई-टेक क्षेत्र कार्यालय और आई सी आर आई, मैलाडुम्पारा में ऑन-लाइन टेली क्लिनिक सुविधा : यह मैलाडुम्पारा कार्यालय और एलप्पारा के क्षेत्र कार्यालय को आपस में जोड़ने वाला सविशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम है, जो कृषकों को वैज्ञानिकों से तत्काल विशेष सलाह पाने में सक्षम बनाता है।

एक्टिव डायरेक्टरी इंप्लिमेंटेशन और सेन्ट्रलाइस्ड ऐन्टी वायरस सर्वर : इस परियोजना ने स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय की आई टी सुरक्षा काफी बढ़ा दी है और अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्च निष्पादकता सहित स्थाई मंच प्रदान करने में सक्षम बनाया है।

स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय की पूरी फिजिकल फाइलों का अंकुरूपण : स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय के सभी फिजिकल फाइलों का अंकुरूपण किया गया और वेबपोर्टल द्वारा उपलब्ध कराया गया।

सी सी टी वी सुरक्षा निगरानी प्रणाली : सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्यालय में क्लोस्ड सर्क्यूट टी वी सुरक्षा निगरानी प्रणाली स्थापित की गई।

चालू परियोजनाएँ

1. मैलाडुम्पारा में इ-ऑफिस का कार्यान्वयन
2. पूर्ण वित्तीय प्रबन्धन सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन
3. ऑन लाइन भर्ती और ऑन लाइन परीक्षा





अनुबंध -1

बोर्ड सदस्यों की सूची (जैसेकि 31-3-2013 को है)

क्र. सं.	नाम व पता	हैसियत	टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स/इ-मेल	तक मान्य
1.	डॉ. ए. जयतिलक भा.प्र.से., अध्यक्ष स्पाइसेस बोर्ड, पालारिवट्टम कोच्ची - 682 025, केरल	अध्यक्ष	टेली : 0484-2333304 मोबाइल : 9446022644 फैक्स : 0484-2349135 इ-मेल : chairman@indianspices.com	जारी
2.	श्री पी.टी. तोमस आदरणीय सांसद (लोकसभा), 30 केरला हाउस, 3-जंतर मंदर रोड नई दिल्ली - 110 001 श्री पी.टी. तोमस आदरणीय सांसद (लोकसभा) पुतियपरंपिल हाउस, उप्पुतोड राजमुडी पी.ओ., तोडुपुष्पा - 685 604 इडुक्की जिला, केरल	सदस्य	टेली : 04868-263216 04862-229595 मोबाइल : 9447029595/ 9013180092/ 09847077150 फैक्स : 04862-229595 इ-मेल : ptthomasidk@gmail.com	02/12/12
3.	श्री अनन्त कुमार हेगडे, आदरणीय सांसद (लोकसभा), 13 फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली-110 001 श्री अनन्त कुमार हेगडे, आदरणीय सांसद (लोकसभा) सं. 17, के.एच.बी. कॉलनी सिरसी- 581 402 कर्नाटक राज्य	सदस्य	टेली : 011-23795001 मोबाइल : 9868180337 फैक्स : 011-23795001 टेली : 08384-225248/234337 फैक्स : 08384-223353 इ-मेल : mpcanara@gmail.com	02/12/12
4.	श्री एस. तंकवेलु आदरणीय सांसद (राज्यसभा) सी -204, स्वर्ण जयन्ती सदन डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 श्री एस. तंकवेलु आदरणीय सांसद (राज्यसभा) 126/6, गाँधीनगर ईस्ट फोर्थ स्ट्रीट, कलुगुमलै रोड शंकरनकोविल - 627 756 तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	सदस्य	टेली : 011-23708300 मोबाइल : 09013181036 टेली : 04636 222408 मोबाइल : 09443389036 इ-मेल : thangavelubscmp@gmail.com info@thonustraining.com	02/01/14





क्र. सं.	नाम व पता	हैसियत	टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स/इ-मेल	तक मान्य
5.	निदेशक (बागान प्रभाग) वाणिज्य विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 107	सदस्य	टेली : 011-23063268, 26492218 फैक्स : 011-23061646/ 23063418	02/12/12
6.	श्री संजीव चोपडा संयुक्त सचिव व मिशन निदेशक [राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान मिशन] कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001	सदस्य	टेली फैक्स: 011 -23073779; 23382444 मोबाइल : 9899772227 इ-मेल : chopra.sanjeev@gov.in	02/12/12
7.	सुश्री अमरित राज निदेशक (वित्त) वाणिज्य विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग भवन, नई दिल्ली -110 107	सदस्य	टेली : 011-23061807, 23347203 मोबाइल : 9868222032 फैक्स : 011 - 23061807 इ-मेल : amrit.raj@nic.in	02/12/12
8.	श्री के.सी. प्रधान द वेसाइड गार्डन्स सिक्स्थ माइल तादोंग -737 102 गांतोक, सिक्किम	सदस्य	टेली : 03592-220960 मोबाइल : 9609858230 इ-मेल : sfkeshav@gmail.com Slg_sfsikkim@sancharnet.in	02/12/12
9.	एडवोकेट जोय तोमस तुण्डत्तिल, आरक्कुळम पी.ओ. इडुक्की जिला केरल, पिन -685 591	सदस्य	टेली : 04862-252240 मोबाइल : 9447052134 इ-मेल : e-consumerfed@gmail.com	02/12/12
10.	श्री रोय के. पाउलोस कोन्ननाल, तट्टकुप्पा पी.ओ. पिन-685 581, (वाया) करिमानूर तोडुपुप्पा, इडुक्की केरल	सदस्य व उपाध्यक्ष	टेली : 04862-235304, 222977 मोबाइल : 9447421666 इ-मेल : roykpaulose@gmail.com	02/12/12





क्र. सं.	नाम व पता	हैसियत	टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स/इ-मेल	तक मान्य
11.	श्री जी. मुरलीधरन पेरुंबलत्तु हाउस पाम्पाडुम्पारा पिन - 685 556 इडुक्की जिला, केरल	सदस्य	टेली : 04868- 236073 मोबाइल : 9961149473 इ-मेल : muraleeganga@gmail.com	02/12/12
12.	श्री अबुल कलाम मदीना मुनवरा कॉफी एस्टेट जयपुरा -577 123 कोप्पा तालूका चिकमगलूर जिला कर्नाटक	सदस्य	टेली : 08265- 245050/ 691675 मोबाइल : 9448032796 फैक्स : 08265-245050 इ-मेल : abulkalamcafe@gmail.com	02/12/12
13.	डॉ. विजू जेकब निदेशक मेसर्स सिंथाइट इण्डस्ट्रीस लि. कडियरिप्पु कोलंचेरी एरणाकुलम केरल, पिन -682 311	सदस्य	टेली : 0484-3051200/210 मोबाइल : 9846640010 फैक्स : 0484-3051351 इ-मेल : viju@synthite.com	02/12/12
14.	श्री माधवन पार्टनर मेसर्स एस.पी.जी. रामसामी नाडार एण्ड सन्स 77, साउथ कार स्ट्रीट विरुदुनगर तमिलनाडु-626 001	सदस्य	टेली : 04562-243364, 244164 मोबाइल : 9443144864 फैक्स : 04562-244964 इ-मेल : spgr@eth-net spgr@sancharnet.in	02/12/12
15.	श्री अजय जे. मारीवाला प्रबंध निदेशक मेसर्स वल्लभदास कांजी लि. 12/136-ए, कुण्डन्नूर-मरडु रोड मरडु पी.ओ. कोचिन - 682 304, केरल	सदस्य	टेली : 0484-307777 मोबाइल : 9846093333 फैक्स : 0484-3077781 इ-मेल : vkl@vklspices.com	02/12/12





क्र. सं.	नाम व पता	हैसियत	टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स/इ-मेल	तक मान्य
16.	श्री राजेन्द्र पी. गोखले प्रबंध निदेशक मेसर्स तकसागो इण्टरनेशनल कोरपरेशन 215, षलाका महर्षी कार्वे मार्ग मुम्बई - 400 021 महाराष्ट्र	सदस्य	टेली : 022-22821225/ 0261/0462 मोबाइल : 09967312000 फैक्स : 022-22821788 इ-मेल : raj_ghogale@yahoo.com Raj_ghogale@yahoo.com	02/12/12
17.	श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठ निदेशक एवं मुख्य प्रचालन अधिकारी मेसर्स ए.वी.टी. मक्कोर्मिक इन्ट्रेडियन्स प्रा.लि. साउथ वाष्ककुलम, आलुवाय-683 107, केरल	सदस्य	टेली : 0484-2677511/ 2677263 मोबाइल : 9895177511 फैक्स : 0484-2677275 इ-मेल : sushama@avtspice.com	02/12/12
18.	श्री फिलिप कुरुविला प्रबंध निदेशक, मेसर्स इण्डियन प्रोडक्ट्स लि. डोर नं. V/705-707 गुजराती रोड मट्टान्चेरी कोच्ची-682 002, केरल	सदस्य	टेली : 0422-3985711/ 3985720 मोबाइल : 9895233117 फैक्स : 0422-3985710 इ-मेल : philip@jayanti.com	02/12/12
19.	श्री पी.जे. कुञ्जच्यन मेसर्स अर्जुना नेच्युरल एक्स्ट्राक्ट्स लि. बैंक रोड आलुवाय केरल, पिन-683 101.	सदस्य	टेली : 0484-2622644 मोबाइल : 9895977371 फैक्स : 0484-2622612 इ-मेल : pjk@arjunanatural.com	02/12/12
20.	श्री जोजो जोर्ज, पोट्टमकुळम हाउस कूट्टिक्कल पी.ओ. कोट्टयम केरल, पिन - 686 514.	सदस्य	टेली : 04869-222865 मोबाइल : 9447182097 फैक्स : 04868-222097 इ-मेल : jojo-md@kcpmc.com	02/12/12





क्र. सं.	नाम व पता	हैसियत	टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स/इ-मेल	तक मान्य
21.	श्री जोर्ज वाली वाल्लिप्लाक्कल कूराली, पोनकुन्नम कोट्टयम, केरल, पिन - 686 522.	सदस्य	टेली : 0481-2568311, 2568951 मोबाइल : 9447156830 फैक्स : 0481-2568918 इ-मेल : georgevaly@gmail.com	02/12/12
22.	सचिव, केरल सरकार कृषि विभाग सरकारी सचिवालय तिरुवनन्तपुरम-695 001.	सदस्य	टेली : 0471-2325992, 2518232 फैक्स : 0471-2325992 इ-मेल : dkdias93@yahoo.co.in	जारी
23.	प्रशासक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंत कृषि भवन जयपुर, राजस्थान-302 005.	सदस्य	टेली : 0141-2227400 फैक्स : 0141-5103626 इ-मेल : ahmadsalahuddin@live.in rsamb@datainfosys.net	जारी
24.	प्रधान निदेशक बागवानी व नकदी फसल विकास विभाग कृषि भवन, तादोंग गान्तोक -737 102 सिक्किम	सदस्य	मोबाइल : 09832066187, 09434357786 टेली फैक्स: 03592- 231960 इ-मेल : dh.sikkim@yahoo.in talikgamger@gmail.com	जारी
25.	श्रीमती सुतापा मजुंदार निदेशक (आई.ई. प्रभाग) योजना आयोग योजना भवन नई दिल्ली-110 001	सदस्य	टेली : 011-23096717, 26493215 मोबाइल : 9868124796 फैक्स : 011-23096717 इ-मेल : sutapa.m@nic.in	02/12/12
26.	निदेशक, भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आई आई पी) ई-2, एम आई डी सी क्षेत्र पी.बी. नं - 9432, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400 093	सदस्य	टेली : 022 - 28219803/ 9469/6751 फैक्स : 022-28375302 इ-मेल : director-iip@iip_in.com	जारी





क्र. सं.	नाम व पता	हैसियत	टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स/इ-मेल	तक मान्य
27.	निदेशक केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सी एफ टी आर आई) मैसूर-570 020.	सदस्य	टेली : 0821-2517760 फैक्स : 0821-2516308 इ-मेल : director@cftri.com director@cftri.res.in	जारी
28.	निदेशक भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान (आई आई एस आर), पी.बी. नं. 1701 मारिक्कुन्नु पी.ओ. कालिकट-673 012, केरल	सदस्य	टेली : 0495-2730294 फैक्स : 0495-2731187 इ-मेल : director@spices.res.in	जारी
29.	श्री के.एम. सुल्तान इब्राहीम 171, मेइन रोड उत्तमपाळयम, पिन - 625 533 तेनी जिला, तमिलनाडु	सदस्य	टेली : 04554-265053 मोबाइल : 09443165308 इ-मेल : sulthan_king@yahoo.com	02/12/12
30.	श्री ई.के. वासु इल्लिवकल हाउस कल्लार पी.ओ. नेडुमकंडम - 685 553 इडुक्की जिला, केरल	सदस्य	फोन : 04868-222303 मोबाइल : 9744106601	01/05/2015
31.	श्री मानसिंह परसौदा पोस्ट ऑफिस के आगे कर्नल गंज गुना - 473 001 मध्यप्रदेश	सदस्य	मोबाइल : 9425134973 इ-मेल : msinghspicepark@gmail.com	01/05/2015

